खण्ड-227, अंक-5
मंगलवार, 15 फाल्गुन, शक संवत् 1883
(6 मार्च, 1962 ई0)

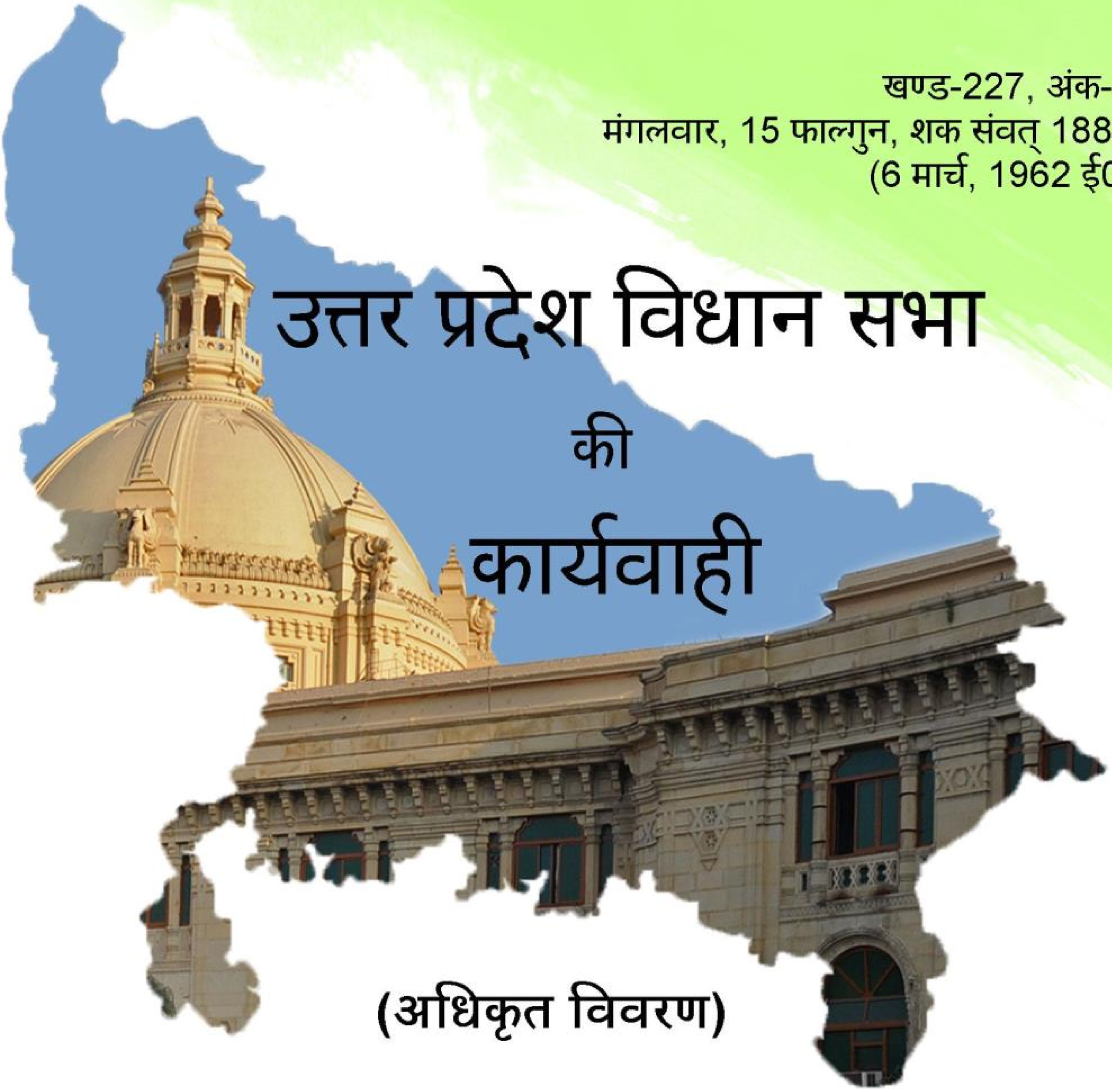

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 227 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	२८७–२९१
प्रश्नोत्तर	२९१–३५४
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ के अधीन प्रख्यापित विज्ञप्तियां (मेज पर रखी गयीं)	३५४
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१–६२ का तृतीय पूरक) विधेयक, १९६२ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	३५५
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६२ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	३५५
देवरिया जिले में टेस्ट वर्क पर काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी न मिलने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	३५५–३५६
प्रदेश के कई जिलों में गन्ने की फसल के खड़े रहने तथा गन्ने के पेरे जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	३५६–३६१
सदन के विघटन के संबंध में घोषणा	३६१–३६२
नत्थियां	३६३–४०४

विधान परिषद सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ६ मार्च, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में २ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—२६१

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगा प्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री

गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणवर्मसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बहराइच)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रसादसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दर्शनसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
मंजूरुन्नबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअवार तिवारी, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र अग्निहोत्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रकाश, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद पीताम्बर, श्री
रामबली, श्री
रामभूति, श्री
रामरतनअवस्थी, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलखन त्रिपाठी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसजीवन, श्री
रामसिंह बोहरा बैद, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप शर्मा, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव बदन, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगबिहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी बेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रसन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिव प्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (हीरो)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री

सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरिशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—स्वशासन मंत्री, श्री चतुर्भुज शर्मा, श्रम मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी, वन मंत्री, श्री अलगू राय शास्त्री तथा वित्त मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ६ मार्च, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

झांसी के चांदमारी क्षेत्र में घायल हो जाने की दुर्घटनाएं

१—श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि गत दो-तीन वर्षों में झांसी मिलिटरी एरिया के इर्द-गिर्द रहने वाले किसानों के मिलिटरी वालों की चांदमारी के समय असावधानी के परिणामस्वरूप, घायल होने की दुर्घटनाएं हो चुकी हैं ?

विद्युत उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—सरकार को मालूम है कि कुछ ऐसी घटनाएं पहले हो चुकी हैं किन्तु यह आरोप ठीक नहीं है कि वे घटनाएं मिलिटरी वालों की असावधानी के कारण हुईं। वास्तव में कुछ गैर-जिम्मेदार लोग चांदमारी क्षेत्र के भीतर कभी-कभी बन्दूक की गोलियां ढूंढ़ने के लिए छिप कर चले जाते हैं और इस प्रकार एकत्र की हुई गोलियों को बाजार में बेच लेते हैं। ऐसी सूरत में घटनाओं का कारण चांदमारी क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश करना ही हो सकता है।

२—श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार को यह भी पता है कि १२ फरवरी, १९६२ को उक्त एरिया के इधर ठिलवारी नामक बाग में रहने वाली श्रीमती मेवा नामक किसान महिला धर्मपत्नी, श्री लक्ष्मीनारायण अपने खेत में काम करते समय चांदमारी की गोली लग जाने के परिणामस्वरूप वहां के सिविल अस्पताल में दाखिल हुई थी तथा दूसरे ही दिन फिर वहीं दो किसान गोलियां लगने से बाल-बाल बचे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—स्थिति यह है कि १२ फरवरी, १९६२ को श्रीमती मेवा नामक एक महिला गोली से घायल हो गई थी, किन्तु यह सही नहीं है कि वह ठिलवारी के बाग के पास अपने खेत में काम करते समय घायल हुई। उसके घायल होने के कथित स्थान तथा चांदमारी क्षेत्र के बीच में तीन चौथाई मील का फासला है। इन स्थानों के बीच में पहाड़ियों के ऊंचे टीले भी हैं। ऐसी अवस्था में यह अत्यन्त संदिग्ध है कि श्रीमती मेवा को मिलिटरी वालों की गोली से चोट लगी। गत १३ फरवरी को दो किसानों के घायल होने के बारे में अभी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। इस मामले में जिलाधीश द्वारा जांच हो रही है।

*३.—**श्री लक्ष्मणराव कदम** क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता द्वारा स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट का ध्यान आकर्षित करने पर उनको रोकने तथा उक्त महिला को मुआवजा दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—जिस समय माननीय सदस्य द्वारा स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट श्री अब्दुल कयूम का ध्यान उक्त घटनाओं की ओर दिलाया गया उस समय वह तथा अन्य संबंधित अधिकारी चुनाव-कार्य में व्यस्त थे। अब मामले में विस्तृत जांच हो रही है। जिलाधीश का प्रतिवेदन आ जाने पर ही मामले में उपयुक्त कार्यवाही करने पर विचार करना सम्भव हो सकेगा।

श्री लक्ष्मणराव कदम—मंत्री जी बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने उक्त महिला के हाथ से निकाला हुआ जो कारतूस जिला मजिस्ट्रेट को भेजा था वह मिलिटरी का है? ऐसी दशा में मंत्री जी उक्त महिला को मुआवजा दिलाने की कृपा करेंगे?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—मिलिटरी का होने से यह कहां सम्भव है कि यह उसके अन्दर ही गोली लगी है। अभी तक ठीक से इस बात का पता नहीं है कि यह गोली मिलिटरी की है या नहीं। जब इसकी सूचना आ जायगी तो उसकी भी जांच होगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—मंत्री जी बतायेंगे कि जिलाधीश का प्रतिवेदन कब तक आने की सम्भावना है?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—मैंने अभी कहा कि वह चुनाव-कार्य में व्यस्त थे, अब चुनाव समाप्त हो गया है अतः उनकी रिपोर्ट जल्द से जल्द आ जायगी।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—जैसा मंत्री जी ने कहा कि कुछ गैर-जिम्मेदार लोग गोली ढूंढ़ने आते हैं। जब वहां एरिया में घायल होने की दुर्घटनाएं हो चुकी हैं तो गोली ढूंढ़ने वालों में से किस प्रकार दूसरे व्यक्ति घायल हुए इसको स्पष्ट करें।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—मैंने जैसा कहा उसके अन्दर अगर कोई आदमी घुस जायगा तो गोली लग सकती है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि गोली ढूंढ़ने में कुछ ऐसी गोलियां भी रहती हैं कि उनको उठाते वक्त वह फट जाती हैं और ऐसी घटनायें भी हो जाती हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या मन्त्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि जब उस क्षेत्र में इस तरह की दुर्घटनाएं हुई हैं और लोग जो गोली ढूंढ़ने के लिए चले जाते हैं तो मालूम होता है वहां कोई तार नहीं लगा है या कटघरा नहीं बना है अतः क्या मिलिटरी विभाग को लिखेंगे कि वह उस स्थान को सुरक्षित बनायें जिससे बाहर के लोग वहां गोली ढूंढ़ने न जायें?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—यह तो सरकार को ज्ञात नहीं है कि वहां तार है या नहीं, लेकिन मैं यह जानता हूं कि फाइल में है कि चारों तरफ लाल झंडी लगी हुई है। यह एरिया प्रोहिबिटेड है और उसमें लोगों को जाना नहीं चाहिए।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—अभी जो जवाब में माननीय मंत्री जी ने फरमाया कि बगैर चली हुई गोलियां अपने आप चलने लगती हैं तो किसी एक्सपर्ट की रिपोर्ट पर वह यह कह रहे हैं या अपने तजुर्बे की बिना पर कह रहे हैं ?

(हंसी—उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—जिस क्षेत्र में यह मनाही है कि लोग उसके अन्दर न जायं और लाल झंडी लगी हुई है क्या वहां हिन्दी और उर्दू में लिख कर टंगा हुआ है कि लोग इसके अन्दर न जायं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—यह तो लिखा हुआ रहता ही है ।

कानपुर महापालिका के कर्मचारियों की हड़ताल

४—श्री उमाशंकर (जिला कानपुर)—क्या स्वायत्तशासन मन्त्री बतायेंगे कि कानपुर नगरमहापालिका के कई विभागों के कर्मचारियों ने २ मार्च, १९६२ शुक्रवार से हड़ताल कर दी है और उससे नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो उन कर्मचारियों की मांगें क्या हैं और सरकार उन पर क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

स्वशासन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)—यह सत्य है कि कानपुर स्वायत्त शासन कर्मचारी संघ तथा कानपुर जलकल मजदूर सभा की तरफ से उनके सेक्रेटरी ने २८ फरवरी को एक हड़ताल का नोटिस दिया था जिसमें कि पहली मार्च से अर्थात् नोटिस के २४ घंटे के बाद हड़ताल शुरू करने का निश्चय प्रकट किया था । तदनुसार २ मार्च की सुबह से कुछ कर्मचारियों ने हड़ताल की जिसका मुख्य असर कूड़ा उठाने वाले तथा सफाई करने वाले विभाग पर हुआ और थोड़ा-सा असर जलकल विभाग पर भी था । नागरिकों को कठिनाइयों से बचाने के लिये महापालिका ने आवश्यक कार्य को जारी रखने का प्रबंध कर लिया था ।

यह हड़ताल कुल दो दिन चल सकी और ३ मार्च की शाम से इसको हड़ताल करने वाली संस्थाओं ने बिना शर्त के वापस ले लिया ।

इन संस्थाओं की मांगों तथा उस पर की गई महापालिका द्वारा कार्यवाही के विषय में एक नोट प्रस्तुत है । चूंकि महापालिका इन मांगों के विषय में उचित कार्यवाही कर रही है और चूंकि हड़ताल भी अब समाप्त हो चुकी है अतएव सरकार को किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न इस समय नहीं उठता । इनमें से जो मांगें सरकार की आज्ञा के लिये आई हैं या भविष्य में आवेंगी उन पर उचित कार्यवाही की जायेगी ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३६३–३६५ पर)

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस हड़ताल में कितने कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और क्या यह सही है कि कर्मचारियों ने जो हड़ताल की थी उस को गैर-कानूनी कहा गया और कर्मचारियों के खिलाफ आप अनुशासन की कार्यवाही करने जा रहे थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—संख्या तो ठीक-ठीक नहीं मालूम, लेकिन यह कहा गया है कि सबने नहीं की थी थोड़े लोगों ने की थी । ठीक संख्या के लिये नोटिस चाहिये । उचित कार्यवाही के लिये किसी ने वायलेंस (हिंसात्मक) वगैरह की कार्यवाहियां की हों तो उस पर कोई कार्यवाही हो तो महापालिका उस पर कार्यवाही करेगी, कोई कार्यवाही करने के लिये यहां से हुक्म नहीं गया ।

श्री उमाशंकर—क्या यह सही है कि कर्मचारियों ने जो हड़ताल वापस ली है उसमें अधिकारियों ने कुछ आश्वासन दिया था, इसलिये उन्होंने हड़ताल वापस ले ली ? यदि हां, तो वह आश्वासन क्या था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कोई आश्वासन नहीं दिया गया।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि इन मांगों में से मुख्य मांगें क्या थीं और जैसा माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि कुछ मांगें सरकार के पास स्वीकृति के लिये आयी हैं वे कौन-सी मांगें हैं जिनको सरकार के पास महापालिका ने स्वीकृति के लिये भेजा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मांगें तो बहुत सी हैं। करीब-करीब २०–२२ मांगें थीं जैसे काम के घंटे घटाये जायं, छुट्टियां बढ़ाई जायं और कुछ महंगाई के बारे में छोटे कर्मचारियों के लिये जो प्रशासन की तरफ से कार्यवाही हो गयी थी वह उनको बतला दी गयी है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या इन मेहतरों की एक मुख्य मांग यह भी थी कि इतवार के दिन उनकी छुट्टी रखी जाय और एवज़ीदार मुकर्रर कर लिये जाएं और क्या इस मुख्य मांग पर सरकार ने कोई ध्यान दिया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मुख्य मांग क्या थी यह तो नहीं कहा जा सकता। कई मांगें थीं उनमें से कौन मुख्य थी यह नहीं लिखा था। छुट्टी के बारे में पहले ही से प्रशासन की ओर से ऐसे आदेश हैं कि कर्मचारियों को छुट्टी दी जाय। खासतौर से एक रोज की छुट्टी के लिए तो पहले ही से आर्डर्स हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि कर्मचारियों की मांग जो मंहगाई भत्ते से संबंधित थी उसको सरकार ने पहले से ही स्वीकार कर लिया था फिर भी महापालिका ने वह भत्ता नहीं दिया जिसकी वजह से उनको हड़ताल करनी पड़ी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह बात नहीं है। सरकार की तरफ से जो महंगाई भत्ता स्वीकृत हुआ है वह सभी महापालिकाओं को मद्देनजर रख कर किया गया है। वे लोग ज्यादा मांगते थे। इस महंगाई भत्ते पर कार्यवाही हो रही होगी जिसका उनको पता नहीं होगा, यह हो सकता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या यह सही है कि इस हड़ताल के होने के बाद कानपुर के जिलाधीश ने अनिवार्य सेवा नियम लागू करने की धमकी दी और यह कहा कि उनको सजा होगी, इसलिये हड़ताल समाप्त हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई इत्तला मेरे पास नहीं है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जितनी मांगें कर्मचारियों की तरफ से की गयी हैं और जिनकी सूची माननीय मंत्री जी के पास है उनमें से कोई ऐसी मांग है जिसको सरकार ने स्वीकार किया हो ? यदि है, तो कौन सी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जैसा कि मैंने अर्ज किया, अभी तक इन मांगों की बाबत कोई खास निर्णय नहीं हुआ और न कोई आश्वासन ही दिया गया है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

बांसी पनघटिया बांध की मरम्मत के लिये प्रार्थना

*१—**श्री मदन पांडेय**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले में राप्ती नदी पर बांसी पनघटिया बांध पर ग्रामीणों द्वारा २ मील तक श्रमदान द्वारा मिट्टी का काम किया

जा चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त बांध का निर्माण करते समय उक्त क्षेत्र के बी० डी० ओ० तथा अन्य अधिकारियों द्वारा उक्त बांध में सहायता करने का जो आश्वासन दिया था वह किन कारणों से पूरा नहीं कराया जा रहा है ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)—दो मील लम्बाई नहीं बल्कि लगभग ४०० फीट लम्बाई में ग्राम कुडजा, कथवलिया तथा कलनाखोर के ग्रामीणों ने स्वयं अपनी इच्छानुसार अपनी रक्षा के लिये बांसी पनघटिया बांध पर कटे हुए स्थानों का पूर्णरूप से पुनर्निर्माण किया था। इन ग्रामीणों को बी० डी० ओ० अथवा किसी भी अधिकारी द्वारा उक्त बांध के निर्माण में सहायता करने का आश्वासन नहीं दिया गया था। अतः उसको पूरा करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यदि उन्हें बी० डी० ओ० अथवा किसी अन्य अधिकारी की तरफ से आश्वासन नहीं दिया गया था फिर भी ग्रामीणों ने जो बांध तैयार कर लिया है तो इस बात को देखते हुए कि यह बांध आवश्यक था क्या सरकार फिर से विचार कर रही है कि इसको सरकारी पैसे से पूरा कराया जाय ?

श्री राममूर्ति—जो बांध ग्रामीणों ने बनाया है उसमें जहां-जहां पर क्षति हुई है और कटाव हो गया है उसकी मरम्मत के हेतु और एक बनरहा बुजुर्ग के पास रिटायर्ड बांध बनाने के हेतु एक स्कीम फ्लड बोर्ड के पास है जो करीब २ लाख २९ हजार रुपये की है। लेकिन मैन पावर मोबिलाइजेशन स्कीम के मातहत तमाम लोगों की मदद से यह काम होने वाला था। जिन गांवों का माननीय सदस्य ने जिक्र किया उनके प्रधानों ने इन्कार कर दिया है कि हम इस काम को करने के लिये तैयार नहीं हैं, इसलिये मजबूरी की वजह से वह काम नहीं चलाया जा रहा है।

श्री मदन पांडेय—अभी जो मूल उत्तर सरकार की तरफ से दिया गया है उसमें अधिकारियों की ओर से इस कार्य के संबंध में कोई आश्वासन देने की बात नहीं स्वीकार की गयी है, लेकिन जो सप्लीमेन्टरी का जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया उसमें उन्होंने यह कहा है कि अधिकारियों की जानकारी में यह बात थी कि उनके सहयोग से यह काम किया जाने वाला था। तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि बांसी पनघटिया बांध के कट जाने से इस वर्ष करीब ७० गांव डूब गये थे सरकार अपने खर्चे से इसको बनवाने पर विचार करेगी ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब दिया कि दूसरी स्कीम बनाई गई थी लेकिन वह स्कीम मैन पावर मोबिलाइजेशन स्कीम के मुताबिक बनाई गई और यह उम्मेद की जाती थी कि जो संबंधित ग्राम सभायें हैं उनके प्रधान और लोग मदद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया और वह काम रुक गया।

श्री अध्यक्ष—अब मैं यह निर्णय करता हूं कि जिनके प्रश्न हैं उनको ही पूरक प्रश्न पूछने का मौका दूंगा ताकि काफी प्रश्न पूछे जा सकें क्योंकि प्रश्न आज बहुत हैं।

सगड़ी तहसील में भदहवां नाला और छोटी सरयू को गहरा करने की आवश्यकता

*२—**श्री इन्दुभूषण गुप्त** (जिला आजमगढ़)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की तहसील सगड़ी में भदहवां नाला और छोटी सरयू को 'डीपिन' करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस योजना की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि उसके पूर्ण हो जाने की कब तक आशा है ?

श्री राममूर्ति—आजमगढ़ जिले में सगड़ी तहसील में भदहवां नाला को गहरा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। छोटी सरजू को भदहवां नाले के उद्गम स्थान से टोंस नदी के मुहाने तक लगभग २५ मील की लम्बाई में गहरा व चौड़ा करने की योजना प्रस्तावित है। इसका सर्वेक्षण हो रहा है।

श्री इन्दुभूषण गुप्त---अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रतिलिपि मांगी थी वह मुझे नहीं मिली सिर्फ उत्तर मिला है । मैं प्रश्न पूछता हूं ।

क्या मंत्री जी को सूचना मिली है कि जहां पर यह नाला टोंस नदी में मिलाया जायगा वह स्थान ऊंचा है जिससे पानी उसमें नहीं जा सकेगा तो जो रोनापार महोबा बांध है उस पर पम्प लगाकर दूसरी ओर पानी फेंकने की योजना पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री रामसूर्ति---यह जो विस्तारपूर्वक प्रश्न माननीय सदस्य ने किया उसका उत्तर मेरे पास नहीं है लेकिन मैंने बताया कि छोटी गंडक को चौड़ा और गहरा करने का प्रश्न है ताकि सारे छोटे-छोटे नाले जो हैं वे पास हो जायें । यह दो लाख रुपये की स्कीम है और सर्वे हो रहा है ।

श्री इन्दुभूषण गुप्त---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि उक्त नाले में बहाव न होने से हजारों एकड़ भूमि पानी में डूब गई थी इसलिये इस योजना को जल्दी कार्यान्वित करने पर विचार करेंगे ?

श्री रामसूर्ति---मुझे इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य ने एक योजना बताई है । अगर वे लिखकर डिटेल्स में भेज देंगे तो मैं उसकी जांच करा लूंगा और जो काम करने की जरूरत होगी वह अवश्य किया जायगा ।

नहर विभाग के अधिकारी, श्री जे० एस० गुप्ता के विरुद्ध श्री जगदीश अवस्थी की शिकायत

*३---**श्री रामस्वरूप वर्मा**---क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके पास २५ अगस्त से २ सितम्बर, १९६१ के लोक सभा के कितने सदस्यों की नहर विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुईं और प्रमुखरूप से उनके क्या विषय रहे तथा सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की ?

श्री रामसूर्ति---इस काल में केवल एक लोक सभा के सदस्य का इस प्रकार का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें एक अधिकारी के अशिष्ट व्यवहार की शिकायत थी । जांच करने पर अधिकारी का कोई दोष नहीं पाया गया ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी लोक सभा के सदस्य का नाम जिनकी शिकायत थी और उस अधिकारी का नाम जिनके विरुद्ध अशिष्ट व्यवहार की शिकायत थी, बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री रामसूर्ति---लोक सभा के सदस्य का नाम श्री जगदीश अवस्थी है और एस० ई० का नाम श्री जे० एस० गुप्ता है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि यह जांच किस के द्वारा कराई गई और श्री जगदीश अवस्थी को बुलाया गया था और उनसे सबूत देने को कहा गया था या नहीं ?

श्री रामसूर्ति---यह जांच चीफ इंजीनियर के सुपुर्द की गयी थी । उन्होंने उनका एक्सप्लेनेशन मांगा और उसकी बुनियाद पर यह जवाब दे दिया गया ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस समय यह घटना घटी उस समय श्री जगदीश अवस्थी ने फोन पर घटना का वर्णन मंत्री जी से किया था । इसके बावजूद उनसे न पूछने का कारण क्या है ?

श्री राममूर्ति—यह घटना जैसा कि मेरे पास सूचना आई है, ६ बजे हुई। मुझे तारीख का खयाल नहीं है। लेकिन श्री जगदीश अवस्थी ने टेलीफोन पर मुझसे कहा था। मैंने अर्ज किया कि आप लिखकर भेज दें। जब उन्होंने लिखकर भेजा तो मैंने उसकी जांच कराई।

ललितपुर सब-डिवीजन के ठेकेदार, श्री शिव प्रसाद का कत्ल

*४—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार को पता है कि ललितपुर सब-डिवीजन (झांसी) के ठेकेदार श्री शिवप्रसाद जैन द्वारा अप्रैल, १९६१ में वहां के असिस्टेन्ट कन्जरवेटर श्री सी० बी० सिंह के विरुद्ध बहुत ही भीषण आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिटपिटीशन दायर करने के कुछ ही दिन बाद श्री शिवप्रसाद को कुछ लोग उनके घर से पकड़ ले गये थे और उनकी आंखें निकाल कर व उनको अंग-भंग करके उनका कत्ल कर दिया गया था? यदि हां, तो उनके कत्ल के संबंध में कितने आदमी गिरफ्तार हुए तथा उनके कत्ल में किनका हाथ था?

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—जी हां, किन्तु यह सही नहीं है कि श्री शिव-प्रसाद की आंखें निकाल कर अथवा अंग-भंग कर उनकी हत्या की गयी। इनकी हत्या पकड़ ले जाने के दो दिन बाद गोली मार कर की गयी।

इस हत्या के संबंध में ११ व्यक्तियों को अभियुक्त बताया गया जिसमें से ६ पर सेशन कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और ४ का मफरूरी में चालान किया जा चुका है। एक को लोअर कोर्ट ने छोड़ दिया। चूंकि हत्या का मामला तथा श्री शिवप्रसाद द्वारा दायर की गई रिट पिटीशन अदालत में है इसलिये इस बारे में कुछ अधिक कहना संभव नहीं है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मननीय मंत्री जी को पता है कि वन विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध श्री शिव प्रसाद द्वारा रिट दायर करने के कारण उनके पकड़े जाने और मारे जाने में उनकी भी साजिश थी? यदि नहीं, तो क्या वह इस बात की जांच करवाने की कृपा करेंगे?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, इस बात की जांच की गयी और उससे पता चला कि उनकी हत्या में वन विभाग के अधिकारियों की कोई साजिश नहीं है।

तृतीय सब-डिवीजन, सारदा सागर के कर्मचारियों को वेतन देर से मिलने की शिकायत

*५—**श्री प्रतापसिंह**—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एस० डी० ओ० तृतीय सारदा सागर डिवीजन लोहियाहेड के अन्तर्गत कार्य करने वाले कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनको गत ३ माह से वेतन नहीं मिला है?

श्री राममूर्ति—तृतीय सब-डिवीजन, सारदा सागर डिवीजन में, ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जिसको गत ३ माह, अगस्त, सितम्बर तथा अक्तूबर, १९६१ से मासिक वेतन नहीं मिला है।

*६—**श्री प्रतापसिंह**—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस डिवीजन के अन्तर्गत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त छुट्टियां भी कर्मचारियों को नहीं मिलती हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री राममूर्ति—समस्त कर्मचारियों को उनके वर्ग के लिये मान्यता प्राप्त छुट्टियां मिलती हैं?

*७—**श्री प्रतापसिंह**—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस डिवीजन की बस नम्बर १११० यू० पी० एम० पिछले माह में कितने बार लोहियाहेड से बाहर गई और किस-किस कार्य से?

श्री रामस्वरूप—बस नं० १११० यू० पी० एम०, अक्तूबर, १९६१ में लोहिया हेड के बाहर ३५ बार सरकारी कार्य हेतु बाहर गई ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय सिंचाई मंत्री यह बतायेंगे कि अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर का वेतन वहां के कर्मचारियों को कब दिया गया ?

श्री रामस्वरूप—इसके डिटेल्स तो मेरे पास नहीं हैं लेकिन माननीय सदस्य को जिस बात की शंका है उसका जवाब दे दूं । अक्सर यह होता है कि जब कोई छुट्टी पर जाता है तो छुट्टी से लौटने के बाद उस जमाने की तनख्वाह के बारे में हिसाब लगाया जाता है । कभी-कभी ऐसा हुआ कि कोई शख्स भी नौकरी में है वह छुट्टी पर चला गया और उस महीने की तनख्वाह उसको दे दी गयी, और वह छुट्टी से वापस नहीं आया । तो उतना रुपया बर्बाद समझा गया । तो गवर्नमेन्ट ने यह रूल बना दिया है जिसके अनुसार गजेटेड अफसरों के बारे में एकाउंटेंट जनरल तय करता है और नान-गजटेड स्टाफ के बारे में सरकारी अफसर उसके छुट्टी से आने के बाद तय करते हैं । उसमें अमूमन कुछ देर हो जाया करती है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को सूचना मानते हुए वहां पर समय से जो कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पाती है, ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे उनको समय से तनख्वाह मिल सके ?

श्री रामस्वरूप—कोशिश तो यही होनी चाहिए । इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए । कोई गलती हो तो उसको देखा जा सकता है।

*८—९—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—[हटा दिये गये ।]

[६ मार्च, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

एडीशनल सेशन जज, बहराइच के न्यायालय का मुदकमा नं० ६७

*१—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच के एडीशनल सेशन जज के न्यायालय से ट्रायल नं० ६७, सन् १९५० का निर्णय दिनांक २१ नवम्बर, १९६० को हो चुकने के बाद जो व्यक्ति अभी फरार हैं उनके पकड़े जाने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री नवलकिशोर—इस मुकदमे का कोई अभियुक्त फरार नहीं था और न किसी का चालान सफरी में किया गया था ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस मुकदमे में कुल कितने अभियुक्त थे ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, जो डकैती हुई थी उसमें यह था कि २०—२५ डाकू थे । मगर चालान सिर्फ चार का ही हुआ था । उसमें से दो को नौ-नौ साल की सजा हो गयी और दो छूट गये ।

हार्न कैंसर योजना

*२—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६०—६१ में पशुओं के सींगों के कैंसर रोग के कारण से संबंधित अध्ययन की योजना बनाई गई है और क्या इस योजना में व्यय होने वाली धनराशि का ५० प्रतिशत भारतीय कृषि शोध परिषद् को देने के लिये राज्य सरकार द्वारा लिखा गया है ?

श्री नवलकिशोर—जी हां ।

*३—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—यदि हां, तो क्या गृह मंत्री योजना की मुख्य मुख्य बातें बताने की कृपा करेंगे ?

श्री नवलकिशोर—योजना की मुख्य मुख्य बातें संलग्न नोट में दी हुई हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३६६ पर)

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना का अध्ययन किस योग्यता के व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है और प्रदेश को इस योजना का लाभ किस प्रकार प्राप्त होगा ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, प्रदेशीय पशु चिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा के अन्तर्गत यह योजना चल रही है। जो रिसर्च के इंचार्ज प्रोफेसर हैं वह इस काम को देख रहे हैं। हार्न कैंसर से बहुत कीमती जानवर नष्ट हो जाया करते हैं। इसके कारण मालूम करने के बाद यह आशा की जाती है कि जो हमारे जानवर इससे नष्ट हो जाते हैं वह आइन्दा नष्ट नहीं होंगे। इससे यह फायदा होगा।

*४-५—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—[२३ अगस्त, १९६१ को प्रश्न संख्या ५४-५५ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

मैनपुरी जिले में नलकूप विभाग के पुराने कर्मचारी

*६—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में ट्यूबवेल विभाग में ऐसे कर्मचारी कितने हैं जिनको मैनपुरी जिले में काम करते तीन साल से अधिक हो चुके हैं ?

श्री राममूर्ति—मैनपुरी जिले में ट्यूबवेल विभाग में ऐसे २१ कर्मचारी हैं।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो २१ कर्मचारी तीन साल से अधिक समय से हैं उनको बनाये रखने के क्या-क्या कारण हैं ?

श्री राममूर्ति—मान्यवर, यह जो २१ कर्मचारी हैं, यह सब नानगजटेड पोस्ट पर हैं। एक स्टेनोग्राफर है, सात क्लर्क्स हैं, एक ट्रेसर है, दो मुंशी हैं और चपरासी, बर्कन्दाज, हरकारे, दफेदार तथा भंगी इत्यादि हैं। इनके लिये कोई ऐसा रूल नहीं है कि तीन साल में ट्रांसफर हो ही जाय बल्कि ज्यादातर ये लोग जहां रखे जाते हैं वहीं रहते हैं।

बीहड़ के डाकुओं के विषय में पुलिस प्रमुखों की आगरा में कान्फ्रेंस

*७—श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत जून मास में आगरा में उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के पुलिस प्रमुखों की कोई सम्मिलित कांफ्रेंस हुई है जिसमें बीहड़ के डाकुओं के विषय में कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—जी हां।

कृषि योग्य भूमि के कटाव को रोकने के लिये योजना

*८—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कृषि भूमि के कटाव को रोकने के लिये इधर अभी हाल ही में कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है, वह किन-किन जिलों में लागू होगी और उसमें कितना रुपया कुल व्यय होगा ?

श्री नवलकिशोर—वांछित सूचना संलग्न सूची में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३६७ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इन जिलों को चुनने के लिये क्या आधार सरकार के पास हैं ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, जहां भूमि के कटाव की समस्या अधिक जटिल होती है वहां पर उनको छांट लेते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—यह घाघरा नदी के किनारे और गंगा के किनारे जो जिले पड़ते हैं इनको न लिये जाने के कारण क्या हैं ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, मेरे पास एक सूची है तमाम जिलों की जिनको लिया गया है अगर आप कहें तो मैं पढ़कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष—मैं सूची पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा। उनका प्रश्न यह है कि गंगा और घाघरा के किनारे के जिले क्यों नहीं लिये गये ।

श्री नवलकिशोर—गंगा के किनारे जैसे इलाहाबाद और कानपुर जिले हैं ये तो इसमें लिये गये हैं।

रिवर बोर्ड की स्थापना के लिए सहमति की मांग

*९—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार की ओर से बड़ी नदियों की घाटियों के विकास हेतु योजना बनाने के लिये अभी हाल ही में प्रदेशीय सरकार से कोई राय मांगी गई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री राममूर्ति—जी हां, भारत सरकार ने रिवर बोर्ड ऐक्ट, १९५६ के अन्तर्गत अन्तर्प्रदेशीय नदियों तथा नदी घाटियों के जल प्रवाह की उचित व्यवस्था करने तथा उनके विकास के निमित्त उपयुक्त कार्य करने के हेतु रिवर बोर्ड (River Board) की स्थापना के लिये, प्रदेश सरकार की सहमति मांगी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने सरकार से कब सहमति मांगी थी और प्रदेशीय सरकार द्वारा कब सहमति भेजी गई है ?

श्री राममूर्ति—हमारे यहां से एक जवाब तो गया था, जून सन् १९६१ में और दूसरा जवाब गया था सितम्बर सन् १९६१ में ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो उत्तर भेजा गया है इसमें घाघरा राप्ती नदी की घाटी योजना नाम की कोई बड़ी योजना जैसे दामोदर वैली कार्पोरेशन बनी हुई है, उस तरह की कोई योजना बनाकर भेजी गई है ?

श्री राममूर्ति—इसके डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब केन्द्रीय सरकार उस उत्तर पर क्या करने जा रही है, इसका आभास उन्हें मिला है ?

श्री राममूर्ति—इसकी भी कोई मालूमात हमारे पास नहीं है।

पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को नूरुल्लापुर ग्राम से शिकायती-पत्र

*१०—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नुरुल्लापुर, थाना मधुबन, जिला आजमगढ़ के कुछ किसानों का ४ मार्च, १९६१ का भेजा हुआ प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है जिसमें घर जलाने आदि की रिपोर्ट उक्त थाने में नहीं लिखे जाने की शिकायत की गई है ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गई ?

श्री नवलकिशोर—ऐसा एक प्रार्थना-पत्र उक्त ग्राम के कुछन कोइरी ने पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को भेजा था जिसकी जांच की गई। जांच से शिकायतें असत्य पाई गईं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच किससे कराई गई और दरख्वास्त देने वाले से पूछताछ की गई या नहीं ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, जांच सर्किल इंस्पेक्टर, जो मऊ के थे उनके द्वारा कराई गई। दरख्वास्त देने वाले से पूछा गया या नहीं इसकी तो इत्तला हमारे पास नहीं है। आशा है कि पूछा अवश्य गया होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय गृह मन्त्री जी फिर से इसकी जांच करायेंगे और जिसने दरख्वास्त दी है उससे भी पूछ-ताछ की जायगी ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, चूंकि जांच काफी हो गई है इसलिये कोई नयी जांच कराने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है।

बिल्हौर बीज गोदाम से रासायनिक खाद के वितरण में गड़बड़ी

*११—**श्री मदन पांडेय**—क्या यह सत्य है कि गृह मन्त्री को राज्य में रासायनिक खाद के वितरण में धांधली की सूचना हाल में प्राप्त हुई है तथा उन्होंने उसके सम्बन्ध में जांच भी करवाई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शिकायतें तथा जांच के परिणाम सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेगी ?

श्री नवलकिशोर—रासायनिक खाद के वितरण में गड़बड़ी की सूचना कानपुर जिले के बिल्हौर बीज गोदाम से प्राप्त हुई है जिसकी जांच सी० आई० डी० पुलिस कानपुर अभी कर रही है। बिल्हौर बीज गोदाम के लेखा की जांच भी की जा रही है। जांच अभी जारी है।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि यह सूचना सरकार को कब प्राप्त हुई और जांच हो रही है उसकी प्रगति क्या है और क्या उस सिलसिले में कुछ लोग मुअत्तल भी किये गये हैं ?

श्री नवलकिशोर—इसमें करीब २०,२२ कम्प्लेंट्स हैं। तारीख तो इस समय मेरे पास नहीं है। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उनको बतला दूंगा।

थानेदार, पनवाड़ी के विरुद्ध इस्तगासा

*१२—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या गृह मन्त्री का ध्यान पंडित मन्नूलाल जी द्विवेदी, एम० पी० के 'लोक राज' नामक समाचार-पत्र के ८ जून, १९६१ के अंक की ओर आकर्षित हुआ है जिसके अनुसार पनवाड़ी (हमीरपुर) के थानेदार ने रिटायर्ड कानस्टेबिल श्री उजागरसिंह के घर पर उसे, उसकी स्त्री, भाई, लड़के व बहू को मारा और स्त्री को चोटी पकड़ कर घसीटा व मारा तथा उनको बांध के ले जाकर हवालात में बन्द कर दिया था ?

श्री नवलकिशोर—जी नहीं, उक्त समाचार-पत्र को तो मैंने नहीं देखा, पर इस सम्बन्ध में प्राप्त की गई सूचना से विदित होता है कि दिनांक १५-६-६१ को श्री निहाल-सिंह पुत्र उजागरसिंह ने ए०डी०एम०जे० हमीरपुर के न्यायालय में एक इस्तगासा थानेदर पनवाड़ी कांसटेबिल गयादीन ग्राम चौकीदार खुम्मन के विरुद्ध इस आशय का दायरा किया कि उक्त तीनों व्यक्तियों ने उसे तथा उसके पिता को डण्डों से मारा और रस्सी अंगोछे से बांध कर ले जाकर थाने में बन्द कर दिया। उसमें इसका उल्लेख नहीं है कि उजागर-सिंह की स्त्री, भाई व बहू को भी मारा गया या उसकी स्त्री की चोटी पकड़ कर घसीटा गया और बांध कर ले जाया गया।

*१३—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या गृह मन्त्री को पता है कि उक्त तीनों आदमियों का चालान महोबा कर दिया गया था और जो व्यक्ति मार पीट के कारण चलने योग्य नहीं था उसको गाड़ी पर भेजा गया था तथा उक्त थानेदार ने राठ के थानेदार के भतीजे से दफा ३३२ में उक्त लोगों के अलावा अन्य छः सात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा कायम कर दिया है ?

श्री नवलकिशोर—पुलिस ने उजागरसिंह, उनके भाई, चन्दभान सिंह, पुत्र निहालसिंह, स्त्री श्रीमती राजरानी को गिरफ्तार किया था, जिसमें श्रीमती राजरानी को छोड़कर शेष तीनों व्यक्तियों का चालान महोबा कर दिया गया था। श्रीमती राजरानी को उसी दिन जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उक्त तीनों व्यक्तियों में कोई ऐसा नहीं था जो चल सकने के योग्य न रहा हो और उसे गाड़ी पर ले जाया गया हो। उपर्युक्त चारों व्यक्तियों को मिला कर प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिये हुये दसों अभियुक्तों का चालान किया गया।

श्री लक्ष्मणराव कदम—माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि क्या इस मामले का फैसला हो गया है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री नवलकिशोर—अभी यह मामला कोर्ट में चल रहा है।

*१४—श्री लक्ष्मणराव कदम—[हटा दिया गया।]

*१५—श्री भजनलाल (जिला इटावा)—[६ठे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ३५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१६—श्री रामस्वरूप वर्मा—[७वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या २८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जयहिन्द मजदूर सभा, जिला मिर्जापुर का प्रार्थना-पत्र

*१७—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जयहिन्द मजदूर सभा, जिला मिर्जापुर की ओर से जिलाधीश, मिर्जापुर को अप्रैल, १९६१ के अन्तिम सप्ताह में कोई ऐसा पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें मेसर्स ई० लेकटन एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, मिर्जापुर के पुराने मजदूरों को पिटवाने आदि की घटनाओं की रोक-थाम व जांच की प्रार्थना की गई थी ? यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नवलकिशोर—जी हां, एक ऐसा पत्र प्राप्त हुआ था परन्तु जांच से उसमें कम्पनी के विरुद्ध लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये। मारपीट की एक मामूली घटना सही पाई गई किन्तु उसकी रिपोर्ट अहस्तक्षेप्य (नान-कोग्निजेबुल) होने के कारण कोई कार्यवाही न की जा सकी।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी कृपया स्पष्ट करेंगे कि जब मारपीट हुई और जैसा कि पत्र में वर्णित था कि कम्पनी द्वारा कुछ गुण्डों को बुलाकर मजदूरों को पिटवाया तो मामला १४७ जाबते की दफा में क्यों नहीं चलाया गया ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, जैसा कि जांच से पता चला कि मारपीट हुई है जो वह मिस्ली था सरसरी, तो वह नान-कागनेजेबिल आफेंस था। इसलिये उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि यद्यपि मारपीट की घटना नान-कागनेजेबिल तरीके पर थी इसलिये उसमें पुलिस द्वारा ऐक्शन नहीं लिया गया, लेकिन झगड़ा कुछ बातों को लेकर हुआ था और इसके कुछ कारण हुये होंगे। इसलिये मन्त्री जी बतलायेंगे कि वह कारण क्या थे जिसकी वजह से झगड़ा हुआ ?

श्री नवलकिशोर--मान्यवर, यही कारण था कि कम्पनी ने तालाबन्दी की घोषणा की थी और उसी दिन कर्मचारियों ने हड़ताल की घोषणा की थी। कर्मचारियों ने समझा कि कम्पनी नये आदमियों को लेना चाहती है और उनको वहां से हटाना चाहती है। इसी वजह से आपस में मनमुटाव था।

थानेदार जलालपुर के विरुद्ध कार्यवाही

*१८--**श्री रामस्वरूप वर्मा**--क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जलालपुर थाना, जिला जौनपुर के दरोगा के खिलाफ उनके पास अप्रैल व मई, १९६१ में कितनी शिकायतें आई हैं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

श्री नवलकिशोर--३ शिकायती-पत्र प्राप्त हुये जो जांच तथा उचित कार्यवाही के लिये जिलाधीश को भेजे गये। जांच से जुर्म को घटा कर दिखलाने (minimiza ion) की केवल एक शिकायत सही पाई गई जिसके फलस्वरूप, थाने के दरोगा के विरुद्ध पुलिस ऐक्ट की धारा ७ के अन्तर्गत कार्यवाही की गई और दो वर्षों के लिये उनका वेतन १८० रुपये प्रति मास से घटा कर १६८ रुपये कर दिया गया।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि उक्त दरोगा के खिलाफ इसके लिये वेतन घटाने के अतिरिक्त और कोई दूसरी कार्यवाही की गई या नहीं और साथ ही साथ जिस घटना को मिनिमाइज करके उन्होंने दिखाया उस घटना के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री नवलकिशोर--मान्यवर, दफा ७ में जो प्रोसीडिंग हुई उनमें उसकी पे कम की गई और मैं समझता हूं कि यह काफी पनिश्मेंट है। दूसरे भाग के सम्बन्ध में मेरे पास यहां सूचना नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मन्त्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जिस घटना को मिनिमाइज कर के अंकित किया गया है उसे सही रूप में अंकित कर के उस पर आवश्यक कार्यवाही की जाय ?

श्री नवलकिशोर--इसे देख लिया जायगा।

इटावा जिले में क्षतिग्रस्त फसल के लगान में छूट

*१९--**श्री भजनलाल**--क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिला के अन्दर सन् १९६१ में ओला बारिश से रबी की फसल को जो क्षति पहुंची है उस सम्बन्ध में कुल कितने एरिया का कितना आबपाशी का रुपया माफ किया गया है ?

श्री राममूर्ति--२१९४ बीघे ११ बिसवे सिंचित क्षेत्र में ९६५१.०२ रुपये की छूट सिंचाई कर में दी गई।

*२०--**श्री भजनलाल**--क्या सिंचाई मन्त्री आबपाशी की माफ की गई तालिका गांव-वार देने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति--तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३६८ पर)

श्री भजनलाल---क्या सिंचाई मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो तालिका दी गई है छूट की वह नहीं के बराबर है। इनसे सम्बन्धित जो बीच के मौजे हैं जैसे भाउपुर, रहट का पुरवा, गाजीपुर, लोहयापुर, सहबदिया, रुदौली, बमरीपुर, चिचौली, तुरकीपुरवा, चित्तरसिंह सुन्दरीपुर, बहादुरपुर, अंगुठिया आदि के ओले से भयंकर क्षति हुई है और उनको आबपाशी की छूट में शामिल नहीं किया गया है? क्या इन मौजों की भी जांच कराकर जो आबपाशी वसूल कर ली गई है मन्त्री जी उसे माफ कराने की कृपा करेंगे?

श्री रामभूति---माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग के सम्बन्ध में तो यह निवेदन करना है जो नियम बने हुये हैं उनके अनुसार छूट दी जाती है। दूसरे भाग का जहां तक सम्बन्ध है, उसमें यह निवेदन है कि जिन गांवों पर छूट दी गई है उनकी सूचना मैंने दी। यदि माननीय सदस्य इस सूचना को लिख कर भिजवा देंगे तो उसकी जांच करवा ली जायगी और जो कुछ हो सकता है वह करने का प्रयत्न किया जायगा।

आत्मसमर्पणकारी डाकुओं के मामले निपटाने के लिये एडीशनल जज की नियुक्ति पर विचार

*२१---श्री मदन पांडेय---क्या यह सत्य है कि सरकार ने आदरणीय विनोबा भावे के सामने आत्मसमर्पण करने वाले डाकुओं के मामलों को निपटाने के लिये किसी विशेष जज की नियुक्ति के लिये इलाहाबाद हाई कोर्ट से अनुरोध किया है?

श्री नवलकिशोर---जी नहीं। प्रश्न विचाराधीन है।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस सूबे में विनोबा जी के सामने आत्मसमर्पण करने वाले डाकुओं की संख्या क्या है और किसी जज की नियुक्ति के लिये इस समय तक क्या व्यवस्था की गई है?

श्री नवलकिशोर---संख्या तो मेरे पास यहां है नहीं, लेकिन २१ अप्रैल, १९६१ को आई० जी० पुलिस ने इस तरह का प्रपोजल भेजा था कि जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है उनके मुकदमों को निपटाने के लिये एक स्पेशल मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाय। इस पर सरकार ने विचार किया और यह फैसला किया कि स्पेशल मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक स्पेशल जज की नियुक्ति के बारे में हाईकोर्ट से बात की जायगी और उसकी सहमति मिलने पर उन्हें इसके लिये सम्मति दी जायगी। चूंकि अब कुछ ऐसे डाकुओं को सेशन सुपुर्द कर दिया गया है इसलिये एडीशनल जज की नियुक्ति का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री मदन पांडेय---क्या अभी कुछ डाकुओं के ऐसे केसेज हैं कि जिनको सेशन सुपुर्द नहीं किया गया है और उनके मामले लोअर कोर्ट में चल रहे हैं? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है?

श्री नवलकिशोर---इतना ब्योरा इस समय नहीं है, लेकिन जो है उससे यह स्पष्ट है कि जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है उन सभी के मामले सेशन में नहीं पहुंचे हैं।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मन्त्री जी को सूचना है कि इन डाकुओं को जेल में इतनी ज्यादा सुविधा दी गई जितनी कि राजनीतिक बन्दियों को भी नहीं दी जाती?

श्री नवलकिशोर---इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि हाईकोर्ट में जो जज नियुक्त करने की बात सरकार के विचाराधीन है, उस पर विचार कब तक समाप्त हो जायगा अथवा इस विषय में कोई निर्णय हो चुका है?

श्री नवलकिशोर--विचाराधीन के माने हैं कि अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है ।

कटरा, इलाहाबाद से पुलिस के खिलाफ मुकदमे

*२२--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद में मुहर्रम के अवसर पर मुहल्ला कटरा में वहां के बहुत से नागरिकों के मकान के दरवाजों को तोड़ कर बहुत से आदमियों को गिरफ्तार किया गया था ? यदि हां, तो उसमें कितने आदमी पकड़े गये और उनके विरुद्ध कौन-कौन सी दफा में मुकदमा चलाया गया ?

श्री नवलकिशोर--जी नहीं ।

एक अभियुक्त ने अपने घर के अन्दर घुसकर दरवाजा बन्द कर लिया था। पुलिस ने धक्का देकर दरवाजा खोला और उसे गिरफ्तार किया।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*२३--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद के मुहर्रम के अवसर पर मुहल्ला कटरा में कितने मुकदमे नागरिकों की ओर से पुलिस के विरुद्ध कोर्ट में दायर किये गये हैं ?

श्री नवलकिशोर--नागरिकों की ओर से पुलिस के विरुद्ध ६ मुकदमे अदालत में दायर किये गये ।

श्री कल्याणचन्द्र मोहिले--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जैसा कि उत्तर दिया गया है, एक अभियुक्त ने अपने घर में घुस कर दरवाजा बन्द कर लिया तो वह अभियुक्त कौन था ? फिर उत्तर में "जी नहीं" क्यों कहा है ?

श्री नवलकिशोर--उसका नाम रामलखन है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। आपने उत्तर दिया "जी नहीं", और कहते हैं कि अभियुक्त दरवाजा तोड़ कर घर में घुस गया और वहां पकड़ा गया। तो यह अभियुक्त कौन था ?

श्री अध्यक्ष--वह उत्तर दे दिया। प्रश्न में बहुत से आदमियों की गिरफ्तारी के बारे में पूछा गया था, उसका उत्तर "जी नहीं" है। वे कहते हैं कि एक का पीछा किया गया और दरवाजा खोल कर उसको पकड़ा गया। उसमें कोई विरोधाभास नहीं है, वह ठीक है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह ६ मुकदमे किस दफा में पुलिस के खिलाफ दायर किये गये और किन लोगों ने दायर किये ?

श्री नवलकिशोर--किन लोगों ने दायर किये वे नाम तो इस समय मेरे पास हैं नहीं, मगर ६ मुकदमे दायर हुये जिसमें १ खारिज हो गया और ५ विचाराधीन हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस स्थान पर यह अभियुक्त पकड़ा गया था वहां और भी अभियुक्त पकड़े गये थे ?

श्री नवलकिशोर--सबसे पहले २०-२१ जून को दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे और उनको जमानत पर छोड़ दिया गया था।

बदायूं जिले में नलकूपों से सिंचाई

*२४—श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५९–६० में जिला बदायूं में ट्यूबवेल की सिंचाई से कितनी आय हुई और सन् १९६०–६१ में कितनी? यदि कम हुई, तो क्यों?

श्री राममूर्ति—१९५९–६० में बदायूं जिले में ट्यूबवेल की सिंचाई से १४,१०,५१९ रुपये और १९६०–६१ में १०,०२,७२४ रुपये की आय हुई। आय कम होने के कारण इस प्रकार हैं—

(१) बिजली की बहुत अधिक और बेतरतीबवार गड़बड़ी (break down) जिसके कारण नलकूप जिस समय जरूरत थी न चल सके।

(२) समय पर पर्याप्त वर्षा हो जाना जिसकी वजह से नलकूप कम चले। इसके अतिरिक्त जून जुलाई में वर्षा हो जाने से पलेवा नहीं किया गया।

(३) ७० नलकूप ऐसे थे जो या तो बिलकुल फेल हो गये थे या उनका (discharge) बहुत कम हो गया था।

*२५—श्री टीकाराम—क्या सरकार बतायेगी कि जिला बदायूं में अप्रैल, १९६० से अप्रैल, १९६१ तक तहसील बिसौली-बदायूं-दातागंज सहसवान में कितने ऐसे ट्यूबवेल हैं जो बन्द पड़े रहे और उनसे सिंचाई नहीं हुई?

श्री राममूर्ति—बदायूं, बिसौली और सहसवान इन तीन तहसीलों में केवल ऐसे ११ नलकूप के जो अप्रैल, १९६० से अप्रैल, १९६१ तक बिलकुल बन्द रहे, क्योंकि वे बिलकुल फेल हो गये थे। चौथी तहसील दातागंज के बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री टीकाराम—मन्त्री जी ने जो उत्तर में बिजली में गड़बड़ी बताई, तो वह क्या गड़बड़ी हो गयी थी?

श्री राममूर्ति—बिजली तो अपनी स्टेट में जरूरत से बहुत कम है और जब रोस्टरिंग होती है तब तो उसके कारण बिजली और कम हो जाती है वह कमी आहिस्ता-आहिस्ता दूर होती जा रही है और वह ठीक हो रही है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि सन् १९५९–६० की अपेक्षा १९६०–६१ में सरकार को जब ४ लाख रुपये का घाटा हुआ तो किसानों को सिंचाई न मिलने से कितना नुकसान हुआ होगा उसका भी सरकार ने कोई हिसाब लगाया और उनको कोई मुआवजा देने की कृपा की?

श्री राममूर्ति—उसका तो कोई हिसाब नहीं है, और न उसका कोई प्रश्न ही पूछा गया।

श्रीनगर-रुद्रपुर सड़क पर मोटर दुर्घटनाग्रस्त यात्रियों का सामान लूटे जाने की शिकायत

*२६—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या गृह मन्त्री का ध्यान दिनांक ११ अगस्त, १९६१ के दैनिक "तरुण भारत" में छपे समाचार "दुर्घटनाग्रस्त यात्रियों को लूटा गया चमोली-श्रीनगर बस दुर्घटना का लोमहर्षक विवरण" की ओर गया है? अगर हां, तो श्री पेशाकी लाल ने जो यह बताया कि दुर्घटना के बाद मृतक यात्रियों के सामान, जेवर व नकदी व महिला यात्री के गले की सोने की जंजीर तथा स्वयं उनका सामान छीना गया, यह बात कहां तक सच है और सरकार ने इस मामले में अब तक क्या-क्या किया है?

श्री नवलकिशोर—जी हां। सम्बन्धित दुर्घटना २१-७-६१ को श्रीनगर-रुद्रप्रयाग सड़क पर हुई थी। इस बारे में ऐसी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई कि किसी मृत या जीवित यात्री का सामान, जेवर, नकदी या किसी महिला यात्री के गले से सोने की जंजीर छीनी गयी।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मन्त्री जी बतान की कृपा करेंगे कि इस दुर्घटना के बारे में ११ अगस्त को अखबार द्वारा और २५ सितम्बर को मेरे द्वारा जब सरकार को ज्ञात हो गया था तो क्या वजह है कि अजखुद इसकी जांच नहीं करवाई, जबकि यात्रियों को लूटे जाने का गम्भीर विषय था ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, यह बात सही नहीं है कि इसकी जांच नहीं हुई। जांच करायी गयी और ये जो आरोप लगाये गये हैं ये असत्य पाये गये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मन्त्री जी को जांच से या कहीं और से पता लगा है कि जो यात्री बसों की दुर्घटनाओं में गिरे हैं उन बसों पर उनका कुछ सामान गायब हो गया ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, वास्तविकता इसके बिलकुल विपरीत है। जिनकी मृत्यु हुई उनका सामान उनके सम्बन्धियों को दे दिया गया और जिनकी पहिचान नहीं हो सकी उनका सामान मालखाने में मौजूद है।

(इस समय २ बजकर ४६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

*२७—**श्री गोविंदसिंह विष्ट**—[हटा दिया गया।]

बाराबंकी जिल में मोटर दुर्घटनायें

*२८—**श्री नत्थाराम रावत** (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में १ जुलाई से १० अगस्त सन् १९६१ ई० के बीच कितनी मोटर दुर्घटनायें हुईं और उसमें कितने व्यक्ति मरे, कितने व्यक्ति जख्मी हुए तथा इन व्यक्तियों का पता क्या है ?

श्री नवलकिशोर—जी हां। मांगी गई सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३६९ पर)

श्री नत्थाराम रावत—माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि मोटर दुर्घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं तो उसकी रोकथाम के लिये सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, इस सम्बन्ध में जो ट्रांस्पोर्ट विभाग है और पुलिस विभाग है वह समय-समय पर अपने लाउड स्पीकर से अनाउन्स करता है सड़क पर भीड़-भाड़ कम हो और जो नियम है सड़क पर चलने के उनका सही-सही पालन किया जाय।

श्री नत्थाराम रावत—पुलिस क लोग तो जिम्मेदार मान जाते हैं, लेकिन जब कि नियम है कि ट्रकों पर बाहरी लोग नहीं बैठ सकते हैं, अधिकांश लोग पुलिस वाले ही हैं जो बैठते हैं, तो जब पुलिस खुद नियम तोड़ती है तो उसके लिये क्या काम किया जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष—आपका मतलब है कि उन पुलिस वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्री नवलकिशोर—यह तो दूसरा प्रश्न हुआ, लेकिन अगर यह बताया जायगा और अगर कोई नियम का उल्लंघन होगा तो उसके ऊपर जांच की जायगी।

श्री नत्थाराम रावत--क्या सरकार को ज्ञात है कि अधिकांश ड्राइवर शराब पीकर ड्राइव करते हैं और ट्रक वगैरह पर जो नम्बर प्लेट होती है वह खराब होती है, पढ़ी नहीं जाती, तो भविष्य में कोई दुर्घटना न हो इसके लिये क्या प्रबन्ध कर रहे हैं ?

श्री नवलकिशोर--सरकार को पता नहीं है कि सभी ड्राइवर शराब पीकर ड्राइव करते हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि न पीयें तो अच्छा है ।

पुखरायां से पुलिस के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*२९--**कुंवर श्रीपालसिंह** (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)--क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको पुखरायां (कानपुर) से दिनांक २६ जुलाई, १९६१ को गुन्डागर्दी बढ़ने तथा पुलिस के खिलाफ निष्क्रियता के आरोपों के साथ कोई शिकायती-पत्र मिला है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री चरणसिंह--ऐसे किसी शिकायती-पत्र का प्राप्त होना नहीं पाया जाता । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*३०-३१--**श्री भुवनेशभूषण शर्मा** (जिला इटावा) तथा **श्री नारायनदत्त माहेश्वरी**--[हटा दिये गये ।]

नागोदिहा निवासी श्री गुरुप्रसाद दास की हत्या

*३२--**श्री लक्ष्मणराव कदम** तथा **श्री झारखंडेराय**--क्या सरकार को पता है कि ग्राम नागोदिहा (बहराइच) के श्री गुरु प्रसाद दास नामक कांग्रेस कार्यकर्ता का जबकि वह अपने घर पर ९ अगस्त, १९६१ को बैठे थे कुछ हथियार बन्द लोगों ने बन्दूक के कई फायरों द्वारा उन्हें धराशायी करने के बावजूद कुल्हाड़ियों से निर्दयता पूर्वक उनका वध तथा उनके अंग-भंग कर दिये ? यदि हां, तो क्या हत्यारों का कोई पता लगा ?

श्री नवलकिशोर--जी हां । इस प्रकार की घटना हुई थी जिसमें मृतक पर दो फायर किये गये और भाला, बेरू व गड़ासे से उन्हें चोटें पहुंचाई गईं परन्तु उनके अंग-भंग नहीं किए गए ।

सभी नामजद अभियुक्तों का चालान धारा १४७, १४८, १४९, ३०२, ३०३ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत किया गया था, किन्तु वे न्यायालय से बरी हो गये ।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार ने खुद फैसले के विरुद्ध कोई अपील की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नवलकिशोर--इसकी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

फतेहपुर में एक्साइज निरीक्षकों के हाथों दो व्यक्तियों की मृत्यु

*३३--**श्री हरदयालसिंह** (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को पता है कि दिनांक ८ अगस्त, १९६१ को, समय लगभग १० बजे सुबह, ग्राम फतेहपुर, थाना अल्हागंज, जिला शाहजहांपुर में दो व्यक्तियों के खून इक्साइज निरीक्षकों के रिवाल्वर द्वारा किये गये हैं ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं, घटना इस प्रकार है कि ग्राम फतेहपुर में इक्साइज निरीक्षकों ने नाजायज अफीम बरामद करके २ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया । गांव वालों ने इसका विरोध किया और लाठियों तथा तमंचे से आक्रमण कर अभियुक्तों को छुड़ा लिया । इक्साइज निरीक्षकों को अपने व अन्य कर्मचारियों के रक्षार्थ रिवाल्वर (पिस्तौल) चलाने पड़े जिसके फलस्वरूप दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई ।

*३४—श्री हरदयालसिंह (अनुपस्थित)—क्या यह भी सही है कि दोनों कर्मचारियों ने अपने बचाव में अपने ही सिपाहियों को गोली मारकर घायल किया है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं।

*३५—श्री हरदयालसिंह (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या सरकार न्यायिक जांच द्वारा यह पता लगाने की कृपा करेगी कि गांव के व्यक्तियों का कत्ल करने तथा इक्साइज सिपाही को घायल करने में एक ही किस्म के उक्त सरकारी हथियार, रिवाल्वर का प्रयोग हुआ है ?

श्री चरणसिंह—इसका प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद में श्री डी० एस० मेहरोत्रा के घर चोरी

*३६—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद का मुहल्ला दरभंग कालोनी में सोमवार, दिनांक २१ अगस्त, १९६१ की रात को श्री डी० एस० मेहरोत्रा के यहां डकैती पड़ी ? यदि हां, तो इस घटना में कितने आदमी पकड़े गये और कितना धन लूटा गया ?

श्री नवलकिशोर—सूचना ऐसी है कि डकैती नहीं पड़ी थी, बल्कि श्री मेहरोत्रा के घर में चोरी अवश्य हुई थी जिसमें ८,२२५ रु० की लागत का सामान चोरी जाना लिखाया गया है। कोई आदमी पकड़ा नहीं गया है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इस घटना से संबंधित कई एक गिरफ्तारियां हुई हैं ?

श्री नवलकिशोर—मैंने शुरू में उत्तर में कह दिया कि कोई आदमी पकड़ा नहीं गया है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—जिनके यहां घटना हुई उनके कितने लोग जख्मी हुए और मारे-पीटे गये ?

श्री नवलकिशोर—इसमें कोई मार-पीट की बात तो है नहीं।

सिंचाई विभाग से ड्राफ्ट्समैनों का अलग किया जाना

*३७—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चीफ इंजीनियर सिंचाई विभाग द्वारा २६ फरवरी, १९५९ को व बाद में १९६० में कोई सीनियारिटी लिस्ट विभाग में अस्थायी ड्राफ्ट्समैनों की निकली थी जिसमें उनकी सीनियारिटी के लिहाज से स्थायीकरण की बात कही गयी थी ? यदि हां, तो उनमें से कितने और कब स्थायी किये गये ?

श्री राममूर्ति—जी हां। १९६० में अन्तिम रूप से सिंचाई विभाग के अस्थाई ड्राफ्ट्समैनों की एक प्रान्तीय वरीयता सूची बनाई गई थी। इस सूची के आधार पर ४७ अस्थाई ड्राफ्ट्समैनों को २३-९-६० के आदेश से स्थाई कर दिया गया था।

*३८—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या उपर्युक्त लिस्टों में से कुछ ड्राफ्ट्समैन सेवा मुक्त भी कर दिये गये ? यदि हां, तो कितने कर्मचारी सेवा मुक्त हुए और उनकी सेवा विभाग में कितने दिनों की थी ?

श्री राममूर्ति—जी हां। उपर्युक्त लिस्ट में से २९ अस्थाई ड्राफ्ट्समैनों को उक्त पद के लिये अयोग्य पाये जाने के कारण एक मास का नोटिस देकर हटा दिया गया। इनका विवरण संलग्न है।

इनमें से २१ व्यक्तियों को विभाग में अन्य पदों पर नियुक्त कर लिया गया है। शेष ८ में से ३ व्यक्ति, जिनको रोटीन ग्रेड क्लर्क के पद पर नियुक्त किया गया उपस्थित नहीं हुए और २ ने इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार केवल ३ व्यक्ति ही ऐसे बचे जिन्हें विभाग में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया गया।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३७० पर)

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ड्राफ्ट्समैन अलग किये गये और जो स्थायी किये गये उन दोनों में क्या विभिन्नता थी जिससे वह अलग कर दिये गये और वह रख लिये गये थे?

श्री राममूर्ति—यह तो जब कमेटी बैठी और उसने जो टेक्निकल बातें पूछी होंगी, उनका उत्तर देने पर किया गया होगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या मन्त्री जी को पता है कि इसमें बहुत से लोग ऐसे अलग कर दिये गये जो १०-१२ वर्ष से उस काम को कर रहे थे और एक्सपर्ट थे?

श्री राममूर्ति—यह तो माननीय सदस्य का खयाल है कि १०-१२ साल में हर एक एक्सपर्ट हो जाता है। अगर १०-१२ साल के बाद कोई नाकाबिल समझा जाता है तो हटा दिया जाता है, यह डिपार्टमेंट के देखने की चीज है।

तिकौनिया मण्डी का हत्याकांड

*३९—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर), श्री शिवराम (जिला बिजनौर) तथा श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—क्या सरकार को पता है कि जिला खीरी के तिकौनिया मण्डी में दिनांक १२-१३ जनवरी, १९६१ की रात को एक व्यक्ति तथा उनकी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी गई? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री नवलकिशोर—जी हां। धारा ४९० भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत थाने पर मुकदमा काइम किया गया था और विवेचना की गई पर अपराधियों का पता नहीं चल सका इसलिये अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई।

*४०—श्री हिम्मतसिंह, श्री शिवराम तथा श्री मन्नालाल—क्या यह सही है कि हत्या करके उनके घर का सारा सामान भी लूट लिया गया? यदि हां, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री नवलकिशोर—लगभग ४०० रु० के मूल्य का सामान अभियुक्त गण चुरा ले गये। अभियुक्तों व माल का पता नहीं चल सका।

श्री हिम्मतसिंह—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि किसके द्वारा इंक्वायरी की गयी?

श्री नवलकिशोर—जो वहां के थानेदार थे उन्होंने उसकी इंक्वायरी की।

(इस समय ३ बजकर ५३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इटौंजा थाना सम्बन्धित विभिन्न अपराध तथा थानदारों के विरुद्ध शिकायतें

*४१—श्री नत्थाराम रावत—क्या सरकार बताने की कृपा करगी कि लखनऊ जिले के इटौंजा पुलिस थाने में १ मई, सन् १९६१ से २३ अगस्त, १९६१ तक कितनी डकैती, कितने कत्ल, कितनी चोरियां तथा कितने अन्य अपराधों की रिपोर्टें दर्ज हुईं और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री नवलकिशोर—वांछित सूचना संलग्न विवरण पत्र "क" में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३७१ पर)

*४२—श्री नत्थाराम रावत—उपर्युक्त काल में वहां के इन्चार्ज थानेदार और सहायक थानेदार के वि रुद्ध कितनी, कौन-कौन शिकायतें हुईं और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री नवलकिशोर—वांछित सूचना संलग्न विवरण-पत्र "ख" में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३७२ पर)

श्री नत्थाराम रावत—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस अधिकारी के द्वारा जांच करायी गयी तथा शिकायत करने वाले व्यक्ति से पूछा गया या नहीं ?

श्री नवलकिशोर—यह जांच डिप्टी एस० पी० कम्प्लेन्ट के द्वारा करायी गयी।

श्री नत्थाराम रावत—शिकायत करने वाले व्यक्तियों से भी पूछा गया या नहीं ?

श्री नवलकिशोर—यह तो मैं नहीं कह सकता। मैं समझता हूं जरूर पूछा गया होगा, क्योंकि आम तौर से पूछा जाता है।

"तरुण भारत" में प्रकाशित 'गोहत्या' संबंधी समाचार की जांच

*४३—कुंवर श्रीपालसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार का ध्यान लखनऊ से प्रकाशित होने वाले "तरुण भारत" नामी दैनिक समाचार-पत्र के ३१ जुलाई, १९६१ के अंक में प्रकाशित "मेरठ में प्रति दिन १ हजार गाय, बैलों की हत्या" शीर्षक समाचार की ओर गया है जिसमें गोहत्या निरोध समिति की एक विज्ञप्ति का उल्लेख किया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने इसके विरुद्ध (यानी हत्याओं के) कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तो क्या ?

श्री चरणसिंह—इस प्रश्न के प्राप्त होने पर कथित समाचार पत्र के सम्बन्धित उद्धरण प्राप्त किये गये और उसकी उचित जांच कराई गई। जांच से यह पता चला कि पत्र में प्रकाशित समाचार सर्वथा निराधार है।

खटीमा से कन्या का अपहरण

*४४—श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)—क्या गृह मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गत २५ जून को प्रातः बनबसा कैनाल वर्कशाप (खटीमा-नैनीताल) के वेल्डर श्री रामचन्द्र पर्वतीय की १७ वर्षीय कन्या को कतिपय गुन्डे मकान से बाहर सोते समय जबरदस्ती उठा ले गये और वह अब तक गायब है ?

श्री चरणसिंह—उक्त वर्कशाप में रामचन्द्र पर्वतीय नाम का कोई वेल्डर नहीं है। २५ जून, १९६१ को श्री बहादुर चन्द्र नामक एक व्यक्ति की १२-१३ वर्षीय कन्या को कुछ लोग सोते समय उठा ले गये थे। कन्या का पता लग चुका है और वह इस समय रेस्क्यू होम हल्द्वानी में है।

*४५—श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)—क्या गृह मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि अपहृत कन्या के पिता श्री रामचन्द्र पर्वतीय इस घटना की रिपोर्ट लिखाने टनकपुर थाना गये तब से वह भी लापता हैं ?

श्री चरणसिंह—कन्या के पिता ने स्वयं थाने पर कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई। वे लापता अवश्य हैं। कहा जाता है कि वे अपनी पुत्री की तलाश में गये थे और तब से अभी तक वापस नहीं आये हैं।

*४६—श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन घटनाओं के विषय में क्या कार्यवाही की गई और उसका क्या फल हुआ ?

श्री चरणसिंह—लड़की के भगाये जाने के संबंध में एक मुकदमा थाना टनकपुर में कायम किया गया। दो अभियुक्तों का चालान हो चुका है, दो अभियुक्त और गिरफ्तार हो चुके हैं जिनकी कार्यवाही शिनाख्त होना बाकी है और शेष दो अभियुक्त जो अभी फरार हैं के विरुद्ध धारा ८७/८८ जाब्ता फौजदारी के वारन्ट जारी किये गये हैं।

लड़की के पिता के गायब हो जाने के संबंध में थाना टनकपुर में दरयाफ्त हाल जारी है।

जालौन जिले में पानी निकासी के संबंध के नालों तथा बेतवा से माइनरें निकालने की योजना

*४७—राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन में बेतवा कैनाल में से कितनी माइनरें तृतीय पंचवर्षीय योजना में निकाली जा रही हैं तथा उनमें से कितनों में कार्य प्रारम्भ हो गया है और उसके कब तक पूरा होने की आशा है ?

श्री राममूर्ति—तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में ५२ माइनरें निकालने का प्रस्ताव है। इनमें से तीन माइनरों पर कार्य शुरू किया जा चुका है। इस कार्य के मार्च, १९६२ तक पूर्ण होने की आशा है।

*४८—राजा वीरेन्द्रशाह (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन में पानी निकालने वाले नाले कहां से कहां तक बन गये और क्या उसमें ग्राम चाकी का नाला भी शामिल है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—जिला जालौन में बनाये गये पानी निकालने वाले नालों के नाम संलग्न सूची में दिये हुये हैं। इसमें चाकी का नाला भी शामिल है। यह नाले कहां से कहां तक बने हैं इसकी सूचना अभी एकत्रित नहीं हो सकी है।

(देखिये परिशिष्ट 'झ' आगे पृष्ठ ३७३ पर)

*४९—राजा वीरेन्द्रशाह (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि जिन-जिन रास्तों पर पुलिया न होने की वजह से नहर का पानी भर जाता है और जनता को कष्ट होता है वहां नहर विभाग पुलिया बनवायेगा ऐसा सरकार ने तय किया है ? यदि हां, तो जिला जालौन में रामपुरा से जगम्मनपुर वाली सड़क पर जो पानी भर जाता है उस पर सरकार पुलिया बनवा देगी ?

श्री राममूर्ति—इस प्रश्न का संबंध विकास विभाग से है। ऐसी पुलियायें बनाने के लिये ब्लाक ग्रांट्स से धन उपलब्ध कर दिया जाता है और यदि संबंधित ग्राम सभा चाहे तो इस पुलिया को बनवा सकती है।

जौनपुर जिले में चमरिया नाला बांध तथा बेलवार बांध की मरम्मत

*५०—श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में चमरिया नाला बांध तथा बेलवार बांध के पुर्ननिर्माण का कार्य कब से प्रारम्भ हुआ ?

श्री राममूर्ति—पुर्ननिर्माण नहीं बल्कि मरम्मत का कार्य क्रमशः १६ तथा ९ जून, १९६१ को प्रारम्भ हुआ।

*५१—श्री नागेश्वरप्रसाद—उपर्युक्त बंधियों के पुर्ननिर्माण के कार्य में ३१ जुलाई, सन् १९६१ तक कुल कितनी मिट्टी पड़ी है ?

श्री राममूर्ति—इनकी मरम्मत में ३१ जुलाई, १९६१ तक क्रमशः लगभग २५,००० घनफुट तथा ८०,००० घनफुट मिट्टी पड़ी है।

*५२—श्री नागेश्वरप्रसाद—क्या बांधों के कई बार टूटने और पानी का अधिक दबाव का ध्यान रख कर इन बांधों में एक साइफन बढ़ाने का सरकार विचार रखती है ?

श्री राममूर्ति—इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री नागेश्वर प्रसाद—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास विभाग द्वारा इस तरह की रिपोर्ट आई थी कि वहां पर साइफन बनाना जरूरी है ?

श्री राममूर्ति—इसका विवरण मेरे पास नहीं है।

महाराजगंज तहसील में सिंचाई योजनायें

*५३—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील में तीसरी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई की कौन-कौन-सी योजनायें किन-किन जगहों पर चालू की जायेंगी और उनसे कितना क्षेत्र सींचा जा सकता है ?

श्री राममूर्ति—गंडक नहर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मधुबानी ब्रांच का नया सिस्टम बनाया जायगा और मौजूदा नारायणी ब्रांच सिस्टम को रिमाडिल किया जायगा। मधुबानी ब्रांच से ५७ नहरें निकाली जायंगी जिनकी लम्बाई २२६ मील ६ फर्लांग होगी और इससे १,००,८६७ एकड़ क्षेत्र प्रतिवर्ष सिंचित होना प्रस्तावित है। नारायणी ब्रांच सिस्टम को रिमाडल करके इससे ५२ नहरें जिनकी लम्बाई १४८ मील ५ फर्लांग होगी, निकाली जायगी। रिमाडल करने के बाद इस समय जो सिंचित क्षेत्र ५८,९७१ एकड़ है वह बढ़कर २,४३,३९१ एकड़ हो जायगा। चूंकि अभी इन नहरों के निर्माण के लिये detaled survey नहीं किया गया है, अतः उन जगहों का जहां से ये नहरें गुजरेंगी, उल्लेख करना संभव नहीं है।

*५४—श्री अमरनाथ (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील में उपर्युक्त योजनाओं पर कितना धन व्यय किये जाने की स्कीम है ?

श्री राममूर्ति—मधुबानी ब्रांच के निर्माण पर लगभग ७१,६६,००० रुपया तथा नारायणी नहर ब्रांच की रिमार्डलिंग तथा नई नहरों के निर्माण पर लगभग ६०,०५,००० रुपया व्यय होने का अनुमान है।

*५५—श्री अमरनाथ (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में सिंचाई विभाग में कौन-कौन से पद पर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें एक ही जगह पर पांच वर्ष, चार वर्ष तथा तीन वर्ष हो गया और उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया ?

श्री राममूर्ति—निर्धारित समय के भीतर वांछित सूचना एकत्र करना संभव न हो सका।

*५६—श्री इन्दुभूषण गुप्त—[हटा दिया गया।]

हरिजन निवास, बिरहाना रोड पर गैस का सिलेन्डर खुल जाने की घटना

*५७—कुंवर श्रीपालसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ सितम्बर, १९६१ को ९।। बजे रात्रि में हरिजन निवास, बिरहाना रोड पर यू० पी० एस० ४७७० नम्बर के एक ट्रक पर लादे जाते समय कोई गैस का सिलेंडर खुल जाने से कई आदमी बेहोश हो गये तथा एक आतंक फैल गया ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है तथा किसकी गलती से यह दुर्घटना हुई ?

श्री चरणसिंह—दिनांक १-९-६१ को नहीं बल्कि ३१-८-६१ को ऐसी घटना घटी जिसमें गैस का सिलेंडर खुल जाने के कारण घटनास्थल के आस-पास आतंक छा गया था। यह ठीक नहीं कहा जा सकता है कि कुछ व्यक्ति बेहोश हुये अथवा नहीं।

घटना का पूर्ण विवरण संलग्न है।

ट्रांसपोर्ट कम्पनी के डाइरेक्टर लादने वाले क्लर्क तथा ट्रक ड्राइवर की असावधानी से उपर्युक्त दुर्घटना हुई।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ३७४ पर)

*५८—श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)—[माननीय सदस्य का निधन हो जाने के कारण हटा दिया गया।]

सुल्तानपुर जिले में गोमती-बाढ़-ग्रस्त लोगों की सहायता

*५९—श्री गयाबख्शसिंह (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर जिले में गोमती नदी की बाढ़ से कितने ग्राम तथा पुरवे की आबादी पानी में डूब तथा घिर जाती है ?

*६०—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर जिले में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में किन-किन ग्रामों का स्तर ऊंचा किया गया है, कौन-कौन से ग्रामों का स्तर ऊंचा करने को बाकी है तथा वह कब तक पूर्ण किया जायेगा ?

*६१—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर जिले में किन-किन ग्रामों या पुरवों में नाव की व्यवस्था हुई है ? जहां नहीं हुई है, तो क्यों ? क्या सरकार हर जगह नाव की सरकारी व्यवस्था स्थायी रूप से करने की कृपा करेगी ?

श्री रामसूर्ति—वांछित सूचना निर्धारित समय में एकत्र नहीं हो पाई।

मृत पशु उपयोग योजनाओं को मिलाने पर विचार

*६२—श्री मुरलीधर (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पशुपालन विभाग और कृषि विभाग दोनों ही मरे हुये पशुओं के प्रयोग के लिये अलग-अलग योजना चला रही है ? यदि हां, तो दोनों अलग-अलग कितने और कहां-कहां केंद्र चला रहे हैं और दोनों विभागों को गत ३ वर्षों में कितनी आय हुई है ?

श्री चरणसिंह—जी हां। पशु पालन विभाग चमड़ा निकालने, बनाने, चर्म शोधन और शवों के उपयोग का प्रशिक्षण तथा उत्पादन की एक योजना बख्शी के तालाब केंद्र लखनऊ पर पांच राजकीय गोसदनों तथा ४५ फलेयरों की सहकारी समितियों द्वारा चला रही है। कृषि विभाग द्वारा मृत पशु उपयोग योजना केवल २ केंद्र में। (देहरादून और झांसी) संचालित की जा रही है। उक्त केंद्रों की विगत ३ वर्षों की आय सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ३७५ पर)

*६३—श्री मुरलीधर (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन दोनों विभागों में कोई कोआर्डिनेशन है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त दोनों योजनाओं को कोआर्डिनेट करने पर विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह—पशु पालन विभाग तथा कृषि विभाग अपने अपने केंद्रों पर कार्य कर रहे हैं। इन विभागों द्वारा संचालित योजनाओं को कोआर्डिनेट करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

*६४—श्री मुरलीधर (अनुपस्थित)—क्या इन दोनों विभागों में या किसी एक में सरकार इस कार्य में अनुसंधान केंद्र भी खोलने का विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह—पशुपालन विभाग द्वारा संचालित केंद्रों में से अभी तक अनुसंधान केंद्र नहीं खोला गया है।

कृषि विभाग द्वारा संचालित देहरादून केंद्र में अनुसंधान कार्य ही प्रमुख ध्येय रहा है।

मऊरानीपुर-नौगांव रोड पर देवरी के पुल की मरम्मत

*६५—श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मऊरानीपुर-नौगांव रोड पर देवरी का पुल जो अभी टूटा है उसकी मरम्मत के लिये क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री राममूर्ति—देवरी का पुल एक पहाड़ी रपटा है जो १४ जुलाई, १९६१ को क्षतिग्रस्त हुआ था। रपटे पर से पानी का बहाव बन्द होते ही इसकी मरम्मत शुरू की गई थी और १५ नवम्बर, १९६१ को रपटा यातायात के लिये खोल दिया गया था।

*६६—श्री त्रिलोकीसिंह (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त देवरी के पुल की मरम्मत कब से नहीं हुई थी ?

श्री राममूर्ति—आवश्यक मरम्मत प्रति वर्ष की जाती है।

श्री बिहारीलाल, सरपंच की संदिग्ध हत्या

*६७—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या श्री बिहारी लाल सरपंच भुड़कुड़ा, थाना सदरपुर (सीतापुर) के कत्ल के संबंध में दिनांक ७ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ११७–११८ के उत्तर के क्रम में गृह मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक ४ सितम्बर, १९६० को थानाध्यक्ष सदरपुर के दस्तखत द्वारा एस० ओ० साहबान, थाना बिसवां, खैराबाद, महमूदाबाद, थान गांव, तालगांव, तम्बौर, कोतवाली, सीतापुर के नाम पत्र जारी किया गया है जिसमें जांच द्वारा कत्ल का होना निश्चित हो जाने का उल्लेख है ?

श्री नवलकिशोर—जी नहीं।

*६८—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि उपरोक्त सरपंच की पत्नी ने दिनांक १९,२०,२१ सितम्बर, सन् १९६० को डी० आई० जी० सेंट्रल रेंज, लखनऊ के कैम्प सीतापुर में उपस्थित हो कर जांच में शिथिलता किये जाने की शिकायत के अतिरिक्त हेड मोहर्रिर सदरपुर द्वारा अपने पति के शव को हटवा दिये जाने की भी शिकायत की थी और डी० आई० जी० ने उन्हीं दिनों मुहर्रिर को मुअत्तल भी कर दिया था ?

श्री नवलकिशोर—दिनांक १९–९–६० को सरपंच की पत्नी, डी० आई० जी० स कैम्प सीतापुर में मिली थी और हेड मोहर्रिर के विरुद्ध अपने पति की कथित हत्या से संबंधित अभियुक्तों की तरफदारी करने का आरोप लगाया था जिस पर डी० आई० जी० ने हेड मोहर्रिर को मुअत्तल करने का आदेश दिया। चूंकि जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुआ, अतः हेड मोहर्रिर को बहाल कर दिया गया।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि हेड मोहर्रिर को बहाल करके उसी थाने में तैनात कर दिया गया था ?

श्री नवलकिशोर---इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

हमीरपुर जिले में नियोजन विभाग के कर्मचारियों की गिरफ्तारी

*६९---**श्री लक्ष्मणराव कदम** (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हमीरपुर जिले में अप्रैल, १९६१ में नियोजन विभाग के किस-किस पद के कितने-कितने कर्मचारी तथा उनसे संबंधित अन्य कौन-कौन लोग किस-किस अभियोग में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये थे ?

श्री चरणसिंह---हमीरपुर, जिले में अप्रैल, १९६१ में पुलिस ने नियोजन विभाग के १ क्षेत्रीय विकास अधिकारी, ३ सहायक विकास अधिकारी तथा २ ग्राम सेवकों को तथा उनसे संबंधित ९ गैर-सरकारी व्यक्तियों को, जिनके नाम व पते संलग्न तालिका में दिये हैं, गिरफ्तार किया।

इन पर सरकारी धन का गबन करने, कागजात में जालसाजी करने, अनुचित ढंग से धन उपार्जित करने के लिये क्रिमिनल कान्सपिरेसी करने तथा भ्रष्टाचार के आरोप हैं।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ३७६ पर)

आजमगढ़ जिले में ताल-पताछ योजना

*७०---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या सिंचाई मंत्री आजमगढ़ जिले में ताल-पताछ योजना की अब तक की प्रगति की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति---ताल-पताछ योजना का प्राक्कलन बना लिया गया है और उसे टेक्निकल सब-कमेटी और राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति के लिये भेज दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कमेटी के पास यह रिपोर्ट कब भेजी गई थी और अब तक विलम्ब होने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति---तारीख तो याद नहीं है, लेकिन इस कमेटी की मीटिंग तब होती है जब थोड़ा-सा काम इकट्ठा हो जाता है, दो-चार महीने में एक मीटिंग होती है, इससे जल्दी मीटिंग नहीं हो पाती।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जिला अधिकारियों ने ६ मास पहले ही इस योजना को भेज दिया था तो अब तक बोर्ड में न लेने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति---मैंने अर्ज किया कि मीटिंग बोर्ड की हुई नहीं इसीलिये उस पर विचार नहीं हो सका।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना में कितनी रकम खर्च होगी और उसकी संक्षिप्त रूप-रेखा क्या होगी ?

श्री राममूर्ति---जो प्राक्कलन तैयार हुये उसके मुताबिक ६० हजार खर्च होगा और इसकी लम्बाई ११ मील ५ फर्लांग होगी।

इटावा जिले में विभिन्न अपराधों की घटनायें

*७१—**श्री भजनलाल**—क्या गृह मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला इटावा के अन्तर्गत १ जनवरी, सन् १९६० से २५ जून, सन् १९६१ तक कुल कितनी सशस्त्र डकैतियां, चोरियां, राहजनियां, फौजदारियां, नकबजनी और कत्ल थानेवार हुये हैं ?

*७२—उपर्युक्त घटनाओं से सम्बन्धित कुल कितने धन व जन की क्षति पहुंची है ?

*७३—उपर्युक्त घटनाओं से संबंधित कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और कितने गिरफ्तार करने को शेष हैं ?

श्री नवलकिशोर—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ३७७ पर)

श्री भजनलाल—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कोतवाली इटावा में ४ सशस्त्र डकैतियां और दो कत्ल हुये और ५० चोरियां हुईं, लेकिन १ जनवरी, १९६० से २५ जून, १९६१ तक उस क्षेत्र में एक भी चोरी नहीं दिखाई गई है इसका क्या कारण है ?

श्री नवलकिशोर—यह तो मेरी सूचना के विरुद्ध बात है।

श्री भजनलाल—एक साल में एक भी चोरी न इन्दराज करके जो जरायम को बढ़ोत्तरी दी जा रही है इसकी रोकथाम के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ? क्या वह थानों को आदेश भेजेगी ?

श्री नवलकिशोर—इस सूचना में ५५ डकैतियां दर्ज हैं। सरकार के पहले ही आदेश हैं कि किसी जुर्म को छिपाया न जाय।

हरदोई जिले में पुलिस अधिकारियों के पियून अरदली की कथित मुअत्तली

*७४—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला हरदोई में १२ जून, १९६० को कितने पियून अरदली पुलिस अधिकारियों के यहां मुअत्तल किये गये और उनके खिलाफ क्या अभियोग थे तथा उनकी जांच किसने की और क्या परिणाम निकला ?

श्री चरणसिंह—उक्त तिथि को कोई पियून अरदली हरदोई जिले के पुलिस अधिकारियों द्वारा मुअत्तल नहीं किया गया। प्रश्न का द्वितीय भाग नहीं उठता।

मटुका नाले पर रेगुलेटर की आवश्यकता तथा नाद नदी से ठेक निकालने का काम

*७५—**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)—क्या सरकार परगना उस पार राजा तहसील व जिला वाराणसी के मटुका नाले में भरहुआं के पास बांध बना कर रेगुलेटर लगाने पर विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—मटुका नाले पर बांध बनाकर रेगुलेटर बनाने का कोई प्रस्ताव कार्यान्वित करने योग्य नहीं है।

नोट—तारांकित प्रश्न ७३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*७६---श्री ऊदल---क्या सरकार को पता है कि उपरोक्त नाले से काफी जमीन पैदावार की कटती चली जा रही है ? यदि हां, तो इसे रोकने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति---इस नाले से पैदावार की कुछ भूमि कट रही है । इसे रोकने के लिये अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

*७७---श्री ऊदल---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नाद नदी जो जौनपुर जिले से वाराणसी तहसील के परगना कोल असला से होकर जाती है उसे गहरा करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कहां से कहां तक गहरा किया जायेगा ?

श्री राममूर्ति---नाद नदी का बिलारी बांध और रेगुलेटर से लेकर ३ मील ४ फर्लांग तक ठेक निकालने (Thek clearance) का कार्य स्वीकार हुआ था और ३० प्रतिशत कार्य समाप्त भी हो चुका है ।

विधायक निवास में चोर की रंगे हाथों गिरफ्तारी

*७८---कुंवर श्रीपालसिंह (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि दिनांक १२ जुलाई, १९६१ को विधायक निवास ए ब्लाक में साढ़े पांच बजे सायं कमरा नं० १२२ में कोई साहब चोरी करते हुये पकड़े गये थे ? यदि उन्हें छोड़ दिया गया, तो क्यों और किसके कहने पर ?

श्री चरणसिंह---घटना १२ जुलाई, १९६१ की नहीं बल्कि १३ जुलाई, १९६१ की है । अपराधी को अदालत द्वारा मुचलके पर छोड़ा गया ।

खुर्रमपुर की डकैती

*७९---श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २२ मार्च, १९६१ को थाना कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद, के ग्राम खुर्रमपुर में डकैती पड़ी थी ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चरणसिंह---जी हां, डकैती पड़ी थी । इस मामले को अपराध संख्या ५९ धारा ३९५/३९७ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत थाना कन्नौज में अंकित किया गया । अब तक ६ डाकू गिरफ्तार किये जा चुके हैं और उनका चालान हो चुका है । बाकी दो डाकू फरार हैं और उनके विरुद्ध धारा ८७ व ८८ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

सूती मिल, सहारनपुर की हड़ताल में दफा १४४ का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी

*८०---डाक्टर जयगोपाल (जिला सहारनपुर)---क्या सरकार को मालूम है कि सहारनपुर में १ जून से होने वाली Textile Mill की strike व तालाबन्दी के मौके पर दफा १४४ लगाई गई थी ? यदि हां, तो कितने दिन के लिये ?

श्री चरणसिंह---उक्त हड़ताल व ताला बन्दी के अवसर पर ३१-५-६१ की शाम से १५ दिन के लिये धारा १४४ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत आदेश जारी किये गये थे ।

*८१---डाक्टर जयगोपाल---क्या सरकार को मालूम है कि दफा १४४ के दौरान L. K. Textile Mills सहारनपुर के गेट पर बराबर जलसे होते रहे ? यदि हां, तो दफा १४४ के उल्लंघन के सिलसिले में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—उक्त मिल के मजदूरों द्वारा होने वाले आन्दोलन के संबंध में मिल गेट के बाहर भी जलसे किये गये थे, जिसके फलस्वरूप धारा १४४ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत जारी किये गये आदेशों के उल्लंघन होने पर आन्दोलन करने वालों को गिरफ्तार किया गया।

प्रतापगढ़ जिले में विभिन्न अपराध की घटनायें

*८२—**श्री गयाप्रसाद** (जिला प्रतापगढ़) तथा **श्री नन्दराम** (जिला प्रतापगढ़)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जिले के अन्तर्गत थाना कुन्डा व बाघराय में १ जुलाई, १९६० से लेकर जुलाई, १९६१ तक कितनी चोरी, डाका व कत्ल हुये ?

श्री चरणसिंह—वांछित सूचना निम्नलिखित तालिका में दी हुई है।

थाना	चोरी	डकैती	कत्ल
कुन्डा	८६	५	५
बाघराय	४०	२	६
योग ..	१२६	७	११

इटावा जिले में पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध स्ट्रिक्चरों पर कार्यवाही

*८३—**श्री भुवनेशभूषण शर्मा**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में सन् १९५९ व १९६० तथा जुलाई, सन् १९६१ तक पुलिस अधिकारियों पर जजेज कोर्ट्स तथा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के न्यायालयों से कितने स्ट्रिक्चर पास हुये तथा जो स्ट्रिक्चर पास हुये उसमें सरकार को पुलिस विभाग की ओर से क्या कार्यवाही की गई ?

*८४—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो स्ट्रिक्चर पास हुये हैं वह किस न्यायालय से तथा किस जुर्म में हुये हैं ?

श्री चरणसिंह—सन १९५९ में एक स्ट्रिक्चर जुडिशियल आफिसर के न्यायालय से पास किया गया। सन १९६० में ३ स्ट्रिक्चर सेशन न्यायालय से तथा १ जुडिशियल आफिसर के न्यायालय से पास किये गये तथा सन १९६१ में (जुलाई तक) एक सेशन न्यायालय से तथा एक जुडिशियल आफिसर के न्यायालय से पास किये गये। स्ट्रिक्चरों पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ३७८–३७९ पर)

गग्गरपुर के किसानों की जमीन सरकारी फार्म में लेना

*८५—**श्री रामदीन** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मैनपुरी में ब्लाक बेवर में ग्राम गग्गरपुर के किसानों की जमीन खेतिहर सरकारी फार्म के लिये ले ली गई है ?

श्री चरणसिंह—जी हां।

फतेहपुर-चौरासी थानान्तर्गत विभिन्न अपराध की घटनायें

*८६—**श्री मुल्लाप्रसाद 'हंस'** (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बतानें की कृपा करेगी कि जिला उन्नाव, तहसील सफीपुर, थाना फतेहपुर चौरासी के अन्तर्गत मई, १९६१ से जुलाई, १९६१ तक कितनी डकैतियां, चोरियां व कत्ल हुये हैं और उनमें क्या कार्यवाही हुई ? क्या बड़े थानेदार के खिलाफ कोई शिकायत की गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह---इस अवधि में डकैती की १ तथा चोरी की १७ घटनायें हुईं। कत्ल की कोई घटना नहीं हुई। डकैती का मामला चालान होकर न्यायालय में विचाराधीन है। चोरी के सभी मामले थानें पर दर्ज किये गये और उनमें जांच की गई, परन्तु वे लापता रहे। थानाध्यक्ष के विरुद्ध कुछ शिकायती पत्र प्राप्त हुये थे जिनमें अंकित शिकायतों की जांच करने पर वे प्रमाणित नहीं हुई।

पुरन्दरपुर थानान्तर्गत चोरी व कत्ल तथा पुलिस के विरुद्ध आरोपों की जांच

*८७---श्री अमरनाथ---क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के पुरन्दरपुर थाने के अन्तर्गत चार मास (अप्रैल से जुलाई, १९६१) में कुल कितनी डकैतियां चोरियां तथा कत्ल हुये ?

श्री चरणसिंह---इस अवधि में थाना पुरन्दरपुर के अन्तर्गत कत्ल की १ तथा चोरी की १४ घटनायें हुई। डकैती की कोई घटना नहीं हुई।

*८८---श्री अमरनाथ---क्या गृह मंत्री यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त डकैतियों में कितनी हथियारों से लैस की गईं और उनमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा उन डकैतियों और चोरियों में कितने लागत का धन डकैतों तथा चोरों के हाथ लगा ?

श्री चरणसिंह---डकैती के संबंध में सूचना शून्य है, क्योंकि डकैती की कोई घटना नहीं हुई। चोरी की घटनाओं में चोरों के हाथ ६,६२० रुपये का धन लगा। चोरी की एक घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई।

*८९---श्री अमरनाथ---क्या गृह मंत्री यह भी बतायेंगे कि प्रजा समाजवादी दल के एक नेता श्री नरसिंह नारायण पांडेय गोरखपुर ने इस संबंध में कोई पत्र जिलाधीश गोरखपुर, पुलिस कप्तान गोरखपुर तथा डी० आई० जी० गोरखपुर रेंज को जुलाई, १९६१, अथवा अगस्त, १९६१ प्रथम सप्ताह में लिखा था ? यदि हां, तो वह पत्र क्या था और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह---श्री नरसिंह नारायण पांडेय ने दिनांक १९-७-१९६१ को जिलाधीश गोरखपुर को एक पत्र भेजा था जिसकी प्रति उन्होंने पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को भी प्रेषित की थी। पत्र की प्रति संलग्न है। जांच कराने पर पुलिस के विरुद्ध किये गये आरोप सही नहीं पाये गये।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ३८० पर)

नन्दगांव गोलीकाण्ड संबंधित थानाध्यक्ष तथा पी० ए० सी० के सूबेदार को कठोर चेतावनी

*९०---श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या गृह मंत्री गृह विभाग (पुलिस-ख) के दिनांक १५ जुलाई, १९६१ के पत्र संख्या १७०-डी/८-बी---९५३-बी-१९५९ द्वारा नन्दगांव (मथुरा) में २० अगस्त, १९५९ को चलाई गई गोली के संबंध में २ सितम्बर, १९५९ को दिये गये आश्वासन की पूर्ति में दी गई सूचना के बारे में कृपया यह बतायेंगे कि थाना नन्दगांव के थानाध्यक्ष तथा पी० ए० सी० के सूबेदार के प्रबन्ध में कमी पाये जाने के बावजूद उनको केवल चेतावनी देकर क्यों छोड़ा गया तथा गोली मारने वालों को क्या सजा दी गई ? क्या इस "कठोर चेतावनी" को (character roll) में दर्ज कर दिया गया है ?

श्री चरणसिंह—घटना की पूर्ण परिस्थितियों पर विचार करने पर थानाध्यक्ष तथा सूबेदार को केवल कठोर चेतावनी का दण्ड देना ही यथेष्ठ समझा गया ।

पी०ए० सी० के सिपाहियों में से गोली चलाने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि उन्हें अपने तथा सरकारी रायफलों की हिफाजत के लिये गोली चलानी पड़ी थी । पुलिस पर गोली चलानेवाले व्यक्ति का पता नहीं चल सका, थानाध्यक्ष और पी० ए० सी० के सूबेदार को दी गई कठोर चेतावनी की उनकी चरित्र पंजिकाओं (करेक्टर रोल) में दर्ज कर दिया गया है ।

पसगवां तथा मोहम्मदी थानों में डकैती की रिपोर्ट में चोरी लिखने की शिकायत

*९१—**श्री मलिखानसिंह** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार को पता है कि जिला खीरी के थाना पसगांवा और थाना मोहम्मदी में माह जून सन् १९६१ ई० में प्रतिदिन दो-दो, तीन-तीन, डकैतियां हुईं पर सभी की रिपोर्टें चोरी में लिखी गईं ? यदि हां, तो सरकार ने इसकी क्या व्यवस्था की ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं । यह सही नहीं है । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

पीलीभीत तथा शाहजहांपुर जिलों की सीमाओं पर बढ़ते अपराध रोकने का प्रबन्ध

*९२—**श्री मुनीन्द्रपालसिंह** (जिला पीलीभीत)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पीलीभीत तथा शाहजहांपुर जिले की सीमाओं पर कत्ल व डकैतियों की घटनायें बराबर हो रही हैं ? यदि हां, तो उनकी रोक-थाम के लिये क्या प्रबन्ध किया गया ?

श्री चरणसिंह—पीलीभीत तथा शाहजहांपुर जिले की सीमाओं पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं । इनकी रोकथाम के लिये निम्नलिखित प्रबन्ध किये गये—

१—दोनों जिलों की पुलिस तथा पी० ए० सी० द्वारा सीमा पर दविश तथा गश्त ।

२—जंगलों में अपराधियों की खोज तथा उनके बारे में सूचना एकत्रित करना ।

३—गजेटेड पुलिस अधिकारियों तथा मजिस्ट्रेटों द्वारा सक्रिय अपराधियों को पकड़ने व अवैध शस्त्र बरामद करने के लिये विशेष अभियान (drive) ।

४—अपराधियों के विरुद्ध धारा ११० व १०७/११७ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत कार्यवाही ।

*९३—**श्री मुनीन्द्रपालसिंह**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला पीलीभीत में वर्ष १९६०–६१ जुलाई में अब तक कितने व्यक्तियों की हत्यायें हुईं ?

श्री चरणसिंह—जिला पीलीभीत में वर्ष १९६० –में २३ तथा १९६१ में जुलाई तक २२ हत्याएं हुईं ।

बढ़वारी मांग निवासी सिरदार पर गोली चलाना

*९४—**श्री शिवराम** तथा **श्री हिम्मतसिंह**—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला खीरी के थाना पसगवां ग्राम बढ़वारी मांग में सिरदार नामक व्यक्ति पर दिनांक २०–२१ जुलाई, १९६१ की रात्रि में फायर किया गया ? यदि हां, तो क्या वह व्यक्ति जीवित है ?

श्री चरणसिंह---उक्त ग्राम के सिरदार नामक व्यक्ति पर दिनांक २०-२१ जुलाई, १९६१ को नहीं बल्कि १९, २० जुलाई की रात्रि में फायर किया गया था। वह जीवित है।

*९५---**श्री शिवराम तथा श्री हिम्मतसिंह**---क्या यह सत्य है कि फायर करने वाले तथा उसके साथ सहयोग देने वालों को उक्त व्यक्ति ने पहिचान लिया था और थाना पसगवां में नामजद रिपोर्ट ३०७ की लिखी गई ? यदि हां, तो पुलिस ने उस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह---जी हां, नामजद रिपोर्ट दफा ३०७ भा० द० वि० के अन्तर्गत थाना पसगवां में लिखी गई थी। परन्तु अनुसंधान से वह गलत साबित हुई और फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई।

माताटीला बांध योजना पूर्ति अवधि

*९६---**श्री शिवप्रसाद नागर**---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक-लेखा समिति की रिपोर्ट दिनांक २८ अप्रैल, १९६१ के पृष्ठ १५ के प्रदर्श ८ पर दिये गये विवरण के अनुसार क्या यह सही है कि माता टीला बांध की प्रयोजना ७ करोड़ ९९ लाख रुपये की लागत से सन् १९५९-६० तक पूरी हो जाने वाली थी, किन्तु इस कार्यक्रम के अनुसार कार्य नहीं किया जा सका क्योंकि मुख्य अभियन्ता ने सरकार से ११ करोड़ ३९ लाख रुपये अधिक व्यय करने की अनुमति प्राप्त करने तक कार्य रोक दिया है ? यदि हां, तो यह अनुमति अब तक प्राप्त हुई है या नहीं ? यदि प्राप्त हुई है, तो प्रयोजना कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

श्री रामभूति---जी हां, कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति दी जा चुकी है। आशा है कि योजना पर कार्य १९६३-६४ तक पूर्ण हो जायेगा।

भीमपुरा थाने में हवालाती के साथ कांस्टेबिल को बन्द रखने की आवश्यकता

*९७---**श्री गंगाप्रसादसिंह** (जिला बलिया)---क्या यह सत्य है कि जिला बलिया में कोई ऐसा पुलिस थाना है जहां किसी कैदी को हवालात में बन्द करते समय एक पुलिस के सिपाही को भी उस कैदी के साथ रात भर उस हवालात में बन्द रहना पड़ता है ? यदि हां, तो वह कौन सा थाना है और क्यों बन्द करना पड़ता है ?

श्री चरणसिंह---बलिया का भीमपुरा थाना अस्थायी होने के कारण किराए के मकान में स्थित है। इसमें एक ही हवालात है जिसके दरवाजे बन्द होने पर भी भीतर से खोले जा सकते हैं, इसलिए दिन में तो अभियुक्तों को इस हवालात में पहरे के साथ बन्द कर दिया जाता है, परन्तु रात में उन्हें थाने के कार्यालय में रखा जाता है और यह निगरानी करने के लिए कि कहीं भाग न जायें अथवा काजगात नष्ट न कर दें किसी चौकीदार या सिपाही को भी साथ में रखा जाता है।

बदायूं कोतवाली के हल्के में विभिन्न अपराध की घटनायें तथा श्री धर्मसिंह गुप्ता को लूटने की जांच

*९८---**श्री टीकाराम**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शहर बदायूं में क्लब के चौराहे के पास ९ बजे रात के २६ अगस्त, १९६१ को लोगों को लूटा गया और नामजद रपट लिखाई गई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—दिनांक २६-८-६१ को ९ बजकर १५ मिनट पर रात श्री धर्मवीर सिंह गुप्ता मैनेजर बाटा कम्पनी ने एक तहरीर के जरिये मारपीट व जेब से २५० रु० नकद लूट लेने के बारे में सूचना दी तथा इसमें अपने पड़ोसियों को नामजद किया। इस मुकदमे में धारा ३९४ भा० दं० वि० के अन्तर्गत तफतीश की गई और पुलिस द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट की पब्लिक प्रोसीक्यूटर द्वारा जांच की जा रही है।

*९९—**श्री टीकाराम**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कोतवाली बदायूं के हल्के में १ अप्रैल, सन् १९६१ से ३१ अगस्त, सन् १९६१ तक कितनी चोरियां, राहजनी और डकैतियां हुईं ?

श्री चरणसिंह—इस अवधि में ३० चोरियां, 'नकबजनी सहित' ११ राहजनी तथा १ डकैती की घटनायें हुईं।

सुन्नी जमीयतुल-उलमाय हिन्द, बरेली को योमुल-नबी के मौके पर जुलूस निकालने की इजाजत न मिलना

*१००—**श्री शिवराजबहादुर** (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सुन्नी जमीयतुल उलमाये हिन्द, बरेली ब्रांच को योमुल नबी पर २५ अगस्त, १९६१ को दिन के २ बजे जुलूस निकालने की इजाजत २४ अगस्त, १९६१ को सिटी मजिस्ट्रेट, बरेली ने दी थी ?

श्री चरणसिंह—जी हां।

*१०१—**श्री शिवराजबहादुर**—क्या यह सत्य है कि उपर्युक्त इजाजत २५ अगस्त, १९६१ को जुलूस निकालने से १ घंटे पूर्व वापस ले ली गई और सुन्नी जमीयतुल उलमाये हिन्द, बरेली ब्रांच को जुलूस नहीं निकालने दिया गया ?

श्री चरणसिंह—जी हां। यह इजाजत २५-८-६१ को वापस ले ली गई थी।

*१०२—**श्री शिवराजबहादुर**—क्या इस इजाजत के न मिलने के कारण उपर्युक्त सुन्नी जमीयतुल उलमाये हिन्द, बरेली ब्रांच ने १ जलसा २५ अगस्त, १९६१ को शाम के साढ़े सात बजे बारादरी स्कूल के पास किया ?

श्री चरणसिंह—जी हां। २५-८-६१ को सायंकाल एक मीटिंग मुहल्ला सूफी टोला में की गई।

ठठिया थानान्तर्गत चोरियां

*१०३—**श्री होरीलाल यादव**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद में ठठिया थाना के अन्तर्गत जनवरी, सन् १९६० से ३१ जुलाई, १९६१ तक किन-किन ग्रामों में चोरियां हुईं, उनमें किन-किन चोरियों का पता लगा और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—जिला फर्रुखाबाद में ठठिया थाना के अन्तर्गत जनवरी, १९६० से जुलाई, १९६१ तक ग्रामों में हुई चोरियों की स्थिति संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ ३८१ पर)

उन्नाव जिले के पुलिस सब-इंस्पेक्टरों के विरुद्ध शिकायतों पर विचार

*१०४—**श्री मुल्लाप्रसाद 'हंस'**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला उन्नाव के अन्तर्गत कितने ऐसे दरोगा हैं जिनके खिलाफ शिकायतें उसके विचाराधीन हैं और किस-किस तरह की शिकायतें उनके खिलाफ हैं ?

श्री चरणसिंह---जिला उन्नाव के ७ सब-इंसपेक्टर्स के विरुद्ध शिकायतें विचाराधीन हैं जिनका विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ ३८२–३८३ पर)

जौहरा खेड़ा के निकट नाले पर लाश मिलना

*१०५---**श्री होरीलाल यादव**---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद थाना गुरसहायगंज के अन्तर्गत जौहरा खेड़ा के पास नाले में कोई लाश २९ जून १९६१ को मिली ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह---२९–६–६१ को ग्राम विराहिमपुर और जौहरा खेड़ा के मध्य नाले के समीप एक लाश के देखे जाने की सूचना मिली थी । इस पर जांच की गई जिससे विदित हुआ कि उक्त स्थान श्मशान घाट है । वहां २, ३ मुर्दों के ढांचे अधजले पड़े थे, अतः बिना पंचायतनामे के उन ढांचों को जल प्रवाहित कर दिया गया ।

*१०६---**श्री होरीलाल यादव**---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में थाना सौरिख के अन्तर्गत सकरावा कस्बा के अन्दर मई तथा जून, १९६१ में किन-किन व्यक्तियों के घर चोरियां हुईं और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह---फर्रुखाबाद जिले में थाना सौरिख के अन्तर्गत सकरावा कस्बा के अन्दर मई तथा जून, १९६१ में कोई चोरी नहीं हुई ।

इस संबंध में कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

कुसुम्भी ग्राम का बलवा

*१०७---**श्री जगन्नाथप्रसाद** (जिला खीरी)---क्या यह सत्य है कि ग्राम कुसुम्भी, थाना अजगैन, जिला उन्नाव में १६ जुलाई, १९६१ को श्री सुक्खा एवं जगन्नाथ की पार्टियों के मध्य बलवा हुआ जिसमें धारदार औजारों का प्रयोग किया गया ?

श्री चरणसिंह---जी हां ।

*१०८---**श्री जगन्नाथप्रसाद**---क्या यह सत्य है कि अजगैन थाना के इन्चार्ज थानेदार ने दफा १०७ के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के लिये १६ जुलाई के पूर्व रिपोर्ट कर दी थी, किन्तु उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई फलतः बलवा हुआ ?

श्री चरणसिंह---थानाध्यक्ष ने दफा १०७ के अन्तर्गत कार्यवाही के लिए १६ जुलाई के पहले ही रिपोर्ट की थी । एस० डी० एम० द्वारा जांच के सिलसिले में दोनों पार्टियों के कुछ व्यक्तियों ने एस० डी० एम० के सामने यह बयान दिया कि उन्हें शान्ति भंग की कोई आशंका नहीं है । अतः सर्किल इंस्पेक्टर से पुनः जांच करवाई जा रही थी । इस जांच के दौरान में ही यह घटना हो गई ।

*१०९---**श्री जगन्नाथप्रसाद**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इसमें किस अधिकारी की लापरवाही है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह---इस सम्बन्ध में किसी अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता ।

केंचुआ तथा परेवा ग्राम की डकैतियां

*११०—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार ग्राम केंचुआ, थाना बिलसंडा (पीलीभीत) में १६ फरवरी, १९६१ को बड़ी डकैती के सम्बन्ध में १ अगस्त, १९६१ के प्रश्न संख्या ५२ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेगी कि जिस डाकू की उंगली कटी पाई गई उसका नाम प्रथम सूचना में है या नहीं और जो दूसरा डाकू तलवार से घायल हुआ उसका नाम क्या बाद में मालूम हुआ ?

श्री चरणसिंह—जिस डाकू की उंगली कटी पाई गई उसका नाम प्रथम सूचना में अंकित नहीं है। दूसरे डाकू का नाम टीका पुत्र कढ़े किसान ज्ञात हुआ।

*१११—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार कृपया १ अगस्त, १९६१ के प्रश्न ५३ के उत्तर के क्रम में बतायेगी कि परेवा ग्राम जिला पीलीभीत में पुलिस अधिकारी घटना के कितने दिनों बाद घटनास्थल पर गया ?

श्री चरणसिंह—थाना बिलसंडा के थानाध्यक्ष उसी दिन मौके पर गये जिस दिन घटना हुई।

*११२—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि परेवा ग्राम की डकैती के सम्बन्ध में गिरफ्तार व्यक्ति ने आत्म हत्या जेल में की और क्यों ?

श्री चरणसिंह—उक्त डकैती के संबंध में गिरफ्तार किये गये खन्जन कुर्मी ने जेल में आत्महत्या कर ली जिसका कारण जांच पर भी नहीं विदित हो सका।

भुजैनी तथा डंडवा में पशु रोग की रोकथाम

*११३—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या सरकार को ज्ञात है कि मौजा भुजैनी विकास क्षेत्र खलीलाबाद (बस्ती) और मौजा डंडवा में जून-जुलाई, १९६१ में कितने जानवर दोनों गांवों में अलग-अलग मरे ?

इस विषय का अखबारों में समाचार छपने के पश्चात् भी कितने दिनों के बाद पशुओं को टीका लगाया गया ?

श्री चरणसिंह—इस विभाग द्वारा केवल उन्हीं मरे हुये पशुओं का ब्योरा रखा जाता है जो किसी छूत वाली बीमारी से मरे हों। ग्राम भुजैनी तथा डंडवा में मास जून व जुलाई १९६१ में किसी प्रकार की पशु बीमारी होने का समाचार प्राप्त नहीं हुआ और न वास्तव में वहां कोई बीमारी थी। अतएव किसी पशु के मरने का समाचार भी नहीं मिला।

कथित समाचार के प्रकाशन के पूर्व ही इन ग्रामों में बीमारी की रोकथाम का उपाय किया जा रहा था बीमारी का कोई लक्षण न होते हुए भी तमाम पशुधन को बीमारी से बचने के टीके लगाने का काम २-७-६१ से आरम्भ कर दिया गया जो ७-७-६१ को समाप्त हुआ।

*११४—श्री राजाराम शर्मा—मौजा भुजैनी में पशुओं के डाक्टर कब टीका लगाने पहुंचे। अगर नहीं गये, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—पशुचिकित्सक खलीलाबाद दिनांक जून २६, १९६१ को ग्राम भुजैनी के निरीक्षण के लिये गये और पशुओं को बीमारी से बचने के लिये टीके लगने का प्रबन्ध किया।

थाना धानेपुर के विरुद्ध शिकायतें

*११५—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा के थाना धानेपुर के विरुद्ध कितने प्रार्थना-पत्र गत जुलाई व १० अगस्त, १९६१ तक गृह मंत्री जी के पास आये हैं और उन प्रार्थना-पत्रों में क्या शिकायतें थीं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह---उक्त अवधि में दो प्रार्थना-पत्र थानेपुर के विरुद्ध मुझे प्राप्त हुए, जिनके बारे में वांछित सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'द' आगे पृष्ठ ३८४–३८५ पर)

चचरापुर कृषि फार्म के लिये नयी भूमि न लेना

*११६---**श्री चन्द्रहास मिश्र** (जिला हरदोई)---क्या गृह मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि चचरापुर, जिला हरदोई में सरकारी कृषि फार्म बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कितने व किन-किन किसानों की भूमि इस सम्बन्ध में ली जा रही है ?

*११७---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिन किसानों की जमीन ली जायेगी उनको काश्त के लिये दूसरी जमीन दी जायगी ? यदि हां, तो कैसे ? यदि नहीं, तो इन किसानों की जीविका का क्या प्रबन्ध होगा ?

श्री चरणसिंह---जी हां । चचरापुर, जिला हरदोई में सरकारी कृषि फार्म खोलने के लिये लैन्ड एक्वीजिशन ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही थी । परन्तु अब सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि कृषि विभाग के पास जो इस समय फार्म हैं उन्हीं पर और गहन कृषि की जायेगी और नये फार्म खोलने के लिये लैन्ड एक्वीजिशन ऐक्ट के अन्तर्गत जो कार्यवाही की जा रही है उसमें उन फार्मों को छोड़ कर जहां भूमि पर विभाग को कब्जा प्राप्त हो गया है बाकी सभी फार्मों की कार्यवाही रद्द कर दी जायेगी । अतः चचरापुर में भी जिस भूमि को प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही थी वह अब रद्द कर दी जायेगी ।

गांव सभा प्यारेपुर के किसानों का कथित आवेदन-पत्र

*११८---**श्री नागेश्वरप्रसाद**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि छाया खंड सुजानगंज के गांव सभा प्यारेपुर के किसानों की ओर से कोई आवेदन-पत्र हाल में ऐसा आया है जिसमें भूमि के कटाव को रोकने तथा पानी को संग्रह करने के लिये उस गांव में एक बांध बनाने की मांग की गई है ? यदि हां, तो अब तक उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामभूति---जी नहीं ।

मिधौली ग्राम की जलमग्न भूमि का सर्वेक्षण

*११९---**श्री कोतवालसिंह भदौरिया** (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम मिधौली, जिला फर्रुखाबाद में बरसाती पानी निकालने के लिये एक नाला बनाने का निश्चय किया गया है जिसकी पैमाइश आदि हो चुकी है पर अभी तक खुदाई नहीं की गयी है ?

*१२०---क्या सरकार काश्तकारों की दिक्कतों तथा हजारों बीघा जमीन को पानी से बेकार होने से बचाने के लिये शीघ्र नाला खुदवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री रामभूति---मिधौली ग्राम की लगभग २०० एकड़ भूमि वर्षा के दिनों में डूब जाती है तथा इस भूमि को डूबने से बचाने के लिये सर्वेक्षण किया गया है और योजना बनाने के लिये आगे की कार्यवाही की जा रही है ।

राजकीय कृषि फार्म, मसौधा में हाथी द्वारा जुताई

*१२१---**श्री राजेन्द्रसिंह** (जिला हरदोई)---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग ने हाथियों द्वारा चलाने वाले हलों का अन्वेषण किया है ? यदि हां, तो उन्हें जनता तक पहुंचाने के कौन-कौन मार्ग अपनाये गये हैं ?

श्री चरणसिंह—जी हां, हाथियों द्वारा जुताई के लिये साज एवं हल तथा हैरो सन् १९५५ में बना लिये गये थे। सन् १९५७ से जिला फैजाबाद के मसौधा ग्राम में स्थित राजकीय कृषि फार्म पर हाथी द्वारा जुताई हो रही है उसे लोग देख सकते हैं। उन्हें जनता में प्रचलित करने के उद्देश्य से कृषि संबंधी पत्रिकाओं में विस्तृत विवरण प्रकाशित किया गया तथा प्रदर्शन भी किया गया है।

सेमरी तरहर ग्राम में फ्लड पोस्ट की मरम्मत

*१२२—**श्री महादेवप्रसाद** (जिला बहराइच)—क्या सरकार को मालूम है कि इकौना परगना में सेमरी तरहर ग्राम में एक फ्लड पोस्ट का निर्माण किया गया था जो कि लगभग २ साल से अधिक हुये धराशायी हो गया है ?

श्री राममूर्ति—जी हां। यह फ्लड पोस्ट १०-६-६० को साइक्लोन आने के कारण आंशिक क्षतिग्रस्त हुआ है।

*१२३—**श्री महादेवप्रसाद**—क्या सरकार उस क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों को सुविधा पहुंचाने के लिये उसके पुनः निर्माण की शीघ्र व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—जी हां। इसके मरम्मत का काम आरंभ कर दिया गया है।

गोरखपुर जिले के थानों के क्षेत्रफल में परिवर्तन करने का विचार

*१२४—**श्री केशव पांडेय** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वह गोरखपुर जिले के थानों के क्षेत्रफल में कुछ परिवर्तन करने का विचार रखती है ?

श्री चरणसिंह—जी हां।

*१२५—**श्री केशव पांडेय**—क्या सरकार के पास उक्त बातों के लिये कुछ आवेदन एवं जिला अधिकारियों के सुझाव आये हैं ? यदि हां, तो उसे कार्यान्वित करने में क्या कठिनाई है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

प्रतापगढ़ जिले में विभिन्न अपराधों में गिरफ्तारी

*१२६—**श्री गयाप्रसाद**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला प्रतापगढ़ में १९६० व १९६१ में नीचे लिखे जुर्म में कितने व्यक्ति पकड़े गये : जुआ, चोरी कत्ल, डाका, आवारागर्दी ?

श्री चरणसिंह—वांछित सूचना निम्नलिखित तालिका में दी गयी है।

तालिका

जुर्म	जुआ	चोरी	कत्ल	डाका	आवारा-गर्दी
	१९६०				
पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या ..	४३	२३७	९७	१६५	१००
	१९६१				
	४७	२६०	११७	१३७	१०९

मोहदीनगर ग्राम की असिंचित भूमि

*१२७—श्री गयाप्रसाद—क्या सरकार को पता है कि ग्राम मोहदीनगर, परगना बिहार, तहसील कुन्डा (प्रतापगढ़) की खेती बिना सिंचाई के प्रतिवर्ष रह जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—ग्राम मोहदीनगर, परगना बिहार, तहसील कुन्डा, जिला प्रतापगढ़ का कुल क्षेत्र ९४० एकड़ है, जिसमें से कृषि योग्य भूमि ७७५ एकड़ है । उक्त ग्राम की २०५ एकड़ भूमि राजबहा मानिकपुर के कमान्ड में है, जिसमें से प्रस्तावित सींच ८१ एकड़ है । नदी के किनारे होने के कारण इस ग्राम का क्षेत्र ऊंचा नीचा तथा कछार वाला है, और इससे अधिक क्षेत्र नहर द्वारा सिंचित होना सम्भव नहीं है ।

उसमानपुर सआदतनगर,ग्रामों के निकट सिंचाई साधनों की कमी

*१२८—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला हरदोई के ग्राम उसमानपुर, सआदतनगर, बद्दापुर आदि के पास जहां हजारों एकड़ भूमि बिना सिंचाई साधन के पड़ी है वहां सरकार कोई सिंचाई के साधन का प्रबन्ध करने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—उक्त क्षेत्र सआदतनगर और जाजूपारा माइनरों के सिंचन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है । अतः वहां अन्य सिंचाई साधनों के प्रबन्ध की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

हरदोई जिले में आर्म्स लाइसेंसों की मुअत्तली

*१२९—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले के थाना कोतवाली, बेहटा, गोकुल तथा पाली के अन्तर्गत ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनकी History Sheet खुली है अथवा जिन पर चोरी या डकैती में मुकदमा चल चुका है या जिनको सजा हुई है और उन लोगों के पास Arms Licence हैं ?

श्री चरणसिंह—इस समय ऐसे १३ व्यक्ति हैं जिनके पास आर्म्स लाइसेन्स हैं । इनमें से ४ व्यक्तियों के आर्म्स लाइसेन्स मुअत्तल हैं ।

घाटमपुर परगने में माइनर नहरें निकालने की प्रार्थना

*१३०—श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिला के सिंचाई विभाग के अधिकारियों को वर्ष १९५९-६० या १९६०-६१ में कोई ऐसे सुझाव प्राप्त हुये हैं, जिनके द्वारा तहसील पुरवा के परगना घाटमपुर के ग्राम घाटमपुर, नरोत्तमपुर, अधूजपुर में सिंचाई के लिये माइनर निकालने की मांग की गई है ?

श्री राममूर्ति—जी हां । उनमें दिये गये सुझावों की जांच की गई किन्तु किसी माइनर का बनाना उपयुक्त नहीं समझा गया ।

मत्स्य विभाग के अधीन रेंध झील से आय

*१३१—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी विकास खंड, बिछिया, जिला उन्नाव में स्थित रेंध झील कितने समय से मत्स्य विभाग के अधीन है और उस समय से प्रतिवर्ष कितनी-कितनी आय इस झील से विभाग को हुई ?

श्री चरणसिंह—जिला उन्नाव के बिछिया विकास खंड में स्थित रेंच झील १९५३-५४ से मत्स्य विभाग के अधीन है। आय का विवरण संलग्न तालिका में दिया है।

(देखिये नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ ३८६ पर)

*१३२—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—[२ मार्च, १९६२ को प्रश्न संख्या ३७ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

इटावा प्रदर्शनी का आय-व्यय

*१३३—**श्री गजेन्द्रसिंह** (जिला इटावा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा नुमाइश में लगने वाले पशु मेले व नुमाइश की दुकानों व अन्य साधनों से १९५८-५९ व १९६० में कितनी आमदनी हुई और खर्चा क्या हुआ ?

श्री चरणसिंह—इटावा नुमाइश में लगने वाले पशु मेले व नुमाइश की दुकानों व अन्य साधनों से होने वाली आय और उस पर व्यय का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'न' आगे पृष्ठ ३८७-३८९ पर)

बर्डपुर ब्लाक में सुअर पालने के लिये अनुदान तथा पशु रोगों की रोकथाम की व्यवस्था

*१३४—**श्री दुर्योधन** (जिला बस्ती)—क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि बस्ती जिले में बर्डपुर ब्लाक में सुअर पालने की क्या व्यवस्था है तथा उनसे उत्पन्न रोगों की रोकथाम की व्यवस्था क्या है ?

श्री चरणसिंह—बर्डपुर ब्लाक में पशुपालन विभाग की ओर से सुअर पालने की कोई विशेष योजना नहीं है। सुअर पालन हेतु व्यवसाइयों को उसके रखने के लिये भवन निर्माण के लिये ब्लाक बजट में आर्थिक अनुदान देने की व्यवस्था है।

पशुओं से उत्पन्न रोगों की रोकथाम हेतु उक्त ब्लाक में एक पशु चिकित्सक तथा पशु सेवक डिस्पेन्सरी है।

अतारांकित प्रश्न

गोरखपुर जिले में बांध टूटने के संबंध में जानकारी

१—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में १९६१ में बरसात में कौन-कौन से बांध टूटे तथा उनकी जांच के लिये कौन कमेटी बैठाई गई और उसके सदस्यों के क्या नाम हैं ?

श्री राममूर्ति—गोरखपुर जिले में कोई भी बांध सन् १९६१ की बरसात में नहीं टूटा, अतः किसी कमेटी के बैठाने का प्रश्न नहीं उठता।

"सरकार स्वाहा" तथा "पन्त पुराण" पुस्तकों को पुलिस द्वारा कब्जे में लेना

२—**श्री बंशीधर शुक्ल** (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा लिखी गई दो प्रचलित पुस्तकें "सरकार स्वाहा" १६०० और "पंतपुराण" ५०—लेकर पुलिस विभाग ने आज आठ नौ बरस पहिले पार्टी आफिस से उठाकर क्यों जब्त किया था और क्यों इस महीने की २२ तारीख को वापस किया है ?

श्री चरणसिंह---संबंधित पुस्तकों की कुछ प्रतियां पुलिस द्वारा प्रश्नकर्ता महोदय के विरुद्ध दर्ज एक मुकदमे के सिलसिले में कब्जे में ली गई थीं। अंत में दिनांक ६--९--६१ को ये पुस्तकें वापस दिये जाने के बारे में न्यायालय का आदेश मिलने पर इन्हें प्रश्नकर्ता महोदय को दिनांक २४--१०--६१ को वापस कर दिया गया।

बांदा जिले में हत्याओं की रोक थाम के काम

३---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या सरकार को पता है कि बांदा जिले में कुछ समय से हत्याओं का निरन्तर तांता लगा हुआ है और १६, १७ व १९ सितम्बर, १९६१ को क्रमशः वहां की नगरपालिका के अध्यक्ष डाक्टर श्यामलाल शर्मा, बुड़ा समरदहा, ग्राम सभा के सभापति श्री राजधर पांडेय, ग्राम मटेहना में श्री श्रीपालसिंह आदि की छः हत्याओं के अलावा अक्तूबर, १९६१ में दिन दहाड़े ग्राम लमपारी, थाना कमासिन के श्री जगन्नाथ सिंह को उनके दरवाजे से पलंग सहित कुछ लोग उठा ले गये और निर्दयता पूर्वक उनके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिये गये थे तथा उनके संबंधियों द्वारा उन टुकड़ों को घर लाने पर कातिल लोग उक्त टुकड़ों को लेकर भाग गये थे ? यदि हां, तो क्या वह यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष में वहां कितनी हत्यायें हुईं व उनमें से किस-किस के कातिल पकड़े गये तथा भविष्य में ऐसी हत्याओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह---उक्त अवधि में बांदा जिले में ४ व्यक्तियों की हत्या की गई जिनके नाम सर्व श्री श्यामलाल शर्मा, राजधर पांडेय, श्रीपाल सिंह, व बोड़ी केवल थे। अनुसंधान से श्री जगन्नाथ सिंह की हत्या की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। १ जनवरी, १९६१ से ३१ अक्तूबर, १९६१ तक बांदा जिले में कुल ५८ हत्या के मामले हुए व उनमें से ३४ मामलों में १६४ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। भविष्य में हत्याओं की रोक थाम के लिये धारा १०७/११७ जा० फौ० के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही की गई तथा ग्राम रक्षा समिति द्वारा ग्रामवासी प्रशिक्षित किये गये।

इगलास तहसील में माइनर रजावल से भगरा ड्रेन तक स्केप बनाने की योजना

४---**श्री रामप्रसाद देशमुख** (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील इगलास, अलीगढ़ में माइनर रजावल में से भगरा ड्रेन तक स्केप अब तक क्यों नहीं बनाया गया ?

श्री राममूर्ति---भूमि अभी तक प्राप्त न होने के कारण स्केप नहीं बन सका। भूमि आवाप्ति के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

५---**श्री रामप्रसाद देशमुख**---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इस पानी के न निकाले जाने से यहां की फसल रबी नहीं बोई गई है ?

श्री राममूर्ति---केवल ४५ एकड़ जमीन को छोड़कर, जो प्राकृतिक गड्ढे के रूप है, रबी के फसल की बोआई हुई है।

६---**श्री रामप्रसाद देशमुख**---क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जिस जमीन में फसल बोयी गई है उसको बेशी पानी से बचाने की क्या व्यवस्था सरकार करने जा रही है ?

श्री राममूर्ति---बेशी पानी से बचाने के लिये रजावल माइनर के ३ मील ५ फर्लांग पर एक मजबूत मिट्टी का बंद बना दिया गया था। स्थायी व्यवस्था के रूप में उक्त माइनर से एक टेल स्केप मंगरा नाले तक बनाने की योजना स्वीकृति की जा चुकी है।

हल्द्वानी के निकट गौला नदी पर मोटर रोड का पुल बनाने की प्रार्थना

७—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार को ज्ञात है पिछले वर्ष पूरक बजट में स्वीकृत आइटम के अन्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा गौला नदी (काठगोदाम), जिला (नैनीताल) पर "एक्वेडक्ट" न बनाये जाने, तथा उसके स्थान पर नहर बनाये जाने के फैसले से समस्त गौलापार, चोरगलिया एवं टनकपुर तथा अन्य पर्वतीय क्षेत्रों को जाने के लिये कोई पुल हल्द्वानी के समीप नही रह गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्राथमिकता देकर हल्द्वानी के पास गौला नदी पर मोटर रोड का पुल बनाने का कष्ट करेगी ?

श्री राममूर्ति—जी हां। इस समय तो कोई पुल नहीं है, परन्तु जो योजना बनाई गई है उसमें एक पैदल पुल बनाने की व्यवस्था है, जिससे गौलापार की जनता को नदी पार करने की वही सुविधायें प्राप्त होंगी जो गौलापार एक्वेडक्ट से प्राप्त थी। मोटर रोड का पुल बनाने का विचार नहीं है।

किशनी थाने में पुलिस दस्तन्दाजी का मामला

८—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले के थाना किशनी में दिसम्बर, सन् १९६० में पुलिस दस्तन्दाजी की ताजीरात हिन्द की दफा १४७, ३२३ व ३४२ की सम्मिलित रिपोर्टें कितनी लिखाई गई हैं और उनमें से कितनी रिपोर्टों में फाइनल रिपोर्टें लगाई गई हैं और एस० पी० द्वारा कितनों को चार्जशीट लगाने के लिये वापस भेजा गया है ?

श्री चरणसिंह—दिसम्बर, १९६० में थाना किशनी में आई० पी० सी० की धाराओं १४७, ३२३, ३४२ के अन्तर्गत केवल एक रिपोर्ट दिनांक २२-१२-६० को दर्ज कराई गयी थी। इसमें पहले फाइनल रिपोर्ट लगादी गयी थी किन्तु इसे और जांच करने के लिये लौटा दिया गया था।

नील गांव में पशुपालन हेतु भवन खरीदने की जानकारी

९—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नीलगांव, तहसील सिधौली जिला सीतापुर के भूतपूर्व ताल्लुकेदार श्री लालताबख्श सिंह के किसी भवन को सरकार द्वारा पशुपालन हेतु क्रय किया जा रहा है ? यदि हां, तो किस कीमत में ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। भवन लेने का कोई विचार नहीं है। तृतीय पंच वर्षीय योजना में इसका प्राविधान किया गया है।

महमूदाबाद थाना क्षेत्र में विभिन्न अपराधों की घटनायें

१०—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या गृह मंत्री ४ अप्रल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६-७ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि चोरी के शेष १९ मामले जो लापता रहे इनमें रिपोर्ट लिखाने वालों का पता नहीं लगा या गलत रिपोर्ट लिखायी गयी ?

श्री चरणसिंह—चोरी के शेष १९ मामलों के लापता रहने का तात्पर्य यह नहीं है कि रिपोर्ट लिखाने वालों का पता नहीं चला या गलत रिपोर्ट लिखाई गई। वास्तव में उक्त मामलों में अभियुक्तों व सम्पत्ति का पता नहीं चल सका जिसके कारण मामले में चालान नहीं किया जा सका।

११—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मटरू के जो गोली लगी थी वह किसकी बन्दूक से लगी थी और मटरू का देहान्त गोली लगने और रिपोर्ट लिखे जाने के कितने समय बाद हुआ ?

श्री चरणसिंह---इस संबंध में की गई जांच के फलस्वरूप इस बात का प्रमाण नहीं मिला कि गोली किसकी बन्दूक से लगी थी ।

गोली लगने के १५ घन्टे तथा थाने पर घटना की सूचना मिलने के १३ घंटे २० मिनट के बाद मृत्यु हुई ।

सम्पूर्णनगर, जिला खीरी के खेतिहर मजदूरों की मांगें

१२---**श्री झारखंडे राय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखीमपुर खीरी कालोनाइजेशन स्कीम (सम्पूर्णनगर) के खेत मजदूर (जो पूर्वी जिलों के निवासी हैं) ६ जून, १९६१ से अपनी कतिपय मांगों को लेकर अनशन तथा सत्याग्रह कर रहे हैं, और इसमें अब तक तीन सौ सत्याग्रहियों ने भाग लिया है ?

श्री चरणसिंह---सम्पूर्णनगर, जिला लखीमपुर खीरी में दो खेतिहर मजदूरों नें २० मई, १९६१ से ३ जून, १९६१ तक अनशन किया तथा लगभग १०० व्यक्तियों ने उनका साथ दिया ।

१३---**श्री झारखंडे राय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन खेत मजदूरों की मुख्य मांगे क्या हैं और सरकार उनके बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चरणसिंह---खेतिहर मजदूरों की मुख्य मांग यह है कि पीलीभीत उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत खीरी पीलीभीत उपनिवेशन योजना क्षेत्र में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों तथा शिक्षित बेरोजगारों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान की जाय । परन्तु, चूंकि पीलीभीत उपनिवेशन योजना केवल जिला पीलीभीत व खीरी के भूमिहीन मजदूरों अथवा शिक्षित बेरोजगारों के ही लिये नहीं है अपितु पूर्ण प्रदेश के लिये है, सरकार के लिये उपरोक्त मांग स्वीकार करना संभव नहीं है ।

१४---**श्री झारखंडे राय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस सिलसिले में में सर्वश्री झारखंडे राय, कालीशंकर शुक्ल तथा गिरिजाशरण का एक डेपुटेशन मुख्य मन्त्री तथा गृह मंत्री जी से मिला था ?

श्री चरणसिंह---खीरी तथा पीलीभीत उपनिवेशन योजनाओं से संबंधित समस्याओं के संबंध में सर्वश्री झारखंडे राय, कालीशंकर शुक्ल तथा गिरिजाशरण का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य मंत्री जी से जुलाई, १९६१ में मिला था ।

१५-१७---**श्री गनेशचन्द्र काछी**---[७ वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या २०-२२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

मुरारपुर ग्राम में नहर विभाग द्वारा घरों को गिराने की शिकायत

१८---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरीघाट नहर की उपशाखा बाऊडीरू मार्ग पर मुरारपुर ग्राम में कुछ घर गिराये गये हैं और उनका मुआवजा भी सरकार द्वारा नहीं प्रदान किया गया है ?

श्री रामगति---केवल एक झोपड़ी हटा दी गई जिसके लिये प्रार्थी को २१६ रुपये मुआवजा भी दे दिया गया है ।

१९---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास २९ सितम्बर, १९६० का भेजा हुआ कोई प्रार्थना-पत्र उक्त शिकायतों के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी से कराई गई तथा क्या प्रार्थियों से भी पूछताछ की गई है ?

श्री राममूर्ति--जी हां, जांच जिलेदार प्रथम तथा अधिशाषी अभियन्ता, इरिगेशन डिवीजन, बलिया द्वारा की गई तथा प्रार्थी से भी पूछताछ की गई।

पानी निकासी नालियों के लिए श्री राम सुन्दर पांडेय का पत्र

२०--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सिंचाई मंत्री पानी के निकासी के लिये निर्माण की जाने वाली नालियों के विषय में दिनांक ४ मई, १९६१ को तारांकित प्रश्न संख्या १२ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग द्वारा पहले क्या आदेश दिया गया था और बाद में क्या संशोधन किया गया और क्यों ?

श्री राममूर्ति--दोनों आदेशों की एक एक प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'प' आगे पृष्ठ ३९०-३९५ पर।)

मुस्लिम लीग व खाकसारों का पुनस्संघटन

२१--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार को पता है कि प्रदेश में मुस्लिम लीग व खाकसारों का पुनः संघटन किया जा रहा है तथा कई शहरों में उनकी शाखायें भी खुल गई हैं ?

श्री चरणसिंह--जी हां। इस सम्बन्ध में कुछ सूचनायें सरकार को प्राप्त हुई हैं।

विधूना तहसील में सिंचाई विभाग के कथित नलकूप

२२--श्री भजनलाल--क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला इटावा के अन्दर तहसील विधूना में कहां-कहां पर ट्यूबवैल बेकार पड़े ह ?

श्री राममूर्ति--जिला इटावा की तहसील विधूना में सिंचाई विभाग से संबंधित कोई नलकूप नहीं है।

२३--श्री भजनलाल--क्या उन ट्यूबवैलों को वे शीघ्र दुरुस्त कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री राममूर्ति--प्रश्न ही नहीं उठता।

२४--श्री भजनलाल--यदि हां, तो कितने समय तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--प्रश्न ही नहीं उठता।

रुद्रपुर थाने के विरुद्ध शिकायत

२५--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास अप्रैल, १९६१ के अन्तिम सप्ताह में रुद्रपुर, जिला नैनीताल में हाइडिल इलेक्ट्रिक यूनियन व रिक्शा पुलर यूनियन की ओर से रुद्रपुर थाने की ढिलाई के कारण बढ़ते जुर्मों के विषय में शिकायत आई है ? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की ?

श्री चरणसिंह--जी हां, एक शिकायत आई थी जिस पर सर्किल आफिसर रुद्रपुर से जांच कराई गई, जिसके फलस्वरूप रुद्रपुर थाने के हेड कान्सटेबिल का स्थानान्तरण, कर दिया गया तथा थानाध्यक्ष की चरित्र पंजी में "मिसकन्डक्ट एन्ट्री" दी गई। हेड कान्सटेबिल के विरुद्ध वभागिक कार्यवाही भी हो रही ह।

स्टेट ट्रैक्टर आर्गनाइजेशन, बरेली

२६—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या स्टेट ट्रैक्टर आर्गनाइजेशन, बरेली की १ अप्रैल, १९५५ से ३१ अगस्त, १९५५ तक की बैलेंस शीट तैयार हो गई है तथा कब और किन-किन अधिकारियों को मुख्यतया इस कार्य के लिये नियुक्त किया गया था, कब तक के लिये नियुक्त किया गया था, उन्हें कब तक इस काम को पूरा कर देना था और अब तक इस पर कितना धन, तनख्वाह व भत्ते के रूप में खर्च हुआ है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं ।

इस कार्य के लिये मुख्यतया किसी अधिकारी को नियुक्त नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बदायूं जिले में महोवा नदी का बांध टूटना तथा सिंचाई विभाग के पुराने गजटेड अधिकारी

२७—श्री टीकाराम—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं में कछला के पास महोवा नदी का बांध मौजूदा अभियन्ता के समय सन् १९६० में ही बांध कर ठीक किया गया और इस समय सन् १९६१ अगस्त की वर्षा में ही फिर टूट गया ?

श्री राममूर्ति—सन् १९६० में इस बांध का निर्माण नहीं बल्कि मरम्मत की गई । मरम्मत में कोई दोष नहीं था परन्तु इस साल महोवा नदी में बाढ़ के समय नदी की धारा में परिवर्तन होने, धारा के बांध के बहुत नजदीक आने तथा अन्दर ही अन्दर पानी द्वारा काटने के कारण बांध एक स्थान पर ३१ जुलाई को टूट गया ।

२८—श्री टीकाराम—क्या यह सही है कि इस बांध का पूरा रुपया बांध पर खर्च नहीं हुआ और इस कारण बांध पिछले साल सन् १९६० की बाढ़ से कम पानी आने पर ही टूट गया था ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, बांध किस कारण से टूटा वह पहले प्रश्न के उत्तर में बताया जा चुका है ।

२९—श्री टीकाराम—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बदायूं में सिंचाई विभाग में कितने गजटेड आफीसर ३ साल या उससे अधिक के हैं ?

श्री राममूर्ति—कोई नहीं ।

मेजा थाने के कर्मचारियों की सेशन सुपुर्दगी

३०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार को मालूम है कि इलाहाबाद जिलान्तर्गत मेजा थाना के दो थानेदार एवं चार सिपाही बारा दसरथपुर गांव में १३ अप्रैल, १९६१ की रात में हुये कत्ल के मुकदमें में सेशन सुपुर्द हुये हैं ?

श्री चरणसिंह—जी हां, किन्तु संबंधित घटना दिनांक १३-४-६१ को नहीं बल्कि १-४-६१ को हुई थी ।

३१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार को यह मालूम है कि उपरोक्त सेशन कोर्ट सुपुर्द पुलिस के अधिकारी अभी तक मुअत्तल नहीं हुये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—जी हां, ये पुलिस अधिकारी मुअत्तल नहीं किये गये क्योंकि ऐसा करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

३२—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—हटा दिया गया ।]

राज्य में शांति भंग सम्बन्धी घटनाओं व संघटनों की जांच

३३—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या गृह मंत्री को सूचना है कि कुछ महीने पूर्व हजारों पौंड पकड़े गये बारूद, फिरोजाबाद मुकर्रबपुर (आजमगढ़) आदि के दंगे, कानपुर में खाकसार आन्दोलन को पुनर्जीवित करना तथा हाल में राष्ट्रीय झंडे का वहां १७ अगस्त को फाड़ा जाना आदि घटनायें आपस में संबंधित हैं और १७ अगस्त, १९६१ को बरेली में पकड़े गये जासूसी गिरोह से भी इनका सम्बन्ध है? क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि जमीयतउल इस्लाम नामक संस्था भी इन घटनाओं से सम्बन्ध रखती है?

श्री चरणसिंह—आवश्यक जांच से इन घटनाओं में कोई परस्पर संबंध होने या इनका जमीयतउल इस्लाम नामक संस्था से संबंध होने की पुष्टि नहीं हुई। दिनांक १७ अगस्त, १९६१ को बरेली में कोई जासूसी गिरोह नहीं पकड़ा गया।

शाहजहांपुर जिले में पुलिस कर्मचारियों के स्थानान्तरण

३४—श्री हरदयालसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला शाहजहांपुर में गत ४ माह के अन्तर्गत पुलिस विभाग के किन-किन कर्मचारियों के स्थानान्तरण हुये?

श्री चरणसिंह—प्रश्न पूछे जाने की तिथि से चार माह पूर्व जिला शाहजहांपुर में पुलिस विभाग के पुलिस अधीक्षक, २ उप पुलिस अधीक्षक, २ सर्किल इंसपेक्टर, ९ सब इंसपेक्टर, २० हेडकांस्टेबुल, २१ कांस्टेबुल तथा एक सहायक लिपिक के स्थानान्तरण जिले के बाहर हुए, जिनके नाम संलग्न सूची में दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'फ' आगे पृष्ठ ३९६–३९७ पर)

३५—श्री हरदयालसिंह—क्या यह सही है कि कुछ थाना इन्चार्ज राज्य सरकार के द्वारा दिये गये स्थानान्तरण के आदेश हो जाने के बाद अपने पूर्व स्थान पर ही कार्य कर रहे हैं?

श्री चरणसिंह—जी नहीं।

३६—श्री हरदयाल सिंह—यदि हां, तो उन थानेदारों को किस उद्देश्य से अब तक रोका गया?

श्री चरणसिंह—प्रश्न नहीं उठता।

सदर तहसील में दफा १०७/११७ जाब्ता फौजदारी में गिरफ्तारियां

३७—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर की सदर तहसील के सैकड़ों किसानों पर एक तरफा १०७/११७, आई० पी० सी० के तहत मुकदमा चला कर बहुतों को इस माह (अगस्त, १९६१) में गिरफ्तार किया गया है?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। गत माह अगस्त, १९६१ में धारा १०७/११७ जाब्ता फौजदारी के ६ मुकदमे तहसील सदर में प्राप्त हुये थे जिनमें केवल २ मुकदमों में पुलिस ने ६ व्यक्तियों को, उनकी ओर से शान्ति भंग होने की आशंका होने के कारण गिरफ्तार किया था।

३८—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या यह सही है कि उपर्युक्त गिरफ्तारी केवल किसानों को आतंकित करके उनके खेतों पर से जबरदस्ती उनका कब्जा छुड़ाने के लिये पुलिस ने की है? यदि हां, तो क्यों ऐसा किया गया है?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

अंजनी ग्राम के मकतूल हरिजन के आश्रितों का कथित पत्र

३९—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में मैनपुरी कोतवाली के क्षेत्र में अंजनी ग्राम में जुलाई या अगस्त, १९६१ ई० में जिस हरिजन का कत्ल कर दिया गया है, उसके आश्रितों ने जुलाई या अगस्त, १९६१ ई० को मुख्य मंत्री को गृह मंत्री को कई प्रार्थना-पत्र भेजे हैं? इन शिकायतों में क्या हो रहा है?

श्री चरणसिंह—इस प्रकार के किसी प्रार्थना-पत्र का पता नहीं चल सका।

लखनऊ में अनैतिक कार्य करने वालों की गिरफ्तारी

४०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या लखनऊ में अनैतिक कार्य (वेश्यावृत्ति) करने वालों की गिरफ्तारी ७ अगस्त, १९६१ को हुई थी? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों की?

श्री चरणसिंह—जी हां, २३ व्यक्तियों की।

जालौन जिले में भूमि संरक्षण कार्य

४१—राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में भूमि संरक्षण का कार्य किस-किस तहसील व विकास केन्द्र के ग्रामों मे शुरू किया गया है? उनकी सूची क्या वह सदन की मेज पर रखेगी?

श्री चरणसिंह—जालौन जिले के उरई, कौंच, जालौन, और कालपी की तहसीलों में भूमि संरक्षण का कार्य डकोर, नदीगांव, कुठांद, रामपुरा और कदौरा विकास क्षेत्रों में किया जा रहा है जिन ग्रामों में कार्य हो रहा है उनका विवरण संलग्न सूची १ में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ब' आगे पृष्ठ ३९८–३९९ पर)

४२—राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इस योजना के अन्तर्गत कितना रुपया उक्त जिला के लिये रक्खा गया है उसकी पूरी योजना बतायेगी?

श्री चरणसिंह—सन् १९६१–६२ में इस योजना में कुल १,४१,९०० रुपया जालौन जिले के लिये रखा गया है। जिसका विवरण संलग्न सूची २ में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'भ' आगे पृष्ठ ४०० पर)

ऊध ग्राम के निकट मलंगा नाला पर पुल की आवश्यकता

४३—राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार को मालूम है कि जिला जालौन में ग्राम ऊध के निवासियों को एक नाला (मलंगा) से बड़ा कष्ट है क्योंकि उससे उनकी जमीन कटती जाती है तथा बरसात में अधिक कष्ट होता है क्योंकि उसको पार करके अपने खेतों से गांव वालों को आना पड़ता है? क्या इस पर पुल या रपटा सरकार बनवाने की कृपा करेगी?

श्री रामसूर्ति—इसकी जांच पड़ताल की जा रही है।

महराजगंज थाने से १४५ जाब्ता फौजदारी के मुकदमे तथा थाना श्यामदेउरवा के विरुद्ध शिकायतें

४४—श्री अमरनाथ—क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के महराजगंज थाने से कितने मुकदमें दफा १४५ जाब्ता फौजदारी के वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में चलाये गये? उनमें कितने इस समय विचाराधीन हैं?

श्री चरणसिंह—वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में १-४-१९६१ से ७-१२-६१ तक कुल ९ मुकदमें चलाये गए जिसमें से ८ मुकदमात फैसल हो चुके हैं और केवल १ मुकदमा विचाराधीन है।

४५—**श्री अमरनाथ**—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपर्युक्त मुकदमे जो इस समय विचाराधीन हैं, उनमें कितने ऐसे हैं जो किसी पक्ष की रिपोर्ट पर आधारित हैं और कितने ऐसे हैं जो पुलिस ने स्वतः बिना रिपोर्ट के चलाये हैं ?

श्री चरणसिंह—एक मुकदमा जो इस समय विचाराधीन है वह प्रधान गांव सभा पनेवा पनेई की रिपोर्ट पर आधारित है।

४६—**श्री अमरनाथ**—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनको अथवा विभाग को अन्य अधिकारियों के पास थाना श्यामदेउरवा के विरुद्ध वित्तीय वर्ष १९६०-६१ व १९६१-६२ में अब तक कितनी शिकायतें किन-किन किस्मों की तथा किन व्यक्तियों ने दी और उनके सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चरणसिंह—सूचना एकत्र करने में जो समय और श्रम लगेगा वह प्रश्न की उपयोगिता को देखते हुए बहुत अधिक होगा।

ग्राम पंचायत, दूधवन के चुनाव में श्री अवधशरणसिंह का पीटा जाना

४७—**श्री गुप्तारसिंह** (जिला रायबरेली)— जनपद रायबरेली के थाना सरेनी के अन्तर्गत ग्राम दुधवन के श्री अवधशरणसिंह की रिपोर्ट ३०८ के सम्बन्ध में दिनांक २५ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १६ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री अवधशरणसिंह की डाक्टरी रिपोर्ट में कितनी चोटें किस नाप व अस्त्र की दर्ज हैं और उक्त थाना की पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट किस तारीख को दाखिल की है ?

श्री चरणसिंह— श्री अवधशरणसिंह के ६ साधारण चोटें आई थीं। उनका विवरण संलग्न डाक्टरी रिपोर्ट की प्रतिलिपि में दिया हुआ है।

फाइनल रिपोर्ट ४-२-६१ को दाखिल की गई।

(देखिये नत्थी 'म' आगे पृष्ठ ४०१ पर।)

४८—**श्री गुप्तारसिंह**—विधान सभा के दिनांक २५ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७ के उत्तर के क्रम में क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त घटनास्थल ग्राम दुधवन में धारा १४४ पहले से लगा दी गयी थी और जिनके खिलाफ २५ जनवरी, १९६१ को रिपोर्ट लिखायी गयी थी उनके क्या नाम हैं व वे किस गांव के रहने वाले हैं ?

श्री चरणसिंह—जी हां।

जिन व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई गई उनके नाम व निवासस्थान इस प्रकार हैं :

१—श्री नन्हासिंह, निवासी भगवतपुर
२—श्री अयोध्यासिंह, निवासी भगवतपुर
३—श्री मुन्नीसिंह, निवासी भगवतपुर
४—श्री पंची पासी, निवासी भगवतपुर
५—श्री विरऊसिंह, निवासी, परनपुर।

४९—श्री गुप्तारसिंह—विधान सभा के दिनांक २५ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७ के उत्तर के क्रम में क्या गृह मंत्री जी उपरोक्त घटना से संबंधित थाना के दिनांक २५ जनवरी, १९६१ के थानेदारों की दैनिक हाजिरी व रवानगी की जनरल डायरी की प्रतिलिपि व दिनांक २५ जनवरी, १९६१ की शांति भंग होने की संबंध की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह—संबंधित कागजात की प्रतियां संलग्न हैं ।

(देखिये नत्थी 'य' आगे पृष्ठ ४०२–४०३ पर)

५०–५१—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—[४थे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १५७–१५८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

राजकीय पशुधन एवं कृषि फार्म, हेमपुर के मैनेजर के विरुद्ध शिकायतें

५२—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि स्टेट लाइव स्टाक कम-एग्रीकल्चरल फार्म, हेमपुर, (नैनीताल) के अनेक कर्मचारियों को उनके अर्जित अवकाश काल (Privilege leave) आकस्मिक अवकाश तथा मेडिकल छुट्टी की अवधि का वेतन विगत एक वर्ष से अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—स्टेट लाइव स्टाक कम एग्रीकल्चरल फार्म, हेमपुर (नैनीताल) पर ऐसा कोई मामला (Case) नहीं है जिसमें कि कर्मचारियों का उनके अर्जित अवकाश काल, आकस्मिक अवकाश तथा मेडिकल छुट्टी की अवधि का वेतन एक वर्ष से ऊपर का शेष हो ।

५३—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त स्टेट फार्म मैनेजर के विरुद्ध दुर्व्यवहार की अनेक शिकायतें कृषि मंत्री, तथा निदेशक, कृषि विभाग को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या उन पर कोई जांच की गई है ?

श्री चरणसिंह—वर्तमान मैनेजर, राजकीय पशुधन एवं कृषि फार्म, हेमपुर (नैनीताल) के दुर्व्यवहार से संबंधित कुछ समाचार वहां के स्थानीय समाचार-पत्र दिनांक २ जनवरी, १९६२ तथा १२ जुलाई, १९६१ को छपे थे और कृषि मंत्री को प्राप्त हुये थे । इन समाचार में उल्लिखित मैनेजर के दुर्व्यवहार से संबंधित शिकायतों की आवश्यक जांच की गई । जांच से यह पता लगा कि उक्त मैनेजर का व्यवहार फार्म की गिरी अवस्था को सुधारने तथा व्यय में कमी करने के कारण फार्म के कर्मचारियों के प्रति कुछ अधिक कड़ा व सख्त जरूर था और उनको इस बात की चेतावनी दे दी गई है कि वे कर्मचारियों से काम युक्ति से लें तथा शिष्टता का व्यवहार करें ।

२—इसके अतिरिक्त शासन को श्री नारायणदत्त तिवारी, एम०एल०ए० द्वारा उनके पत्र दिनांक २६ नवम्बर, १९६१ के साथ हेमपुर फार्म के कर्मचारियों द्वारा वर्तमान मैनेजर के दुर्व्यवहार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसकी जांच सामान्य प्रबन्धक, राजकीय पशुधन एवं कृषि क्षेत्र, उत्तर प्रदेश द्वारा कराई जा रही है और उनकी रिपोर्ट अभी अपेक्षित है ।

पशु चिकित्सालय, बरेली में प्रशिक्षार्थी कम्पाउण्डरों को स्टाइपेंड न मिलना

५४—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वैटेरिनरी कम्पाउन्डर्स का कोई प्रशिक्षण शिविर १ जुलाई, सन् १९६० से ३१ दिसम्बर, सन् १९६० तक जिला पशु चिकित्सालय, बरेली में चला ? यदि हां, तो क्या इस शिविर में ट्रेनिंग लेने वालों को ट्रेनिंग काल का रुपया नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह--जी हां। उक्त ट्रेनिंग योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षार्थी को ट्रेनिंग काल में स्टाइपेन्ड देने की व्यवस्था नहीं थी अतः इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

५५--**श्री लक्ष्मणराव कदम**--[५ मार्च, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

आफिशियेटिंग पुलिस सब-इंसपेक्टरों का स्थायी न किया जाना

५६--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में आफिशियेटिंग सब-इंस्पेक्टर जो ७ वर्ष से कार्य कर रहे हैं उनको स्थायी सब-इंस्पेक्टर अब तक न बनाने के क्या कारण हैं?

श्री चरणसिंह--जब तक कोई स्थानापन्न सब-इंस्पेक्टर पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय-मुरादाबाद में होने वाले सब-इंस्पेक्टर सिविल पुलिस कोर्स को पास नहीं करले तथा जब तक कोई स्थायी पद उपलब्ध न हो उसके स्थायी किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

५७--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--क्या यह सही है कि १९५८ में जो अस्थायी रूप से सब-इंस्पेक्टर का कार्य कर रहे थे उनका इन्टरव्यू आई० जी० पुलिस ने किया था? यदि हां, तो उसमें कितने थानेदार स्थायी किये गये?

श्री चरणसिंह--सन् १९५८ में आई० जी० पुलिस की अध्यक्षता में एक समिति ने कम से कम लगातार ७ वर्ष से कार्य कर रहे सिविल पुलिस के स्थानापन्न सब-इंस्पेक्टरों का इन्टर-व्यू किया था। उनमें से अभी कोई स्थायी नहीं किया गया है।

५८--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस समय कितने थानेदार अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं?

श्री चरणसिंह--वांछित सूचना निर्धारित समय के भीतर एकत्र करना संभव नहीं हो सका है।

नलकूप डिवीजन, गोरखपुर में चालकों का स्थायीकरण तथा मुन्शियों के स्थायी रिक्त स्थान

५९--**श्री उग्रसेन**--क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नल-कूप डिवीजन, गोरखपुर में १ अप्रैल, सन् १९६० से कितने नलकूप चालक स्थायी किये गये?

श्री राममूर्ति--नलकूप डिवीजन, गोरखपुर में १ अप्रैल, १९६० से १३८ नलकूप चालक स्थायी किये गये हैं।

६०--**श्री उग्रसेन**--क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नलकूप डिवीजन गोरखपुर के कितने कर्मचारियों का कितना पैसा भुगतान हेतु बाकी पड़ा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री राममूर्ति--निर्धारित समय के भीतर वांछित सूचना एकत्र करना संभव न हो सका।

६१--**श्री उग्रसेन**--क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नलकूप डिवीजन, गोरखपुर में कितने मुन्शियों की जगहें कनफरमेशन के लिये कब से खाली पड़ी हैं?

श्री राममूर्ति--नलकूप डिवीजन, गोरखपुर में दो मुन्शियों की स्थाई जगहें १-४-५४ से और १-४-५६ से स्थाई नियुक्तियां करने के लिये खाली पड़ी हैं।

वाराणसी जिले में कूंड़ी नाला पर पुल बनवाने तथा अन्य नालों को गहरा करने के संबंध में जानकारी

६२—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुसुमुरा ग्राम के पास में जो कूड़ी का नाला तहसील व जिला वाराणसी में पड़ता है उसमें एक पुल बाढ़ विभाग द्वारा बनवाने पर वह विचार कर रही है ?

६३—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गांव तरसड़ा के बनता ताल से जो हरिनाथपुर नाला परगना पन्द्रह तहसील व जिला वाराणसी में पड़ता है उसे गहरा कराने पर सरकार विचार कर रही है ?

६४—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मच्छा ताल परगना कोल अमला तहसील व जिला वाराणसी में एक नाला गांव बेलवा में कजरहिया के नाम से बहता है उसे गहरा कराने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

६५—राजा वीरेन्द्रशाह—[हटा दिया गया ।[

जालौन जिले में थाने और चौकियां बढ़ाने पर विचार

६६—राजा वीरेन्द्रशाह—क्या गृह मंत्री इस पर भी विचार करेंगे कि जिला जालौन के देहाती क्षेत्र में आज ६ माह से डाकुओं की परेशानी को देखते हुये देहाती क्षेत्र में पुलिस थाना बढ़ाये जायं, नई पुलिस चौकियां कायम की जायं ?

श्री चरणसिंह—जी हां ।

६७—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—[चौथे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १६१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

खलीलाबाद के सहायक अभियंता की मुअत्तली

६८—श्री झारखंडे राय—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत मई के अन्तिम सप्ताह में बस्ती-स्थित अधिशासी अभियन्ता और खलीलाबाद के सहायक इंजीनियर को मुअत्तल कर दिया गया था ?

श्री राममूर्ति—गत जून मास में सहायक अभियन्ता को ही मुअत्तल किया गया था, अधिशासी अभियन्ता को नहीं ।

६९—श्री झारखंडेराय—यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या आरोप थे और उसमें जांच पड़ताल के बाद अन्तिम कार्यवाही क्या की गई ?

श्री राममूर्ति—सहायक अभियन्ता के विरुद्ध लगाये गये आरोपों पर जांच पड़ताल अभी हो रही है, अतएव उन्हें बताना जनहित में न होगा ।

शाहजहांपुर–बरेली सड़क पर लूटमार की शिकायत

७०—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि शाहजहांपुर से बरेली जाने वाली सड़क के ८ और ९ मील के बीच में उचौलिया ग्राम है जहां बड़ी जबरदस्त लूटमार होती है जिसके कारण ट्रक तथा और सवारियां रात में एक तरफ ही ठहर जाती हैं और सबेरे होने पर ही वहां से रवाना होते हैं ? यदि हां, तो इस स्थिति के सुधार का क्या उपाय किया जा रहा है ?

श्री चरणसिंह—शाहजहांपुर से बरेली जाने वाली सड़क पर ८ व ९ मील के बीच उचौलिया नाम का कोई ग्राम नहीं है और न इस सड़क पर लूट मार की किसी घटना की रिपोर्ट विगत ३ वर्षों में हुई है।

दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर में लड़कियां उठाने वाले कथित गिरोह

७१—**श्री झारखंडेराय**—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर पुलिस को गत सप्ताह १ दर्जन से अधिक समाज में संभ्रांत समझे जाने वाले उन व्यक्तियों के गिरोह का पूरा पता लग गया है जो अपनी कारों पर जबरन लड़कियां उठा ले जाते हैं ?

श्री चरणसिंह—पुलिस को ऐसे किसी गिरोह की जानकारी नहीं है।

७२—**श्री झारखंडेराय**—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि वह इस विषय में क्या कार्यवाही कर रहें हैं ?

श्री चरणसिंह—प्रश्न नहीं उठता।

इटावा से वाराणसी बीज भंडार को मटर लाने का किराया

७३—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—विधान सभा के २९ फरवरी, १९६० के प्रश्न संख्या ३१ के उत्तर के क्रम में क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि इटावा से वाराणसी, आगरा से वाराणसी तथा मथुरा से वाराणसी जून तथा अक्तूबर, सन् १९५९ के महीने में जो मटर ट्रकों से भेजी गयी और उसका किराया अप्रूव्ड लिस्ट से कम दिया जाना बताया गया है उसका कारण क्या है और क्या वे इसकी भी जांच कराने की कृपा करेंगे कि अप्रूव्ड लिस्ट कब बनायी गयी थी और क्या उस समय से ही किराये का रेट अप्रूव्ड लिस्ट में बाजार दर से अधिक है ?

श्री चरणसिंह—जिस एप्रूव्ड (Approved) रेट का जिक्र अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में दिनांक २९-२-६० को किया गया था वह दर मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की धारा ४३ के अन्तर्गत परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है। ट्रक मालिकों से इन्हीं दरों से कम पर मटर भिजवाया गया था। एप्रूव्ड रेट, परिवहन विभाग की विज्ञप्ति सं० ८७६ (१)टी ३०-२३-टी (४९) दिनांक २८-२-५० में प्रकाशित हुये थे। जहां तक इस विभाग को ज्ञात है कि कोई अधिकृत बाजार रेट या ऐसा सामान ले जाने का नहीं है। ट्रक मालिकों के अन्दर स्पर्धा (Competition) करा कर ही यह रेट निर्धारित होता है।

बसनही नाले की खुदाई का अपूर्ण कार्य

७४—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बसनही नाले की खुदाई (जो बलिया एवं आजमगढ़ में पड़ता है) समाप्त हो गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—नाले की लम्बाई ३४ मील के लगभग है, और ३० मील तक खोदा जा चुका है, परन्तु आगे भूमि को acquire करने में कठिनाई उत्पन्न होने से यह काम अभी पूरा नहीं हो सका।

७५—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि उक्त नाले की खुदाई में कुल कितना रुपया व्यय करने की योजना है ?

श्री राममूर्ति—९९,५३४ रुपया।

बेलीगारद क्षेत्र, लखनऊ में पेट्रोलिंग की व्यवस्था

७६—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या बेलीगारद में (लखनऊ रेजीडेन्सी) दिनों दिन हत्याओं तथा अपराध की घटनायें बढ़ रही हैं ? यदि हां, तो क्या वह वहां की गाड़ी को बन्दूक देने तथा वहां सशस्त्र पुलिस के पहरे की व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं । परन्तु ऐसा ज्ञात हुआ है कि बेलीगारद के आस-पास के इलाकों में चोरी की कई घटनायें हुई । यह भी ज्ञात हुआ है कि अपराधी बहुधा बेली गारद की ओर से ही आते हैं । अतः इस एरिया में पैट्रोलिंग आदि की व्यवस्था कर दी गई है ।

पुलिस के विरुद्ध श्री रामसुन्दर पांडेय के पत्र

७७—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री १९ मई, १९६०, के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि तीनों पत्रों की रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है ? यदि हां, तो वह प्रत्येक पत्र की अलग-अलग क्या है ?

श्री चरणसिंह—दो पत्रों के बारे में अर्थात् (१) जिसमें थाना मधुवन के श्री विश्वनाथ प्रसाद के घर पर चोरी की घटना तथा उसी थाने के ग्राम दरगाह के श्री सीताराम की दुकान पर पड़ी कथित डकैती के बारे में पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही न करने व सही रिपोर्ट न लिखने के आरोप हैं तथा (२) जिसमें प्रश्न कर्ता महोदय तथा उनके साथियों की हत्या करने का षड्यन्त्र करने का आरोप है, के बारे में रिपोर्ट आ चुकी है । जांच में इन पत्रों में लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये । तीसरे पत्र के बारे में थाना मऊ के सब इन्सपेक्टर श्री केदारनाथ श्रीवास्तव के पीटे जाने की घटना से संबंधित है । जांच पूरी नहीं की जा सकी क्योंकि एक मुकदमा अभी न्यायालय में विचाराधीन है ।

सिंचाई कार्यशालावृत, कानपुर के अन्तर्गत एक चपरासी की बर्खास्तगी तथा एकाउण्ट्स आफिसर के विरुद्ध शिकायतें

७८—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई कार्यशाला वृत्त, कानपुर में कृषि इंजिनियरिंग डिस्पोजल के दफ्तर में काम करने वाले कितने चपरासियों को जनवरी, फरवरी, सन् ६० में मुअत्तल, बरखास्त और सेवा से मुक्त किया गया तथा उनके रिप्रेजेन्टटेशन करने पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—केवल एक चपरासी को २-२-६० को सेवा से मुक्त किया गया । उक्त कर्मचारी का रिप्रेजेन्टेशन अभी मुख्य अभियन्ता के विचाराधीन है ।

७९—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई कार्यशाला वृत्त, कानपुर में किसी एकाउन्ट्स आफिसर के विरुद्ध अपव्यय, गबन व जाली मार्ग-व्यय बनाने आदि की कोई शिकायत २६ मार्च, १९६१ को सिंचाई विभाग के संबंधित चीफ इंजीनियर को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—जी हां, इस प्रकार की एक शिकायत प्राप्त हुई परन्तु मामले की छान-बीन करने पर आरोप निराधार सिद्ध हुये ।

खीरी, पीलीभीत उपनिवेश योजनान्तर्गत गरीब किसानों को भूमि न मिलने की शिकायत

८०—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें खीरी, पीलीभीत, उपनिवेशन योजना के संबंध में छोटे व गरीब किसानों को भूमि न मिलने की कोई शिकायत अप्रैल, १९६१ में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की ?

श्री चरणसिंह—जी हां। गत अप्रैल माह में तथा इसके पूर्व भी सरकार को इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जिलाधीश पीलीभीत तथा उपनिवेशन अधिकारी, पीलीभीत से प्राप्त रिपोर्टों से सरकार को ज्ञात हुआ कि पीलीभीत उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत अधिकतर निर्धन भूमिहीन मजदूरों को ही भूमि अनुदान की गई है। अतः सरकार ने इस संबंध में कोई और कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं समझी।

दमदौर ग्राम का हत्याकांड

८१—**श्री हरदयालसिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दमदौर नामक गांव, जिला शाहजहांपुर के एक ही परिवार के ८ सदस्यों की १८ अगस्त, १९६१ की रात में नृशंस हत्या कर दी गई है?

श्री चरणसिंह—जी हां।

८२—**श्री हरदयालसिंह**—यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हत्या का उद्देश्य लूटना अथवा दुश्मनी थी?

श्री चरणसिंह—हत्या का कारण दुश्मनी था।

इलाहाबाद पुलिस द्वारा कानपुर की दो लड़कियों की बरामदगी

८३—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद के जो पुलिस के द्वारा गुंडा अभियान दल कायम किया गया है उसमें तारीख २७ अगस्त, १९६१ को कोतवाली थाने के अन्तर्गत दो लड़कियों को वेश्याओं के मकान से बरामद किया था? यदि हां, तो वह लड़कियां कौन थीं और कहां की थीं?

श्री चरणसिंह—२७-८-६१ को नहीं बल्कि २७-७-६१ को पुलिस द्वारा दो लड़कियां बरामद की गई थीं जिनमें एक लड़की एक वेश्या के मकान से बरामद हुई और दूसरी लड़की एक अन्य व्यक्ति के मकान से। यह लड़कियां कानपुर की थीं और उनके नाम क्रमशः श्रीमती सुन्दरी देवी पुत्री श्री लक्ष्मण तथा श्रीमती सौरा देवी पुत्री श्री झुन्नू थे।

८४—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या गृह मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद के कांग्रेस कमेटी तथा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की ओर से कोई लिखित शिकायत उपर्युक्त घटना की आई है। यदि हां, तो क्या?

श्री चरणसिंह—जी नहीं।

८५—**श्री अमरनाथ**—[वापस लिया गया।]

स्टेट लाइव स्टाक-कम-ऐग्रीकल्चरल फार्म, हेमपुर में गेहूं सड़ जाने की जांच

८६—**श्री प्रतापसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि स्टेट लाइव-स्टाक एग्रीकल्चरल फार्म, हेमपुर (नैनीताल) के मैनेजर के व्यवहार के कारण श्रमिकों के भाग जाने से फार्म का कई हजार मन गेहूं खलिहान में पड़ा-पड़ा सड़ गया?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। हेमपुर फार्म पर लगभग ६०० मन गेहूं जल्दी और अधिक वर्षा के कारण अवश्य भीग गया था जिसमें से ४७५ मन गेहूं बीज के लायक नहीं रहा था तथा १२४ मन २० सेर गेहूं खाने के योग्य नहीं रहा था।

८७—**श्री प्रतापसिंह**—क्या कृषि मंत्री को उक्त स्टेट फार्म के किसी कर्मचारी ने विगत जून, ६१ में उक्त सड़े हुये गेहूं का नमूना पार्सल द्वारा भेजा था जो उन्हें प्राप्त हुआ?

श्री चरणसिंह---सरकार को कथित पार्सल प्राप्त नहीं हुआ।

८८---श्री प्रतापसिंह---यदि हां, तो उक्त मामले की जांच किस अधिकारी के द्वारा और कब की गई तथा उसका क्या परिणाम हुआ ?

श्री चरणसिंह---स्टेट लाइव स्टाक कम एग्रीकल्चरल फार्म, हेमपुर (नैनीताल), पर लगभग २,००० मन गेहूं के सड़ जाने का समाचार वहां के स्थानीय समाचार पत्र 'विगुल' में दिनांक १२ जुलाई, १९६१ को छपा था जिसकी जांच स्वयं सामान्य प्रबन्धक, राजकीय पशुधन एवं कृषि क्षेत्र, उत्तर प्रदेश ने दिनांक २८ नवम्बर, १९६१ को की थी। जांच से यह पता चला कि विगत जून, १९६१ को अत्यधिक वर्षा के कारण फार्म पर लगभग ६०० मन गेहूं भीग गया था जिसमें से ४७५ मन गेहूं बीज के लायक नहीं रहा तथा १२४ मन २० सेर गेहूं ही ऐसा था जो कि अधिक खराब हुआ था और मनुष्यों के खाने के अयोग्य था। इस फार्म पर सन् १९६१ में ८६०३ मन गल्ला रबी में पैदा हुआ था।

दबेथुआ ग्राम में नलकूप लगाने का प्रस्ताव

८९---श्री ऊदल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव हसनपुर, बचेउरा, बीकापुर, दबेथुआ, कनिपुर परगना पंद्रह व गांगकलां, बैकुंठपुर, निन्दनपुर, परगना कोल, असला जिला वाराणसी में सिंचाई के लिये ट्यूबवेल तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाने पर वह विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति---तीसरी पंचवर्षीय योजना में दबेथुआ में नलकूप लगाने का प्रस्ताव है। अन्य गांवों में नलकूप लगाने का कोई विचार नहीं है।

ब्रह्मकुमारियों के प्रचार को रोकने का सुझाव

९०---श्री झारखंडेराय---क्या राज्य सरकार को सूचना मिली है कि ब्रह्मकुमारी ईश्वरी-ज्ञान विश्वविद्यालय के नाम से संचालित संस्था के माध्यम से मिर्जापुर में धर्मविरोधी भ्रामक प्रचार को लेकर जनता में उत्तेजना फैल गयी है और स्थानीय अधिकारी चिन्तित हो उठे हैं ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं।

९१---श्री झारखंडेराय---यदि हां, तो क्या सरकार इस संस्था तथा इसके प्रचार साधनों के विषय में प्राप्त सामग्री से सदन को अवगत कराने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह---प्रश्न नहीं उठता।

९२---श्री झारखंडेराय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रचार की रोकथाम के लिये वह क्या कदम उठा रही है ?

श्री चरणसिंह---जब तक कि इस संस्था का कार्य कानून की परिधि में न आये किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

कृषि भूमि संरक्षणार्थ प्रशिक्षण केन्द्र

९३---श्री ताराचन्द माहेश्वरी---विधान सभा के १६ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १,२ के उत्तर के क्रम में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में मोरानीपुर (जिला झांसी) और मझखाली, (जिला अल्मोड़ा) में स्थापित कृषि भूमि के संरक्षण हेतु जिन दो प्रशिक्षण केंद्रों को खोला उनमें योजना बनाते समय प्रतिवर्ष २०० कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की योजना थी ? यदि हां, तो इतने कम कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षित होने के क्या कारण हैं ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्तर्गत खोले गये दो नये प्रशिक्षण केंद्रों—मझखाली, जिला अल्मोड़ा एवं मौरानीपुर, जिला झांसी में प्रति वर्ष प्रति प्रशिक्षण केंद्रों पर ८० प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

९४—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में ८० अनुमानित प्रशिक्षार्थियों के लिये विभिन्न वर्षों में अनुमानित व्यय की धनराशि के अधिक और कम होने का क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह—भवनों के निर्माण एवं अनावर्तक व्ययों के कारण विभिन्न वर्षों के (अनुमानित) व्यय की धनराशि में भिन्नता है।

दोहरीघाट पम्प नहर से निकलने वाली सूरजपुर माइनर

९५—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि दोहरीघाट पम्प नहर से निकलने वाली सूरजपुर माइनर को बढ़ाकर सिकरी कोल तक ले जाने के कार्य की प्रगति क्या है और सिकरी कोल क्षेत्र की सिंचाई कब से प्रारम्भ होगी ?

श्री राममूर्ति—भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही लगभग पूरी हो चुकी है। निर्माण कार्य भूमि प्राप्त होते ही आरम्भ कर दिया जावेगा। सिकरी कोल क्षेत्र की सिंचाई १९६३-६४ में होना संभव हो सकेगी।

९६—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या दोहरी घाट पम्प नहर की सिंचाई कर की दर में कुछ कमी करने की योजना उनके विचाराधीन है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं।

घोसी थाने की पुलिस के विरुद्ध शिकायत

९७—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या गृह मंत्री ५ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १० के उत्तर से उत्पन्न अनुपूरक प्रश्नों में गलत उत्तर देने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा १० मार्च, १९६१ का भेजा हुआ कोई पत्र उन्हें मिला है। यदि हां, तो गलत सूचना देने वाले अधिकारी के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—जी हां। संबंधित अधिकारियों को जिलाधीश के द्वारा यह निदेश दिये गये हैं कि भविष्य में प्रश्नों का उत्तर भेजते समय उचित सावधानी बरती जाय।

झांसी नगरपालिका संबंधित दो व्यक्तियों के विरुद्ध रिश्वत लेने के आरोप की जांच

९८—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि २८ मार्च, १९६१ को रिश्वत लेने के अभियोग में दो मुल्जिम नगरपालिका, झांसी में जो नगरपालिका से संबंधित थे, रिश्वत लेते पकड़े गये ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही हुई और क्या इस विषय में कोई आवेदन-पत्र उक्त मामले के मुद्दई का अतिरिक्त इंस्पेक्टर जनरल महोदय उत्तर प्रदेश को १ से १० अप्रैल, १९६१ तक प्राप्त हुआ है ? उस आवेदन-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं। कोई व्यक्ति रिश्वत लेते नहीं पकड़े गये। श्री बैजनाथ नामक एक व्यक्ति ने जिलाधीश झांसी को २८-३-६१ को एक प्रार्थना पत्र दिया कि २ म्युनिसिपल कमिश्नर उससे घूस मांग रहे हैं। उक्त व्यक्तियों को घूस लेते हुये रंगे हाथों पकड़ने का प्रयत्न किया गया जो विफल रहा। रिश्वत लेने का कोई प्रमाण न होने के कारण उन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री बैजनाथ का इस विषय में एक आवेदन पत्र दिनांक ५ अप्रैल, १९६१ को अतिरिक्त इन्सपेक्टर जनरल, लखनऊ को प्राप्त हुआ जिस पर विभाग के एक अफसर ने जाकर उक्त मामले की पुनः जांच की। रिश्वत लेने का कोई प्रमाण नहीं पाया गया।

९९---श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या यह सही है कि उक्त मामले में एस० पी० व डी० एम०, झांसी को प्रथम सप्ताह अप्रैल, १९६१ में इस प्रकार की दरख्वास्तें उक्त मामले की मुद्दई ने दी कि उसे धमकाया जा रहा है कि वह मामला वापस ले ले और पुलिस ने मुलजिमान को छोड़ दिया है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री चरणसिंह---जी नहीं, मुद्दई ने कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं दी।

इलाहाबाद में चोरियां

१००---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद नगर में जुलाई, १९६१ से २० अगस्त, १९६१ तक कितनी चोरी की रपट थानों पर हुई और उनमें कितना धन चोरी का लिखा गया?

श्री चरणसिंह---पूरी सूचना अभी एकत्र नहीं हो सकी है।

१०१---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार कृपया कर बतायेगी कि इलाहाबाद में जुलाई, १९६१ से अगस्त, १९६१ तक कितने, स्थानों की चोरी के माल बरामद हुये तथा उस संबंध में कितने आदमी पकड़े गये और कितने मुकदमों का चालान हुआ?

श्री चरणसिंह---प्रश्न नहीं उठता।

हल्द्वानी निवासी श्री हरीराज सिंह की मृत्यु की जांच

१०२---श्री झारखंडेराय---क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत २९ अप्रैल को आनसिंहपाल के लड़के हरिदाससिंहपाल (हल्द्वानी शहर नैनीताल) को कतिपय हत्यारों ने तेज धार वाले हथियार से सर काट कर हत्या को छिपाने की नियत से रेलवे लाइन पर रख दिया था?

श्री चरणसिंह---मृत व्यक्ति का नाम हरीदाससिंह नहीं, बल्कि हरीराजसिंह था। सी० आई० डी० द्वारा की गई जांच से मामला आत्म हत्या का पाया गया है।

१०३---श्री झारखंडेराय---यदि हां, तो इस हत्या में कितने लोग गिरफ्तार किये जा चुके हैं तथा अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री चरणसिंह---प्रश्न नहीं उठता।

"थानगांव व महमूदाबाद थानों की समस्या का बहराइच व बाराबंकी जिलों से संबंध" विषयक पत्र

१०४---श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ३ अप्रैल, सन् १९६१ ई० को प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र जिसका विषय शीर्षक "थाना थानगांव और महमूदाबाद (सीतापुर) से संबंधित समस्या का संबंध जिला बहराइच और जिला बाराबंकी से भी है" था, १४१ काश्तकरों की सूची सहित प्राप्त हुआ था?

श्री चरणसिंह--जी हां, इस पत्र का शीर्षक थाना थानगांव और महमूदाबाद (जिला सीतापुर) की समस्याओं के बारे में था। इस पत्र के साथ १०० काश्तकारों की सूची प्राप्त हुई थी।

१०५--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--यदि हां, तो क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त १४१ काश्तकारों में से कितने काश्तकारों और उनके रिश्तेदारों को दिनांक १४-१५ अप्रैल, १९६१ को महमूदपुर खाला थाना, जिला बाराबंकी और थाना थानगांव, जिला सीतापुर के सहयोग से दी गई दबिश में ग्राम फत्तेपुरवा मश्मूले अटौरा, ग्राम पतवापुर, ग्राम फतेहबहादुर पुरवा मश्मूले कनरखी और ग्राम पंडित पुरवा मश्मूले रामपुर से किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया और क्या यह सत्य है कि गिरफ्तार व्यक्तियों को प्रश्नकर्ता के उपर्युक्त दिनांक ३ अप्रैल, १९६१ ई० के पत्र में उल्लिखित व्यक्ति श्री मृत्युन्जयबख्शसिंह निवासी रामपुर मथुरा थाना थानगांव जिला सीतापुर के मकान पर लाकर अत्यधिक मारा पीटा गया और इन में से एक लोनियां की स्त्री को जिसका केवल ३ घंटे पहले बच्चा पैदा हुआ था इतना मारा गया कि वह चार घंटे तक लगातार बेहोश रही ?

श्री चरणसिंह--थाना मुहम्मदपुर, जिला बाराबंकी के ग्राम भगवतपुर में पड़ी डकैती के संबंध में दिनांक १४/१५ अप्रैल, १९६१ को ग्राम फतेहपुरवा, पतवापुर फतेहबहादुर पुरवा, सोनियन पुरवा तथा पंडितपुरवा में दी गई दबिश में ६ व्यक्ति पकड़े गये थे। इनमें से केवल एक व्यक्ति राम मनोहर पुत्र कल्लू का नाम प्रश्न कर्त्ता के पत्र के साथ प्राप्त सूची में में है।

गिरफ्तारी के पश्चात् इन लोगों ने शिकायत की कि श्री मृत्युञ्जयबख्शसिंह की साजिश से इनके साथ अत्याचार हुआ है। थाना थानगांव के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध आरोपों की जांच की गई परन्तु वे प्रमाणित न हो सके।

थाना मुहम्मदपुर जिला बाराबंकी के कर्मचारियों के विरुद्ध आरोपों की जांच पूरी न की जा सकी क्योंकि संबंधित डकैती का मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

मधुवन तथा कोपागंज थानों के विरुद्ध शिकायत

१०६--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या गृह मंत्री २५ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि सर्किल आफिसर द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट क्या है ?

श्री चरणसिंह--सर्किल आफिसर की जांच रिपोर्ट संक्षेप में इस प्रकार है :

प्रार्थी श्री मुहम्मद ने दिनांक १८-८-६० को कोई रिपोर्ट थाने पर इस आशय की नहीं लिखाई थी कि जब वह कुयें पर पानी भर रहा था तो गफूर व अन्य व्यक्तियों ने उसे पीटा और उसके भाई को लाठियों से मारा।

दिनांक १९-८-६० को कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी को पीटे जाने की घटना से संबंधित एक रिपोर्ट प्रार्थी ने लिखाई थी जो थाने पर उसी दिन दर्ज की गई। प्रार्थी द्वारा लिखाई गई चोटें साधारण होने के कारण यह रिपोर्ट non-cognizable पाई गई। इसलिये पुलिस ने उसपर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी। यह आरोप सही नहीं है कि प्रार्थी को पुलिस ने प्रथम सूचना में केवल ४ व्यक्तियों को नामजद करने के लिये मजबुर किया।

प्रार्थी ने जांच के दौरान में सर्किल आफिसर को बताया कि उसे पुलिस के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है।

१०७—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री २५ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि रिपोर्ट लिखाने वाले व्यक्ति से रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं कराये गये थे और रिपोर्ट की नकल बार-बार मांगने पर भी क्यों नहीं दी गई ?

श्री चरणसिंह—चूंकि लिखित रिपोर्ट दी गई थी इसलिये बादी से रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराने का प्रश्न नहीं उठता था। रिपोर्ट की प्रति रिपोर्ट दर्ज कराने वाले को दी गई थी।

१०८—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच किस अधिकारी से कराई गई और कितने रुपये की चोरी जांच में प्रमाणित हुई ?

श्री चरणसिंह—सर्किल इन्सपेक्टर द्वारा जांच की गई। जांच से उतने ही की चोरी प्रमाणित हुई जितनी प्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज की थी।

वन पोखरा गांव सभा के चुनाव में मधुवन थाने की पुलिस द्वारा कथित ज्यादती

१०९—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री दिनांक ४ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८६ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि जांच किस अधिकारी से कब कराई गई और किन-किन व्यक्तियों से बयान लिया गया तथा सफाई में कौन-कौन गवाह दिये गये ?

श्री चरणसिंह—शिकायत की जांच सर्किल इन्स्पेक्टर श्री लक्ष्मीनारायणसिंह तथा श्री एच०सी० वर्मा, तत्कालीन तहसीलदार घोसी ने क्रमशः २८-१-६१ तथा ६-३-६१ को की। सर्किल इन्सपेक्टर ने अपनी जांच के सिलसिले में श्री वर्मा से पूछ ताछ की थी क्योंकि वे चुनाव स्थल पर कुछ समय के लिये उपस्थित थे। तहसीलदार ने प्रार्थी द्वारा दी गई गवाहों की सूची के अनुसार अपनी जांच में बनपोखरा गांव के निवासी सर्व श्री फेकू, रघुनाथ, बैजनाथ, प्रीतम तथा इनके अतिरिक्त प्रिसाईडिंग आफिसर श्री दौलतराम के बयान लिये। अन्य किसी के बयान नहीं लिये गये।

विधायक निवास नं० ४ के वृक्षों का नीलाम

११०—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विधायक निवास नं० ४ में गत तीन वर्षों में कितने वृक्ष अपने आप गिरे या भवन निर्माण के लिये गिराये गये ?

श्री रामसूर्ति—विधायक निवास नं० ४ में गत ३ वर्षों में दो वृक्ष अपने आप गिरे तथा ५ वृक्ष भवन निर्माण के लिए गिराये गये।

१११—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इनमें से कितने वृक्ष नीलाम किये गये और उनसे कितनी आय हुई। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामसूर्ति—५ वृक्ष नीलाम किये गये और उनसे कुल १२१ रुपये की आय हुई।

११२-११३—श्री झारखंडेराय—[हटा दिये गये।]

बनमोली ग्राम में नहर विभाग द्वारा गिराये गये मकान का मुआवजा

११४—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम उफरौली, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के किसानों का कोई प्रार्थना-पत्र २९ सितम्बर, १९६० का भेजा हुआ उन्हें प्राप्त हुआ है, जिसमें कहा गया है कि दोहरीघाट नहर की उपशाखा बाहर्डीह पर बमनोली ग्राम की आराजी नं० १९७ में बना हुआ मकान बिना मुआवजा के गिरा दिया गया ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और परिणाम क्या हुआ ?

श्री राममूर्ति—जी हां। ऐसा एक प्रार्थना-पत्र मिला था जिसकी जिलेदार और अधिशासी अभियन्ता ने जांच की तथा परिणाम स्वरूप २१६ रुपये मुआवजा दिया गया।

११५—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—[हटा दिया गया।]

११६-११७—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—[हटा दिये गये।]

विधायक निवासों में विधायकों के अतिरिक्त लोगों का रहना

११८—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधायक निवासों में विधायकों के रहने वाले कमरों के अतिरिक्त कितने कमरे, कोठरी और बाथरूम हैं जिसमें लोग रह रहे हैं या उन्हें किसी अन्य प्रकार से प्रयोग में ला रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—विधायक निवासों में विधायकों के रहने वाले कमरों के अतिरिक्त दो कोठरियां हैं जिनमें एक कोठरी में विधायक निवास के एक भूतपूर्व रेसेपनिस्ट तथा दूसरे में एक भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा जो अब लोक सभा के सदस्य हैं, के अधिकार में है। एक कमरा जिला समाज कल्याण समिति को कार्यालय हेतु दिया गया है। अन्य कमरे, कोठरियां तथा बाथरूम इत्यादि विधायक निवास सम्बन्धी अन्य कार्यों के हेतु प्रयोग में लाये जाते हैं।

११९—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार ने किस नियम के अन्तर्गत उपरोक्त स्थान उपयोग के लिये दिये हैं उनसे सरकार को कितनी आमदनी होती है तथा सरकार का उन पर बिजली पानी आदि में कितना व्यय होता है ?

श्री राममूर्ति—उपरोक्त दो कोठरियां तथा एक कमरा ऊपर दिये गये प्रयोग के लिये विशेष परिस्थितियों में दिये गये हैं। भूतपूर्व सदस्य विधान सभा जो अब सदस्य लोक सभा हैं से २७ रु० ४० नये पैसे प्रति मास की दर से किराया लिया जा रहा है तथा जिला समाज कल्याण समिति से २९ ० ७५ न० पै० की दर से किराया लिया जा रहा है। इन कोठरियों तथा कमरे में केवल बिजली का प्रबन्ध है जल की कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली का खर्चा किराया में शामिल है।

छोटी गंडक नदी के बैकुण्ठी घाट पर नाव दुर्घटना

१२०—**श्री झारखंडेराय**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि घुघली (गोरखपुर) के समीप छोटी गंडक नदी के बैकुण्ठी घाट में एक भीषण नाव दुर्घटना हाल में हो गई, जिसमें दर्जनों व्यक्तियों की जल-समाधि हो गई ?

१२१—यदि हां, तो क्या सरकार उसका संक्षिप्त विवरण सदन के सम्मुख प्रस्तुत करेगी और यह भी बतायेगी कि उसकी ओर से इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चरणसिंह—आवश्यक सूचना अभी एकत्र नहीं की जा सकी है।

मिर्जा जमालपुर, लाखीपुर तथा विढवल ग्रामों से घोसी थाने के विरुद्ध शिकायतें

१२२—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मिर्जा जमालपुर, थाना घोसी, जिला आजमगढ़ के किसानो ने १६ नवम्बर, १९५९ को थाना घोसी के पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध इस आशय की दरख्वास्त दी है कि उन्हें रात भर निरपराध हवालात में बन्द करके दूसरे दिन २०९ रुपये घूस लेकर छोड़ा गया ? यदि हां, तो उक्त दरख्वास्त की जांच किस अधिकारी से कराई गई और उसका परिणाम क्या हुआ ?

श्री चरणसिंह--ग्राम मिर्जा जमालपुर के ४ तथा ग्राम लाखीमपुर के १ व्यक्ति का एक दिनांक रहित प्रार्थना-पत्र जिलाधीश द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिनांक १८--२--६० को प्राप्त हुआ था जिसमें प्रार्थियों को पर थाना घोसी रात भर रोक कर मारे पीटे जाने के तथा दूसरे दिन २१० रुपये लेकर छोड़ने के आरोप थे। इसकी जांच उप पुलिस अधीक्षक (परिवाद) द्वारा कराई गई और आरोप आंशिक रूप में सही पाए गए। अतः थाना अधिकारी के पेंशन में २५ प्रतिशत कटौती कर दी गई है तथा एक कांसटेबुल का वेतन एक साल के लिये १ रुपये प्रतिमास की दर से घटा दिया गया।

१२३--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम विढ़वल, थाना, घोसी जिला आजमगढ़ के कुछ किसानों ने १८ दिसम्बर, १९५९ को स्थानीय पुलिस के विरुद्ध आवेदन-पत्र उन्हें और पुलिस कप्तान को दिया है? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई?

श्री चरणसिंह--उक्त गांव के एक व्यक्ति ने ऐसा आवेदन-पत्र दिया था। उसकी जांच की गई, किन्तु आरोप सही नहीं पाए गए।

बरेली सड़क पर हल्द्वानी के निकट ट्रक-रिक्शा टक्कर

१२४--**श्री झारखंडेराय**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत १६ मई, १९६१ को रात्रि साढ़े आठ बजे बरेली रोड पर खन्ना फार्म के पास हल्द्वानी (जिला नैनीताल) के निकट एक मोटर ट्रक से रिक्शा की टक्कर हो गई जिसमें एक व्यक्ति मर गया और रिक्शा चूर-चूर हो गया?

श्री चरणसिंह--इस प्रकार की दुर्घटना अवश्य हुई किन्तु उसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, परन्तु रिक्शा टूट फूट गया।

१२५--**श्री झारखंडेराय**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही उसकी ओर से हुई है?

श्री चरणसिंह--ट्रक ड्राइवर का भारतीय दंड विधान की धारा २७९/३३७ के अन्तर्गत चालान करके मुकदमा न्यायालय में भेजा गया।

चन्दौसी में समाजवादी दल के जलूस पर ईंटें फेंकना

१२६--**श्री रामस्वरूप वर्मा**--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि २० अगस्त, १९६१ ई० को रात्रि के साढ़े ९ बजे के लगभग सोशलिस्ट पार्टी के जुलूस पर, चन्दौसी, जिला मुरादाबाद में कुछ कांग्रेसियों ने गोली व ईंटों से हमला किया? यदि हां, तो कितने व्यक्ति इससे घायल हुये और कितने लोग इस सम्बन्ध में पकड़े गये?

श्री चरणसिंह--दिनांक २०-८-६१ को रात्रि के लगभग ९-३० बजे श्री देवेन्द्र गुप्ता ने चन्दौसी में एक जुलूस निकाला। जब जुलूस नगर कांग्रेस मंडल के प्रधान, श्री नरेन्द्र मोहन के मकान के निकट पहुंचा तब श्री गुप्ता ने श्री नरेन्द्र मोहन के विरुद्ध अपशब्द कहे तथा नारे लगाये। इस पर श्री नरेन्द्र मोहन के मकान की तरफ से दो हवाई फायर हुए तथा तीन चार ईंटों के टुकड़े सड़क पर गिरे। गोली से कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ, केवल एक लड़के के पैर पर ईंट की साधारण चोट आई। इस संबंध में श्री गुप्ता द्वारा नामजद किये गये ६ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। जिस लड़के के पैर में ईंट की चोट आई थी उसने न्यायालय में यह बयान दिया कि उसे चोट नाली में गिरने से लगी थी। प्रमाण के अभाव के कारण मामले में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई।

*१२७—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या यह सही है कि उपर्युक्त जुलूस निकालने की सूचना, सुरक्षात्मक प्रबन्ध करने का निवेदन स्थानीय पुलिस अधिकारियों से दिनांक १४ अगस्त, १९६१ को ही कर दिया गया था ? यदि हां, तो फिर प्रबन्ध में ढिलाई क्यों की गई और इस प्रकार ढिलाई के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—जी हां। सूचना के आधार पर बाजार के मुख्य स्थानों पर पुलिस का समुचित प्रबन्ध था तथा पुलिस के कर्मचारी सादी पोशाक में जुलूस के साथ थे। प्रबन्ध में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं की गई। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

पशु चिकित्सालयों के लिये "मैगसेल्फ" का क्रय

*१२८—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २५ फरवरी, १९६१ से ३१ अगस्त, १९६१ तक कितनी-कितनी मात्रा में "मैगसेल्फ" बी० पी० क्वालिटी का और कितनी-कितनी मात्र में इंडस्ट्रियल कार्मशियल क्वालिटी का प्रदेश के कौन-कौन से पशु चिकित्सालयों में किन-किन अप्रूव्ड फर्मों या बिना अप्रूव्ड फर्मों से किस कीमत पर क्रय किया गया है ?

श्री चरणसिंह—जो सूचना उपलब्ध हो सकी है उससे यह ज्ञात होता है कि सम्बन्धित काल में केवल बी० पी० क्वालिटी की मैगसेल्फ क्रय की गई। मैगसेल्फ की मात्रा, रेट, चिकित्सालय जिनको सप्लाई की गई, तथा सप्लाई करने वाली फर्मों के नाम संलग्न† सूची में दिये हुये हैं।

*१२९—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि पशु चिकित्सालयों में पशुओं के इस्तेमाल के लिये इंडस्ट्रियल कार्मशियल क्वालिटी का "मैगसेल्फ" क्रय किया जाना चाहिये ? यदि हां, तो बी० पी० क्वालिटी का मैगसेल्फ पशु चिकित्सालयों में क्रय किये जाने का क्या कारण है ? क्या यह सत्य है कि बी० पी० क्वालिटी के मैगसेल्फ के मुकाबले इंडस्ट्रियल कार्मशियल क्वालिटी के मैगसेल्फ की कीमत आधे से भी कम होती है ?

श्री चरणसिंह—इन्डस्ट्रियल कार्मशियल क्वालिटी की मैगसेल्फ कम शक्तिशाली होने के कारण औषधीय दृष्टिकोण से उसका प्रयोग पशु चिकित्सालयों में नहीं किया जाता है। पशु चिकित्सालयों में केवल बी० पी० क्लवालिटी की मैगसेल्फ का प्रयोग किया जाता है। चूंकि इन्डस्ट्रियल कार्मशियल क्वालिटी की मैगसेल्फ का विभाग द्वारा क्रय नहीं किया गया अतः दोनों की दरों के अन्तर के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है।

वाराणसी में कथित आंख फोड़ बाबा की गिरफ्तारी

*१३०—**श्री झारखंडे राय**—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर के कुख्यात कनपटीमार बाबा का एक नवीन संस्करण "आंख फोड़ बाबा" वाराणसी में गिरफ्तार किया गया है जिसकी तलाश अर्से से पुलिस कर रही थी ?

*१३१—यदि हां, तो क्या गृह मंत्री जी इस "आंख फोड़ बाबा" के सविस्तार वृतान्त से सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। वाराणसी पुलिस किसी "आंख फोड़ बाबा" की तलाश में नहीं थी।

वाराणसी की रेलवे पुलिस ने हजारी लाल नामक एक व्यक्ति को अवश्य गिरफ्तार किया है जिसने काशी स्टेशन पर एक व्यक्ति के भौंहों के पास चाकू से चोट पहुंचाई थी तथा एक दूसरे व्यक्ति के हाथ पर किसी तेजधार के हथियार से चोट पहुंचाई थी।

---

†सूची छापी नहीं गई।

करमामहरूपुर ग्राम से पानी निकासी की मांग

१३२---श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सिंचाई मंत्री दिनांक ४ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३५ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित नाले की खुदाई का काम किन गांव सभाओं के जुम्मे सुपुर्द किया गया है ?

श्री रामसूर्ति---रधौली तथा सरायगनेश गांव सभाओं के सुपुर्द किया गया है ।

१३३---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सिंचाई मंत्री इसकी जांच फिर से कराने की कृपा करेंगे कि यह ड्रेन ५ मील से अधिक लम्बी है ? यदि हां, तो उसका निर्माण सरकारी स्तर पर कराने की योजना वे बनायेंगे ?

श्री रामसूर्ति---इस ड्रेन की फिर से जांच की गई परन्तु उस की लम्बाई केवल ३ मील ४ फर्लांग ही है । अतः उसके पक्के कार्य ही सरकारी स्तर पर किये जायेंगे ।

१३४---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या दोहरीघाट मुख्य नहर की उपशाखा मधुवन से निकाली जा रही है ? यदि हां, तो उसकी लम्बाई क्या है, और उससे कितने एकड़ का सिंचन होगा ?

श्री रामसूर्ति---जी नहीं । दोहरीघाट मुख्य नहर की उपशाखा मधुवन से नहीं निकाली जा रही है ।

१३५---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दरियाबाद तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ की खेती का सिंचन सम्प्रति किस प्रकार किया जा रहा है ?

श्री रामसूर्ति---नत्थूपुर रजवहा तथा मधुबन माइनर से ।

१३६-१३७---श्री झारखंडेराय---[हटा दिये गये ।]

१३८---श्री रामसुन्दर पांडेय---[हटा दिया गया ।]

साहूपुर, मुहम्मदपुर, इन्दारा तथा कटवास ग्रामों में सिंचाई

१३९---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम साहूपुर, उर्फ बाबूपुर, मुहम्मदपुर कटवास तथा इन्दारा गांव जो तहसील घोसी के अन्तर्गत स्थित हैं इनकी सिंचाई का क्या प्रबन्ध है ?

श्री रामसूर्ति---ग्राम साहूपुर उर्फ बाबूपुर, इन्दारा तथा मुहम्मदपुर की सिंचाई इन्दारा डिस्ट्रीब्यूटरी से होती है । ग्राम कटवास की सिंचाई के लिये लाड़लपुर माइनर बनाने का प्रस्ताव है ।

रोशनदौला कचेहरी, लखनऊ में हवालातियों का रक्षक पुलिस पर हमला

१४०---श्री झारखंडे राय---क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत १६ अगस्त को रोशनदौला कचहरी लखनऊ में हवालातियों और रक्षक पुलस से हाथापाई हो गई और उसमें पुलिस ने लाठी चार्ज किया जिसमें ११ बन्दी बुरी तरह घायल हुये ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं । किन्तु दिनांक १४-८-६१ को कुछ कैदियों ने पुलिस कर्मचारियों पर हमला किया था ।

१४१---श्री झारखंडे राय---क्या गृह मंत्री जी पूरे मामले का संक्षिप्त विवरण बतायेंगे ?

श्री चरणसिंह—विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'र' आगे पृष्ठ ४०४ पर)

दुवारी ग्राम से बाढ़ पीड़ित शिविर संबंधी शिकायती-पत्र

१४२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम दुवारी, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत सरकार द्वारा निर्मित बाढ़ पीड़ित शिविर को पूर्ण कराने एवं ठेकेदार को पूरा रुपया न देने का शिकायती-पत्र ग्रामीणों द्वारा १४ अप्रैल, १६० तक भेजा हुआ मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ था ?

श्री राममूर्ति—केवल एक शिकायती-पत्र श्री मंगल देव शास्त्री का इस संबंध में प्राप्त हुआ है ।

१४३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त आवेदन-पत्र की जांच परगनाधीश घोसी द्वारा कराई गई और जांच की रिपोर्ट सरकार के पास महीनों से विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री राममूर्ति—इस रिपोर्ट पर जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है । विभाग ने बाढ़ शिविर बनाने पर १०,००० रु० तक खर्च करने का निर्णय किया था फिर भी इस शिविर को १३,५३७ रु० लगाकर पूरा कर दिया गया है । स्कूल की तरफ से यह मांग है कि ४,००० रु० और लगाकर एक रिटेनिंग वाल भी बना दी जाय परन्तु विभाग के पास ऐसे काम के लिये रुपया नहीं है । स्कूल के अधिकारियों का कहना है कि उनका ७,००० रु० अधिक व्यय हुआ है जो उनको मिलना चाहिये परन्तु यह रुपया उनको नहीं दिया जा सकता क्योंकि १०,००० • से ऊपर खर्च स्कूल को ही देना था ।

झांसी पुलिस द्वारा लड़कियों का अनैतिक व्यापार करने वाले गिरोह की गिरफ्तारी

१४४—श्री झारखंडे राय—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि ९ सितम्बर, १९६१ को समाप्त होनेवाले सप्ताह में झांसी के गुंडा विरोधी पुलिस दस्ते ने लड़कियों का अनैतिक व्यापार करने वाले एक बड़े अन्तर्प्रान्तीय गिरोह को पकड़ा है ?

श्री चरणसिंह—जी हां ।

१४५—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार अब तक की प्राप्त सूचनाओं से सदन को अवगत करायेगी ?

श्री चरणसिंह—इस संबंध में एक मुकदमा धारा १२० बी, ३४१, ३४२, ३६३, ३६६, ३७६, ३७२ ता० हिं० कायम हुआ है और इसकी तफतीश सी० आई० डी० द्वारा की जा रही है ।

दोहरीघाट, विकास खण्ड अधिकारी के विरुद्ध आरोपों की जांच तथा डाकुओं के मुकाबले में मृत राजवंशी के आश्रितों को पेंशन

१४६—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाल में दोहरीघाट जिला आजमगढ़ विकास खंड के अधिकारी के विरुद्ध हेल्थ निरीक्षिका को मारने तथा जबरदस्ती कमरे में बन्द करने आदि की शिकायत की जो जांच परगनाधीश घोसी द्वारा करायी जा रही थी उसका परिणाम क्या हुआ ?

श्री चरणसिंह—परगनाधीश घोसी द्वारा कराई गई जांच के फलस्वरूप विकास खंड के अधिकारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप असत्य पाये गये ।

१४७—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विकास खंड से किन-किन अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया ?

श्री चरणसिंह—केवल विकास खंड के अधिकारी का स्थानान्तरण जांच के दौरान कर दिया गया था ।

१४८—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम उसुरी नारायणपुर थाना मधुवन जिला आजमगढ़ में ५ मई, १९५६ को डकैतों का मुकाबिला करते हुये किसी चौकीदार की मृत्यु हो गई थी ?

श्री चरणसिंह—डाकुओं से किये गये ५-५-५६ के मुकाबिले में किसी चौकीदार की मृत्यु नहीं हुई । चौकीदार राजबली के भाई राजबंशी की मृत्यु अवश्य हुई ।

१४९—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मृत चौकीदार की विधवा पत्नी की ओर से नाबालिग बच्चों के साथ गुजर करने हेतु आजीवन पेन्शन की दरख्वास्त दी गई, पर अब तक निर्णय न लेने का कारण क्या है ?

श्री चरणसिंह—चौकीदार की पत्नी द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता । स्वर्गीय राजबंशी के आश्रितों को सन् १९५७ में ही पेंशन स्वीकृत कर दी गई थी ।

'ताल पताछ प्रोजेक्ट' की जांच

१५०—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री दिनांक २१ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि ताल पताछ योजना का प्रारम्भ कब होने जा रहा है ?

श्री रामसूर्ति—इस योजना का प्राक्कलन टेक्निकल सब कमेटी और राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति के लिये भेज दिया गया है और उक्त बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही इस पर कार्य आरम्भ किया जायगा ।

१५१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्तरिम जिला परिषद् आजमगढ़ द्वारा उक्त योजना को शीघ्र बनाने के लिये कोई प्रस्ताव पारित हुआ है जिसमें इस योजना को शीघ्र बनाने की मांग की गई है ? यदि हां, तो अब तक की उक्त योजना के संबंध में क्या प्रगति है ?

श्री रामसूर्ति—अन्तरिम जिला परिषद् आजमगढ़ ने प्रस्ताव संख्या ४० दिनांक २७-५-६१ द्वारा पताछ ताल योजना के निर्माण कार्य की सहमति दे दी है, परन्तु इस प्रस्ताव में उक्त योजना को शीघ्र बनवाने की कोई मांग नहीं की गई है ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ के अधीन प्रख्यापित विज्ञप्तियां *

चिकित्सा उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट, १९४८, की धारा ३-क के अधीन प्रख्यापित वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री कर) विभाग की विज्ञप्तियां संख्या एस० टी० ४९२०/१०-१३३५/ (४२)-६०, दिनांक १५ नवम्बर, १९६१, संख्या एस० टी० ४९२१/१०-१०३५(४२)-६०, दिनांक १५ नवम्बर, १९६१, संख्या एस० टी० ४६८४/१०-९००(९)-७१, दिनांक १८ नवम्बर, १९६१, तथा संख्या एस० टी० ५१४।१०-९०० (६)-६१, दिनांक १३ फरवरी, १९६२, को उक्त धारा ३-क की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

---

* छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१-६२ का तृतीय पूरक) विधेयक, १९६२

श्री अध्यक्ष—अब सचिव, विधान सभा, परिषद् की ओर से जो सूचनायें आई हैं उन्हें सदन के सामने उपस्थित करेंगे ।

सचिव, विधान सभा—अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १५५ के अन्तर्गत मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१-६२ का तृतीय पूरक) विधेयक, १९६२, जो विधान सभा द्वारा ३ मार्च, १९६२ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से, बिना किसी सिफारिश के, ५ मार्च, १९६२ को वापस प्राप्त हो गया है ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा—अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १५५ के अन्तर्गत मैं सदन को यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६२ जो विधान सभा द्वारा ५ मार्च, १९६२ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से, बिना किसी सिफारिश के, आज ६ मार्च, १९६२ को, वापस प्राप्त हो गया है ।

देवरिया जिले में टेस्ट वर्क पर काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी न मिलने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब नियम ५२ के अन्तर्गत राजस्व मंत्री अपना वक्तव्य देंगे ।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—अध्यक्ष महोदय, देवरिया जिले में आज तक कुल ७,३५,००० हजार रुपया टैस्ट वर्क्स के लिये सरकार ने मंजूर किया । इसका ब्यौरा इस प्रकार है । बाढ़ आने के पहले २,३५,००० हजार रुपया, सितम्बर ६१ में, ५०,०००, रुपया फरवरी सेकेन्ड को सन् ६२ में ५०,००० रु०, ६ फरवरी को १,००,००० रु० और मार्च रवां में ३,००,००० रुपया में जिले की एमर्जेंसी रिलीफ कमेटी के सुझाव के मुताबिक ८ सड़कों पर काम शुरू हुआ था । १० फरवरी तक जिन सड़कों पर काम हुआ, सबका पेमेंट हो गया था । २ सड़कों पर काम २० जनवरी, सन् ६२ तक बन्द हो गया था चूंकि वे पूरी हो गईं और एक में हाजिरी कम थी । ६ का काम जारी था । इनमें से ३ का पेमेंट १७ फरवरी तक कुल हो गया । बकिया पेमेंट की देरी के दो कारण थे, जिसके लिये मुझे खेद है । जनरल इलेक्शन में पी० डब्ल्यू डी० का सारा स्टाफ लग गया और वीकली खर्चे का स्टेटमेंट गवर्नमेंट में नहीं आया । कायदे की रू से आना चाहिये था । इस कारण मंजूरी में देर हुई । उसके आने पर ३,००,००० रुपया मंजूर हो गया और पेमेंट हो रहा है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—प्रति दिन मजदूरी देने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अब रोजमर्रा दे दिया जायगा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि देवरिया के जिलाधीश के पास पैसा था और मजदूरी फिर भी नहीं दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसी बात नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---मैंने एक पत्र माननीय माल मंत्री जी को आजमगढ़ जिले के बारे में भेजा था, उसकी जानकारी भी करा दें तो अच्छा हो ।

श्री अध्यक्ष---वह कमरे में ही जवाब देंगे । मैंने उसे स्वीकार करके उनके पास नहीं भेजा था ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---कमरे में जाना तो आज खत्म हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष---आप नागरिक तो बने ही रहेंगे, इसलिये आपका अधिकार खत्म नहीं होगा ।

श्री अब्दुल रऊफ़ लारी (जिला गोरखपुर)---३ लाख रुपया जो भेजा गया है क्या उसके साथ यह भी आदेश भेजा गया है कि रोजाना मजदूरी दे दी जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जब रुपया है तो देने में क्या दिक्कत है ?

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---देवरिया में ६ आने, ८ आने और १० आने ही मजदूरी मिलती है जबकि मिनिमम वेजेज ऐक्ट के मुताबिक २० आना तो मिलना ही चाहिये, तो क्या सरकार मजदूरी बढ़ाने पर विचार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अभी काम होने दीजिये, फिर देखा जायगा ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या मंत्रीजी को ज्ञात है कि जब तक ओवर-सीयर आकर नहीं नापता है तब तक मजदूरी नहीं दी जाती है जो काम कंट्रैक्ट बेसिस पर होता है उसकी, तो क्या सरकार कोई सुधार करने की कृपा करेगी कि रोजाना मजदूरी मिल सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---हिदायत कर दी जायगी कि जल्द नाप कर पेमेन्ट कर दिया करें ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उनके टेस्ट वर्क्स में कहीं खुदाई का काम होने जा रहा हो तो इधर या उधर के बहुत से लोग खाली हो गये हैं, उनको भी कहीं खुदाई का काम देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कम से कम उनके लिये तो इन्तजाम करने की अवश्य कोशिश करेंगे ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि नियम तो यह है कि जब तक ४-६-८ और १० आना तक मजदूर मिलते हैं टैस्ट वर्क जारी रहेगा, लेकिन पिछले साल ऐसा हुआ कि १२ हजार मजदूर काम कर रहे थे लेकिन फिर भी उसको बंद कर दिया गया । तो क्या इस बार माननीय मंत्रीजी ऐसा आश्वासन देने की कृपा करेंगे, कि जब तक मजदूर मिलेंगे तब तक टैस्ट वर्क बंद न किया जायगा क्योंकि हालत बहुत खराब है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---रबी की फसल तैयार है । जब रबी की फसल पकने लगेगी तब बंद कर दिया जायगा ।

प्रदेश के कई जिलों में गन्ने की फसल के खड़े रहने तथा गन्ने के न पेरे जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---अब दूसरा प्रश्न है श्री गेंदासिंह जी का कि प्रदेश के अनेक जिलों में कुछ करोड़ मन गन्ना इस वर्ष खड़ा रह जाने का भय है । इसके ऊपर माननीय मुख्य मंत्री का वक्तव्य होगा ।

विद्युत् उप मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—श्री गेंदासिंह द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत प्रस्तुत ध्यान आकृष्ट करने के प्रस्ताव (calling attention motion) के संबंध में में यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि चीनी मिलों द्वारा पेराई न करने के कारण गन्ने की एक बड़ी मात्रा अवशेष रह जाने से जो संकटपूर्ण स्थिति इस वर्ष सीजन के प्रारम्भ होने के समय उत्पन्न होने का भय था, वह अब उतनी नहीं है। स्मरण होगा कि गत सीजन में चीनी मिलों ने ४० करोड़ मन गन्ना पेरा था और १४ लाख टन चीनी उत्पादित हुई थी। देश में चीनी का अत्यधिक उत्पादन हो जाने से मिलों के लिये स्टोरेज तथा आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई थीं। गत वर्ष की अपेक्षा गन्ने का क्षेत्रफल भी १० प्रतिशत बढ़ गया था। अतएव यदि गन्ने की सप्लाई और देश में चीनी के उत्पादन पर प्रतिबन्ध न लगता तो प्रदेश में ४४ करोड़ मन गन्ना पेराई के लिये उपलब्ध होता। चीनी के स्टाक के जमा हो जाने से केन्द्रीय सरकार ने वर्तमान सीजन में चीनी के उत्पादन पर १० प्रतिशत कटौती का प्रतिबन्ध लगा दिया। फलस्वरूप २० प्रतिशत गन्ना (१० प्रतिशत गन्ना क्षेत्रफल में वृद्धि के कारण और १० प्रतिशत चीनी उत्पादन में कमी के कारण) अवशेष रह जाता था। अतएव प्रयत्न इस बात का किया गया कि समस्त उपलब्ध गन्ने की चीनी या गुड़ खंडसारी शक्कर बन जाय। संक्षेप में निम्नलिखित कार्यवाही की गई :

(१) प्रत्येक गन्ना उत्पादकों का उनके पिछले तीन वर्षों की वास्तविक सप्लाई के औसत के आधार पर कोटा निश्चित किया गया।

(२) केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित चीनी उत्पादन कोटा को ध्यान में रखते हुये यदि संभव हुआ तो गन्ना उत्पादक pro-rata basis पर अतिरिक्त सप्लाई भी कर सकेंगे।

(३) पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा तराई में जहां अपेक्षाकृत गन्ना अधिक उत्पन्न हुआ और गुड़ तथा खंडसारी नहीं बनती थी, गन्ना उत्पादकों को पावर क्रशर लगाने के लिये ऋण दिये गये और तकावी के आधार पर कोल्हू वितरण किये गये। राज्य सरकार ने केन यूनियन फेडरेशन को इस प्रयोजन के लिये १० लाख रुपया ऋण दिया। इस योजना के अन्तर्गत लगभग २,००० कोल्हुओं का वितरण गन्ना विकास विभाग द्वारा किया गया और कथित क्षेत्रों में नियमित गुड़ विकास योजना के अन्तर्गत उद्योग संचालक द्वारा १,००० कोल्हुओं का वितरण किया गया।

(४) खंडसारी शक्कर बनाने के लिये कर में छूट दी गई और इस प्रयोजन के लिये लाइसेंस उदारता पूर्वक दिये गये। राज्य सरकार ने खंडसारी पर ६ नये पैसे प्रतिमन पूर्ण रूप से तथा सोसाइटी कमीशन २ नये पैसे प्रति मन के हिसाब से छूट दे दी है।

(५) गन्ने के क्षेत्र का रिजर्वेशन करने में ध्यान रखा गया कि जहां तक हो अधिक से अधिक गन्ना मिलों को सप्लाई हो। रिजर्व्ड क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों को तरजीह देने के लिये एसाइन्ड क्षेत्र से २५ प्रतिशत गन्ना की सप्लाई कम कर दी गई। गन्ने की अधिकता की समस्या पर अब बहुत कुछ नियंत्रण पा लिया गया है। गन्ना उत्पादकों को यथा समय सचेत कर दिये जाने से वे अपने अवशेष (surplus) गन्ने को गुड़ और शक्कर बनाने के काम में ले आये हैं।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब यह स्थिति है कि गन्ने की कमी हो जायगी और कदाचित कुछ चीनी मिलों को निर्धारित शुगर कोटा के लिये भी पर्याप्त गन्ना उपलब्ध न हो सके। इसका यह भी कारण है कि मिलें सीजन में स्टोरेज तथा आर्थिक कठिनाइयों के कारण देर से चलीं और गन्ना उत्पादकों ने कोल्हू लगा दिये। कुछ अन्य क्षेत्रों में अर्थात् तराई में जहां किच्छा मिल चालू नहीं हुई है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां बिहार से भी गन्ना मिलना है वह

[श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा]

गन्ने की अधिकाई की समस्या रही है, यद्यपि काफी कम पैमाने पर केन्द्रीय सरकार ने भी चीनी मिलों के लिए कोटा में उस दशा में शिथिल (relaxation) की स्वीकृति दे दी है कि जिन मिलों के क्षेत्र में गन्ना कम हो उन्हें उन मिलों के क्षेत्र से जहां गन्ना अधिक है, दे दिया जाय ।

१—मार्च, १९६२ तक प्रदेश में २० करोड़ मन गन्ना पेरा जा चुका है जबकि इसी तारीख को पिछले वर्ष २४.१० करोड़ मन गन्ना पेरा गया था । ४.५० करोड़ मन का अन्तर इस कारण है कि मिलें इस वर्ष देर से चलीं । पिछले दो वर्ष विभिन्न परिस्थितियों के कारण मिलें केन्द्रीय सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी तथा राज्य सरकार द्वारा क्रय-कर में छूट देने से जल्दी चलीं । इस वर्ष चीनी मिलों पर अतिरिक्त उत्पादन पर १०० प्रतिशत अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई ।

वर्तमान सीजन में केन्द्रीय सरकार द्वारा १० प्रतिशत कटौती का प्रतिबन्ध लगा दिये जाने से इस सीजन के अन्त तक लगभग ३६ करोड़ मन गन्ना पेरा जा सकेगा । किन्तु मिलों को मई या जून तक चलना होगा । यह प्रयत्न किया जायगा कि समस्त उपलब्ध गन्ना क्रश हो जाय । बहुत से क्षेत्रों में गन्ना उत्पादकों की अनुमानित उपज के ८० प्रतिशत की अतिरिक्त बांडिंग (additional Bonding) की व्यवस्था कर दी गई है और शेष क्षेत्रों में भी शीघ्र चीनी का कोटा घटा बढ़ा कर उचित व्यवस्था की जा रही है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, यह प्रश्न जो मैंने उठाया था वह बहुत ही सद्भावना के साथ उठाया था । किसी को बदनाम करने या किसी को कुछ नुकसान पहुंचाने के लिये नहीं उठाया था । मैं समझता हूं कि आज माननीय मुख्य मंत्री जी के लिये बहुत खुशी का दिन है । वैसे कुछ साथियों से उनका वियोग हो रहा है लेकिन अगले पांच वर्ष के लिये पूरे उत्तर प्रदेश का शासन उनके हाथ में जा रहा है । तो इस अवसर पर वे २० लाख गन्ना किसानों के लिये—जिनका ८—९ करोड़ मन गन्ना खेतों में खड़े रह जाने का भय है, जैसा कि अभी कहा गया कि उतना भय नहीं है लेकिन थोड़ा भय है, तो उस भय को दूर करने के लिये स्पष्ट घोषणा करेंगे कि सरकार किसी न किसी प्रकार से इस ८—९ करोड़ मन गन्ने को पेरवायेगी और अभी से उसके लिये शीघ्र कार्यवाही की जाय ?

*सूचना राज्य मंत्री (श्री रऊफ जाफरी)—जैसा कि वक्तव्य में कहा गया है, कोशिश तो पूरी की जायगी । और यह बात सही नहीं है जो माननीय सदस्य समझते हैं कि ८ करोड़ मन गन्ना पड़ा रह जायगा । गुड़ बनाने के लिये जो क्रशर्स और कोल्हू आदि लगवाये जायेंगे उन्हीं से उस गन्ने को पेरा जायगा । और इसी वक्तव्य में कहा गया है कि इतनी उम्मीद की जा सकती है कि कोई गन्ना बाकी नहीं रह जायगा । पिछले साल भी इसी सदन में कई दफा यह बात उठायी गयी तो यही भय जाहिर किया गया था कि शायद बहुत सा गन्ना पड़ा रह जाय और उसे जलाना पड़े, लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया था और वह पूरा भी हुआ कि सब गन्ने पेरे गये । इस दफा भी हम यही उम्मीद करते हैं कि कोई भी गन्ना बाकी नहीं रह जायगा । जैसा कि वक्तव्य में कहा गया है, कुछ तो इस वजह से कि गुड़ बनाने में फायदा कम था और कुछ इस वजह से कि चीनी मिलें कुछ देर में चलीं, इसीलिये ऐसा मालूम होता है । पश्चिम में बहुत डाइवर्सन हुआ है कि कई मिलें ऐसी हैं जिनके लिये जितना चीनी का कोटा एसाइन्ड है उतने के लिये उन्हें उतना गन्ना न मिल सके । इसके लिये गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने ऐसा इन्तजाम कर दिया है कि ऐसी मिलें जिनका कोटा जितना कम हो जाय, उसी हिसाब से सरप्लस कोटे से उनको गन्ना सप्लाई किया जाय । इस सूरत से क्रशर्स, कोल्हू आदि के जरिये भी गन्ना पेरवाने का इन्तजाम है ताकि कोई गन्ना बाकी न रह जाय और सब पेर जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सदन में पहले भी इस बात का आश्वासन दिया गया था और इस वर्ष भी कहा गया था कि मिलें इस सीजन में पहले खुल जायेंगी और गन्ना पेरने का काम शुरू कर देंगी इसका प्रयास होगा, लेकिन बावजूद इसके मिलें देर से चलीं और यही कारण है जिससे गन्ना पेरने में विलम्ब हुआ है, तो माननीय मुख्य मंत्री जी निश्चित रूप से सदन को यह आश्वासन देंगे कि वे उन मिल वालों को लिखेंगे कि वे अपनी मिलों को उस अवधि तक चलावें जब तक कि किसानों का पूरा का पूरा गन्ना पेर न जाय और साथ ही यह भी पूछेंगे कि देर से मिलों के खुलने व देर से गन्ने की पेराई शुरू करने का क्या कारण है ?

श्री रऊफ जाफरी—देर से मिलों के चलने के दो कारण थे, एक तो यह कि स्टोरेज की दिक्कत थी, बहुत सी चीनी गोदामों में थी, जगह नहीं थी दूसरे पैसे की भी दिक्कत थी और तीसरे गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने भी यह तय किया था कि दस प्रतिशत पिछले साल से प्रोडक्शन कम किया जाय और उन्होंने सभी मिलों का कोटा मुकर्रर कर दिया था। इसलिये मिलें कुछ देरी से चलीं। जहां तक मजबूर करने का सवाल है कि सारा गन्ना मिलें पेरें, यह तो सरकार करती ही है, पिछली बार भी मिलें देर तक चलवाई गईं और इस साल भी वही पालिसी रहेगी और हमारी कोशिश होगी कि कोई गन्ना न रह जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि वह कौन सी मिलें हैं कि जिन को निर्धारित कोटे के अनुसार गन्ना पर्याप्त नहीं होगा और तराई भावर का गन्ना जहां गन्ना अधिक है, वहां का वह गन्ना किन-किन मिलों को भेजा जा रहा है ?

श्री रऊफ जाफरी—यह फेहरिस्त तो मैं इस वक्त नहीं दे सकता कि किन-किन मिलों को इतना गन्ना नहीं मिलेगा जितना उनका कोटा है, इसलिये कि अभी उसके लिये लिखा गया है, शार्टफाल मांगे जा रहे हैं। वह सूचना आने पर एडजस्ट करने की कोशिश की जायगी कि सब गन्ना काम में आ जाय, हर तरफ हमारी नजर रहेगी।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि इस वक्त गन्ना किसान घबड़ाहट में अपना गन्ना बहुत कम दाम पर फेंक रहे हैं, तो क्या सरकार सब गन्ने का हिसाब लगाकर हर फैक्टरी का कोटा निर्धारित करेगी ताकि सारा गन्ना पिर जाय और यह कुव्यवस्था न हो ?

श्री रऊफ जाफरी—सरकार तो करेगी ही और बार बार कहा जाता है और जवाब दिया जाता है कि सब गन्ना पेरा जायगा।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—२००० कोल्हू बांटे गये हैं और कहा गया कि आशा है कि सब गन्ना पिर जायगा, लेकिन पूर्वी व पश्चिमी यू० पी० में कितने कितने कोल्हू बांटे गये उनकी संख्या नहीं बताई गई कि कितने कोल्हू हर क्षेत्र में बांटे गये हैं और पिछला तजुर्बा किसानों का यह है कि जब गन्ना ज्यादा होता है तो मिल वालों से मिलकर सरकार ऐसी व्यवस्था करती है कि रिकवरी बेसिस मानकर गन्ने के दाम घटाये जायं। एक बात तो मंत्री जी ने गेंदा सिंह जी की स्वीकार नहीं की, अब यह दूसरी अपील मेरी है कि मंत्री जी सदन को आश्वासन देंगे कि इस बार गन्ना किसी भी दाम पर बगैर पेरे मिलें बन्द नहीं होने दी जायंगी और गन्ने के दाम भी नहीं घटेंगे ?

श्री रऊफ जाफरी—जैसा कि अभी बताया गया इस वक्त हर मिल का कोटा मुकर्रर है, कोशिश की बात यह है कि. . .

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—सवाल यह नहीं है।

श्री रऊफ जाफरी—एक मिनट सुनें तो जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा था कि डाइवर्जन से, घटाबढ़ी से सब गन्ना पिर जायगा। यह कोल्हू सब पूरब की तरफ ही बटे हैं पश्चिम में नहीं क्योंकि वहां तो खांडसारी गुड़ का पहले से रिवाज है, वह ग़रीबों और जरूरतमन्दों को ही दिये गये हैं यह सब ३,००० कोल्हू पूरब में ही बटे हैं।

श्री मदन पांडेय—मैंने जो पूछा था उसका उत्तर नहीं मिला।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी सदन की जानकारी के लिये स्पष्ट करेंगे कि किच्छा फैक्टरी जो तराई क्षेत्र में लगने वाली थी सरकार की तरफ से और वह न लग सकी और गन्ना वहां का दूसरे इलाके को भेजा गया तो उस किच्छा फैक्टरी की अब क्या स्थिति है और वह कितने दिन में लगने वाली है?

श्री रऊफ जाफरी—किच्छा फैक्ट्री जो है वह तो जहां गन्ने की कमी होगी जिस मिल में, वहां डाइवर्ट कर दिया जायगा। पिछले साल भी यही हुआ और इस साल भी यही होगा।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी इस बात की घोषणा करेंगे कि गन्ना मिलें जब तक गन्ना पेरेंगी रिकवरी के आधार पर कभी भी गन्ने का दाम जो दिया जा रहा है उससे कम नहीं किया जायगा?

श्री रऊफ जाफरी—पिछले साल भी कहां कमी की गई थी? जहां कहीं गन्ना खराब किस्म का था उसके मुताल्लिक कोई बात चली थी। लेकिन दाम को रिकवरी से लिंक किया गया ऐसा नहीं हुआ था। वह तो खराब क़िस्म के गन्ने के लिये हुआ था। अच्छी क़िस्म के लिये नहीं हुआ था।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—कुछ लोगों का जिनका सट्टा १ साल या २ साल से था और इस वर्ष बिलकुल नहीं किया गया है, तो जहां ८० प्रतिशत वृद्धि की है तो उन किसानों का जिनका पूर्व में सट्टा था और इस वर्ष बिलकुल नहीं किया है, उनका सट्टा करवाने की कोई व्यवस्था करेंगे?

श्री रऊफ जाफरी—मैं समझता हूं इस वक्त जब कि कोटा हर मिल का मुकर्रर है तो ऐसे लोग जिनका जिक्र आप कर रहे हैं बेहतर यही होगा कि वह अपने गन्ने को गुड़ या खांडसारी की तरफ डाइवर्ट करें।

श्री मदन पांडेय—मंत्री जी को ज्ञात है कि जो सट्टा किया गया है किसानों के साथ वह केन डेवलपमेंट यूनियन के कर्मचारियों ने अपने तखमीने के आधार पर किया है। और आमतौर से ऐसी बात है कि जिनके पास २० गाड़ियां हैं उनको केवल ८ गाड़ियां दर्ज की गई हैं। इस बात को देखते हुये जो सट्टा अभी तक है और जिसके खपाने की बात की जा रही है उसके बाद भी कई करोड़ मन गन्ना बचेगा। तो मंत्री जी स्पष्ट घोषणा करेंगे कि जरा भी गन्ना जलने नहीं दिया जायगा?

श्री रऊफ जाफरी—वक्तव्य में कहा गया है कि उनकी जो ऐक्चुअल सप्लाई रही है तीन साल की उस हिसाब से लिया जायगा और उसके बाद जैसीजैसी गुंजायश निकलेगी उनका और गन्ना लिया जायगा। बाज़ जगह ८० प्रतिशत तक अतिरिक्त बांडिंग हो जायगी और जिस जगह जैसा मौका होगा वैसा किया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इसमें लिखा हुआ है कि पिछले साल की अपेक्षा गन्ने का क्षेत्रफल १० प्रतिशत बढ़ा है और दूसरी जगह लिखा है कि १० प्रतिशत पैदावार बढ़ी है, तो दोनों में से कौन सी बात सही है?

श्री रऊफ जाफरी—यह लिखा हुआ है कि १० प्रतिशत बढ़ गया और इसी वजह से बजाय ४० के ४४ करोड़ मन गन्ना उसमें दिया गया है।

श्री गेंदासिंह—क्या कोई स्पष्ट चित्र माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने इस प्रदेश के गन्ने की उपज के सम्बन्ध में या चीनी के उत्पादन के सम्बन्ध में अब तक है? इस वक्तव्य से तो हम कनफ्यूजन में हैं। स्पष्ट चित्र रखें कि कितना कोल्हू में गया, कितना खांडसारी में गया और कितना खड़ा रह गया और कब तक मिलें चलेंगी और खड़े गन्ने को पेर लेंगी जिससे सारा कनफ्यूजन दूर हो जाय?

श्री रऊफ जाफरी—यह तो बतला दिया गया कि अब मिलें देर तक चलेंगी, मई या जून तक चलेंगी। यह भी बतला दिया गया है कितना क्रश हो चुका है। और यह भी कहा गया कि इस बात की उम्मीद की जाती है कि कुल गन्ना खत्म हो जायगा।

अब यह कि इस वक्त अलग अलग बताऊं कि कितना कोल्हू में गया, कितना खांडसारी में गया, इसके आंकड़े इस समय मौजूद नहीं हैं। और चूंकि अलग-अलग जाता है वह आंकड़े उपलब्ध हैं नहीं। इस बात का माननीय सदस्य यकीन रखें कि जितनी उनको फिक्र है कि गन्ना पिर जाय उससे कुछ ज्यादा इस सरकार को फिक्र है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या यह सही है कि किसानों का जो गन्ना दिया जाता है वह उधार दिया जाता है, उनको पैसा नहीं दिया जाता है तो ऐसी स्थिति को देखते हुए जब मिल मालिक पेमेंट नहीं दे रहा है तो क्या सरकार स्पष्ट घोषणा करेगी कि गन्ना बिलकुल नहीं जलने दिया जायगा?

श्री रऊफ जाफरी—यह तो कई दफा कहा जा चुका है कि इस बात की पूरी उम्मीद है कि कुल गन्ना पेर दिया जायगा, बचेगा नहीं। इसलिये जलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वक्त यही कहा जा सकता है, इसकी उम्मीद की जाती है और कैसे कहा जाय।

सदन के विघटन के संबंध में घोषणा

श्री अध्यक्ष—इससे पहले कि सदन के विघटन के सम्बन्ध में मैं घोषणा करूं, मैं सोचता था कि थोड़े से भाषण मुख्य-मन्त्री और दूसरी तरफ के उठने के पहले हो सकें। लेकिन कल ऐसा प्रतीत हुआ कि भाषण जिन शब्दों में होना चाहिये, संभव नहीं मालूम होता था। इसलिये उसके लिए समय नहीं दिया गया। अब मैं दो, तीन शब्द कह कर यह घोषणा करूंगा। मैं पूरे सदन के सदस्यों को, विशेष कर सब पार्टियों के नेताओं को तथा नेता सदन को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पिछले ५ वर्षों में शान्ति पूर्ण ढंग से जितना संभव हो सका पार्लियामेंटरी पद्धति का अच्छा नमूना अपने प्रदेश में उपस्थित किया शान्तिमय ढंग से बहस करके और विचार विनिमय करके। हमारे देश के अन्य भागों तथा अन्य देशों में काफी गरमागरमी हो जाती रही है, लेकिन हमारे यहां मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा एक उदाहरण अपने प्रदेश में रखा और इस सदन की प्रतिष्ठा, इस सदन के अध्यक्ष की प्रतिष्ठा और सदस्यों की प्रतिष्ठा पूरे तौर से कायम रखने का प्रयत्न किया है, उसके लिये ये बधाई के पात्र हैं।

साथ ही जब आस-पास के देशों का उदाहरण हम देखते हैं तब यह प्रतीत होता है कि वहां जो आन्दोलन चलते हैं, उन आन्दोलनों में बहुत कुछ हिंसा का भाग, द्वेष का भाग दिखाई देता है। उसको बचाने का भी आपने यहां प्रयत्न किया है जिसका फल है कि हमारे देश में जनतांत्रिक पद्धति गहरी होती चली जा रही है। उसके लिये मैं यहां के तथा भारत के प्रेस को, विशेष कर अपने उत्तर प्रदेश के जो प्रेस के प्रतिनिधि बैठे हैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। क्योंकि आखिर जनता की राय को प्रकाश देना, सही रास्ते पर ले जाना जितना चुने हुये नुमाइंदों का का काम है उतना आजकल के युग में लोगों की सही राय बनाने का काम वर्तमान प्रेस का भी है।

[श्री अध्यक्ष]

वह अगर जिम्मेदारी के साथ कार्य करता है और जनतांत्रिक पद्धति की पुष्टि देता है और चले हुये सदनों की प्रतिष्ठा को कायम रखता है तो मैं समझता हूं कि जनतांत्रिक पद्धति भी पुष्टि प्राप्त करती है, उसमें विश्वास जनता का उत्पन्न होता है। और चूंकि हमारे यहां गणतंत्र पद्धति बाल्यावस्था में है इसलिये यह आवश्यक रहा है कि प्रेस और पार्लियामेंट तथा विधान सभाओं के सहयोग से बहुत कुछ काम जनतंत्र की पुष्टि के लिये हो सकता है वह उन्होंने किया। इसलिये मैं उत्तर प्रदेश के वर्तमान पत्रकार (प्रेस) को भी धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि जो स्वस्थ प्रथायें हमने इन पिछले वर्षों में कायम की हैं जिनसे हमारे गणतंत्र की पुष्टि होती है वे आगे भी कायम रहेंगी। भारतवर्ष की तरफ़ सारी दुनिया की निगाहें हैं कि जनतांत्रिक पद्धति से किस तरह से पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बना कर गरीबी और बेकारी को दूर कर के समाजवादी समाज इस देश में बनता है। मुझे आशा है कि आगे आने वाले सदन का प्रेस से सम्बन्ध इसी तरह से सहयोगपूर्ण चलेगा जिससे हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकें और हमारा गणतंत्र एक उदाहरण स्वरूप न केवल एशिया के लिये बल्कि सारे संसार के लिये हो सकेगा। और अगर हम इसमें कामयाब होते हैं तो विश्वशांति का मार्ग हम संसार को दिखा सकेंगे और गुटबन्दी जो देश देश में होती है उस को भी मिटा कर मानव समाज को सुखी और समृद्ध बनाने में हम सफल हो सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं आप सब को फिर धन्यवाद देता हूं और यह घोषणा जो राज्यपाल की तरफ़ से प्राप्त हुई है उसको आप को सुनाता हूं :

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद १७४ के खंड (२) के उपखंड (ख) द्वारा मिले अधिकारों का प्रयोग कर के, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा का विघटन उसकी दिनांक ६ मार्च, १९६२ के उपवेशन की समाप्ति से करते हैं।

अब हम उठते हैं।

(इसके बाद ३ बजकर ३६ मिनट पर उपवेशन समाप्त हुआ।)

लखनऊ:
६ मार्च, १९६२।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९६ पर।)

स्वायत शासन कर्मचारी संघ की मांगों पर नोट

मांग	उत्तर या स्थिति
१—नगर महापालिका एलाउन्स नहीं दिया गया।	महापालिका के निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों के लिए कानपुर भत्ता की मांग के सम्बन्ध में कार्यकारिणी समिति नें अपनी पिछली बैठक में एक्स ग्रेशिया ग्रान्ट देने का निर्णय किया था और इसके अनुसार सरकार ने एक्स ग्रेशिया ग्रान्ट देने की बात तो मान ली है और महापालिका की अगली बैठक में स्वीकृति प्राप्त करके ग्रांट बांट दी जायगी।
२—कर्मचारियों के रुके बोनस दिए जायं, अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को बोनस हेतु आवेदन पत्र देने की छूट दी जाय। अन्तिम वेतन पर बोनस दिया जाय।	जिन लोगों के आवेदनपत्र बोनस के लिए प्राप्त हुए हैं उन पर समुचित कार्यवाही की गई और बोनस दिए गए, निर्धारित नियमों के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र देना आवश्यक है। बोनस केवल स्थाई पद के वेतन पर दिया जाता है।
३—ऊंचे पदों पर नियुक्तियां कैडर के आधार पर की जायं।	केवल उन पदों पर जिन पर सीधे नियुक्तियां की जाती हैं अन्य पदों पर वरिष्ठता एवं शिक्षा योग्यता के अनुसार ही तरक्की दी जाती है।
४—समस्त विभागों के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वेतन ग्रेड व अन्य सुविधायें दी जायं।	महापालिका द्वारा कुछ कर्मचारी वर्कचार्ज में रखे जाते हैं और कुछ रोजाना तनख्वाह पर मस्टर रोल में रखे जाते हैं, इस बारे में सरकार के आदेश वाटर वर्क्स तथा बिजली अधिष्ठानों के लिए रेगुलर वेतन पर रखने के लिए प्राप्त हुए और उसके अनुसार वाटर वर्क्स के कर्मचारियों को यह सुविधा दी जा चुकी है। अन्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के बारे में कार्यकारिणी समिति ने कुछ अंशदान देनें की सिफारिस महापालिका से की है। महापालिका के निर्णय के उपरान्त सरकार के आदेश इस सम्बन्ध में प्राप्त किये जाएंगे।
५—कर्मचारियों के रहने के लिये सस्ते मकान बनाकर दिए जायं या जो कर्मचारी प्लाट खरीद सकते हैं उन्हें रियायत पर प्लाट दिए जायं।	कर्मचारियों को सस्ते क्वार्टर्स तथा रियायती दर पर प्लाट देने की कार्यवाही महापालिका द्वारा बराबर की जा रही है।
६—राज्य सरकार के आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय। जलकल एवं लाइटिंग विभाग के आदमियों को वेतन ग्रेड दिया जाय। मेहतरों को छुट्टी का पैसा दिया जाय।	सरकारी आदेशानुसार जलकल विभाग के कर्मचारियों को वेतन ग्रेड दिया गया है। लाइटिंग विभाग के सम्बन्ध में सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है। मेहतरों को छुट्टी का पैसा दे दिया गया है।

७—जूनियर हाई स्कूलों में नियुक्तियां बाहर से न की जांय।	नियुक्तियां सरकार द्वारा स्वीकृत नियमों के आधार पर ही की जाती हैं।
८—नगर महापालिका के अध्यापकों को बकाया भुगतान किया जाय।	कोई बकाया वेतन शेष नहीं है।
९—जिन कर्मचारियों को तरक्कियां नहीं दी गई हैं जैसे ड्राइवर इत्यादि, उन्हें तरक्की दी जाय।	ड्राइवरों को १-४-६१ से तरक्की देने के आदेश दिए जा चुके हैं।
१०—चुंगी व मंडी इत्यादि के कर्मचारियों के कार्य के घंटे घटाए जायं और उन्हें साप्ताहिक व त्यौहार की छुट्टियां दी जायं। जहां त्यौहारों की छुट्टियां नहीं दी जाती हैं वहां एलाउन्स दिया जाय।	साप्ताहिक छुट्टियां देने के बारे में स्टाफ बढ़ाने की आवश्यकता है। आवश्यक पद सृजन करने के लिए महापालिका को प्रस्ताव भेजे गये हैं। पास होने पर छुट्टी दी जायगी।
११—निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को मौसमी पूरी वर्दियां दी जायं।	वर्दियां सरकारी आदेशानुसार दी जाती हैं।
१२—मालियों के रहने के लिये प्रत्येक पार्क में क्वार्टर बनाए जायं।	यथासम्भव किया जाता है परन्तु सब पार्कों में ऐसा करना सम्भव नहीं है।
१३—निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिये बिना किराया के क्वार्टर बनाए जायं। जिनका प्रावीडेन्ट फंड जमा नहीं होता, जमा किया जाय।	बिना किराये के क्वार्टर की व्यवस्था सभी जगह लागू नहीं की जा सकती है। जितने पुराने स्थायी कर्मचारी हैं उन सब का नियमानुसार प्रावीडेन्ट फन्ड कटा है और जमा होता है।
१४—नगर महापालिका बन जाने के बाद से एलाउन्स दिया जाय व एक्स ग्रेशिया ग्रान्ट दी जाय।	मांग सं० १ देखी जाय।
१५—इंजीनियरिंग विभाग के दैनिक वेतन पर कार्य करने वाले कर्मचारियों, जैसे मैसन, रोड, गैंग इत्यादि को स्थाई वेतन ग्रेड की स्वीकृति दी जाय।	सरकारी आदेशानुसार यह नहीं दिया जा सकता। तिस पर भी यह मामला कार्यकारिणी समिति तथा महापालिका के विचाराधीन है। वर्कचार्ज दैनिक वेतन पर ही रखा जा सकता है।
१६—स्वीपर्स, फिलरों, मिस्त्रियों का कार्य देखते हुये स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से पूरी वर्दियां, साबुन, तेल, लांग बूट दिए जायं।	सरकारी आदेशानुसार वर्दियां तथा अन्य सुविधाएं दी जाती हैं।
१७—फिलर्स को चमड़े के दस्ताने, लांग बूट, कूड़ा, ट्रकों में बैठने की व्यवस्था की जाय तथा काम के घंटे घटाये जांय।	
१८—स्वायत्त शासन कर्मचारी संघ, जल ल मजदूर सभा को मान्यता दी जाय। संघ मुफ्त जमीन दी जाय।	सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार पूर्ण विवरण एवं प्रार्थना पत्र मय विधान के प्राप्त होने पर ही इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सकती है। मुफ्त जमीन देने की कोई व्यवस्था नहीं है।

१९—जिन कर्मचारियों के पास आयु का प्रमाण नहीं है उनको मेडिकल बोर्ड भेजा जाय। मेडिकल बोर्ड में संघ का भी सदस्य हो।	यह व्यवस्था जारी है। इसकी कोई व्यवस्था नहीं है।
२०—संघ व सभा को कर्मचारी हितार्थ नगर महापालिका से सहायता फन्ड दिया जाय।	मान्यता प्राप्त संस्था को ही केवल ऐसी सुविधा दिये जाने के प्रश्न पर विचार नियमानुसार किया जा सकता है।
२१—महापालिका की बैठक एवं सभा में कर्मचारी के ही प्रतिनिधि सम्मिलित किए जायं।	कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को सभासद की हैसियत से महापालिका की बैठक में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है।
२२—महापालिका कार्य परिषदों (वर्क कौंसिलों) की स्थापना की जाय।	प्रदेशीय सरकार द्वारा पुरानी वर्क्स कमेटियां बनाने के आदेश समाप्त हो चुके हैं और इसकी अब कोई व्यवस्था नहीं है।

मुख्य नगर अधिकारी,
नगर महापालिका, कानपुर।

विधान सभा दर्शन

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९९ पर)

गौ जाति में शृंगन्यमार्बुद (हार्न कैन्सर) रोग के हेतुओं के संबंध में अन्तरासर्गी प्रतिकारकों के अध्ययन की योजना की मुख्य-मुख्य बातें।

भारत के विभिन्न भागों में गौ जाति का शृंगन्यमार्बुद (हार्न कैंसर) रोग शापक रूप में फैला हुआ है और इसके कारण बहुत से मूल्यवान वाहक पशुओं का ह्रास होता रहता है। स्तन,गर्भाशय ग्रीवा अथवा भूसायी यमार्बुदों का परीक्षण करने से ऐसा विदित होता है कि कतिपय अन्तरासर्गी ग्रन्थियां विशेषतः लैंगिक ग्रन्थियां किसी रूप में शृंगन्यमार्बुदों की उपस्थिति से संबद्ध हैं इस बात का निर्विवाद साक्ष्य अब मिल चुका है कि यमार्बुदों की चर्या और स्वरूप को लैंगिक न्यासर्ग (सेक्स हारमोन) के अवचारण अथवा कन्चन द्वारा मन्द किया जा सकता है तथा अन्तरासर्गी औषधोपचार का कतिपय अर्बुद समुदाय पर विशेष असर पड़ता है। हमारे बहुमूल्य पशुओं की हानि को रोकने के लिये शृंगन्यमार्बुद रोग के रोक थाम और उपचार के निमित्त आवश्यक औषधोपचार का सविन्यास और प्रचार जरूरी प्रतीत होता है, तदनुसार पशुओं के होने वाले शृंगन्यमार्बुद के कारण भूत अन्तरासर्गी प्रतिकारकों का अध्ययन करने तथा यह निश्चित करने का कि अन्तरासर्गीय कार्य वैकल्य अथवा न्यासर्गिक संतुलन शृंगन्यमार्बुद की उपस्थिति का प्रतिकारक है या नहीं, विचार किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों पर कार्य किये जाने को है :

(१) शृंगन्यमार्बुद के आयात तथा वितरण का सर्वेक्षण करना।

(२) निम्नलिखित पशुओं के रक्त और मूत्र में विविध सान्द्राम न्यासर्गों के वितरण तथा रक्त के श्लेष्मप्राभूजिन की गवेषणा करना।

(क) छोटे बछड़े

(ख) वयस्क विचार

(ग) छोटे बैल, (शृंगन्यमार्बुद रहित)

(घ) वयस्क (शृंगन्यमार्बुद रहित)

(ङ) (बैल) जिन्हें शृंगन्यमार्बुद हो।

आरम्भ में इस योजना को दो वर्ष की अवधि तक चलाने का विचार किया गया है। यह कार्य उत्तर प्रदेशीय पशु चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन महाविद्यालय, मथुरा में किया जा रहा है, जहां प्रयोग तथा परीक्षणात्मक कार्य के लिये स्थान, गैस, पानी और बिजली आदि उपलब्ध है। इस महाविद्यालय की जीवरसायन तथा दैहिक प्रयोगशालाओं में आधुनिक कार्य करने के लिये सब आवश्यक उपकरण उपलब्ध हैं। अतः इस शोध कार्य के लिये विशेष रूप से आवश्यक कुछ उपकरणों के क्रय के लिये ही इस योजना में प्राविधान किया गया है। इस योजना का दो वर्ष का कुल व्यय ३७,००० रुपये, ३०,२०० रुपये आवर्त्तक और ६,८०० रुपये अनावर्त्तक बैठता है। आवर्त्तक व्यय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा राज्य सरकार द्वारा ५०:५० के अनुपात से वहन किया जायेगा। इस संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को लिखा गया था और उनकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९९ पर)

कृषि योग्य भूमि के कटाव को रोकने के लिये निम्नलिखित योजनायें बनाई गई हैं जो कि तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत चलाई जायेंगी :

(क) कृषि योग्य भमि में भमि एवं जल संरक्षण की योजना ।

(ख) कृषि योग्य भूमि में भूमि एवं जल संरक्षण की योजना विशिष्ट जिलों में ।

(ग) कृषि योग्य भूमि में पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि एवं जल संरक्षण की योजना ।

(घ) अग्रगामी भूमि में संरक्षण विकास योजना ।

उक्त योजनायें निम्नलिखित जिलों में क्रमशः लागू होंगी :

(क) आगरा, मथुरा, टेहरी, झांसी, जालौन, मिर्जापुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बांदा, कानपुर, इलाहाबाद, इटावा, मेरठ, बुलन्दशहर ।

(ख) हमीरपुर, फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, वाराणसी, देहरादून ।

(ग) अल्मोड़ा, उत्तरकाशी ।

(घ) लखनऊ ।

इन योजनाओं में कुल मिलाकर तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में २३१.६३ लाख रुपये का अनुमानित व्यय होगा । प्रत्येक योजना का अलग-अलग व्यय का विवरण निम्नलिखित है ।

योजनाओं का नाम		तृतीय पंच-वर्षीय योजना काल में व्यय
		(लाख रु० में)
(क) कृषि योग्य भूमि में भूमि संरक्षण की योजना	..	१८८.५१
(ख) कृषि योग्य भूमि संरक्षण की योजना विशष्टि जिलों में	...	१०.१८
(ग) कृषि योग्य भूमि में पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि संरक्षण की योजना	..	२५.००
(घ) अग्रगामी भमि संरक्षण विकास योजना ..	..	७.९४
योग	..	२३१.६३

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०३ पर)

जिला इटावा

परगना इटावा

क्रम-सं०	नाम गांव	ओलों द्वारा क्षतिग्रस्त क्षेत्र		क्षति ग्रस्त क्षेत्र में माफ की गई
		बीघा	बिसवा	आबपाशी रुपयों में
				रु०
१	नगला सिजेदी	१६	५	४६.७०
२	आराजी जब्ती	१२	०	३३.५९
३	तिजोरा	२	१९	६.७८
४	नसीरपुर	३८	१७	११६.४२
५	कनैया	४७	१४	१८५.६१
६	अमृतपुर	५७	३	२२०.२८
७	जखिन	१५०	१४	५५७.६४
८	बाउथ	११६	७	४३१.६९
९	उदयपुर	७८	११	३६०.३३
१०	इबनेपुर पाठक	७४	४	३५९.६७
	मौजान, परगना इटावा ..	५९४	१४	२३१८.७१

परगना औरैया

१	आनेपुर	३३	४	११९.१२
२	नन्दनपुर	४	३	२५.३०
३	सबरथपुर	३	१२	१९.६६
४	बदनपुर	८	१४	४९.०९
५	खानपुर	३५	१३	१५०.९८
६	भैरोंपुर	२३	७	८७.५५
७	भीखापुर	१२	४	४०.५२
८	सहसपुर	१८	७	९६.५८
९	लुहियापुर	२४	६	१०८.९२
१०	पालेपुर	२८	९	१३५.२८
११	नदपुर	३६	३	१९३.६५
१२	धौरेरा	१२२	९	४४०.२०
१३	मौकनपुर	१५४	१२	६५४.३३
१४	सुरान	१०४	८	४९१.४४
१५	ग्यानपुर	६९	४	२६२.०२
१६	निर्जापुर बरमशाह ..	८४	१६	४३५.७१
१७	जैतापुर	१३६	१३	६४५.२३
१८	भंडारीपुर	१७६	११	७१५.७३
१९	कुम्हारपुर	१९०	१	९३७.३६
२०	मरसन	१५१	३	८१४.०५
२१	बरियापुर	१८१	१८	९०९.५९
	मौजान, परगना औरैया ..	१,५९९	१७	७,३३२.३१
	कुल योग, जिला इटावा ..	२,१९४	११	९,६५१.०२

विधान परिषद सचिवालय

नत्थी "ङ"

(देखिये तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०७ पर)

१-७-६१ से १०-८-६१ तक की अवधि में बाराबंकी जिले में हुई मोटर दुर्घटनाओं के बारे में विवरण ।

१ जुलाई सन् १९६१ से १० अगस्त सन् १९६१ के बीच ४ मोटर दुर्घटनायें बाराबंकी जिले में हुई उन में ६ व्यक्ति मरे तथा ११ व्यक्ति जख्मी हुये । उन व्यक्तियों के नाम निम्नलिखित हैं :

दुर्घटना का दिनांक	मृत व्यक्तियों के नाम व पता	जख्मी व्यक्तियों के नाम व पता
१—३-७-६१	१—अवध राम, पुत्र छेदा लाल, निवासी महमूदाबाद, थाना सफदर गंज, जिला बाराबंकी ।	
२—४-७-६१	१—बिछल निवासी, सेमरावां बाजार थाना दुधारा जिला बस्ती	सई मुहम्मद निवासी, सेमरावां बाजार, जिला बस्ती ।
३—१०-८-६१	..	१—श्रीमती चम्पा, निवासी पारा खंदौली, थाना कोतवाली, बाराबंकी । २—श्री इन्द्र जीत सब-इंस्पेक्टर । ३—श्री हृदय नारायण हेड कांस्टेबुल, नं० १९ ए० पी० । ४—हिदायत रसूल कांस्टेबुल नं० ११२ ए० पी० । ५—मुहम्मद खलील का० नं० ९५ ए० पी० ।
४—९-७-६१	१—सफीक निवासी ग्राम व थाना भेलसर । २—गुलाम अली, निवासी रसौली, थाना सफदर गंज, जिला बाराबंकी । ३—बैजनाथ सिंह, निवासी सुल्तानपुर । ४—अब्दुल हक, निवासी जिला बहराइच	१—काश्मीरी सिंह, ड्राइवर फार्विडिग एजेन्सी, लखनऊ । २—राम गुलाम पता अज्ञात । ३—श्री रामा नन्द सिंह, अफसर, दोयम थाना, राम सनेही घाट । ४—छोटे लाल, पुत्र सीताराम, निवासी ग्राम व थाना भेलसर, जिला बाराबंकी । ५—नजफ अली, पुत्र आबाद अली,—निवासी छलका पुर्वा, थाना कोतवाली, जिला प्रतापगढ़ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१० पर)

LIST SHOWING THE NAMES OF TEMPORARY DRAFTSMAN FOUND NOT FIT FOR RETENTION AS DRAFTSMAN IN THE DEPARTMENT.

Serial number	Names	Date of appointment as Draftsman
1	Shri Baldeo Nath Godak	September 11, 1947.
2	,, Parmatma Swarup	December 2, 1948.
3	,, Ali Mohd. Khan	February 4, 1955.
4	,, Zammarud Hussain	May 26, 1955.
5	,, Mohd. Iqbal	August 2, 1955.
6	,, Anand Prakash Garg	October 4, 1955.
7	,, Krishna Mohan Sharma	November 5, 1955.
8	,, Yadu Nath Singh	April 6, 1956.
9	,, Dhan Prakash	July 24, 1956.
10	,, Ramesh Chandra Saxena	October 17, 1956.
11	,, Harish Chandra Saxena	October 29, 1956.
12	,, Ramji Das	December 28, 1956.
13	,, Kailash Chandra	February 4, 1957.
14	,, Abdul Qayum	May 1, 1957.
15	,, Trilok Chandra	May 14, 1957.
16	,, Surendra Kumar Arya	August 29, 1957.
17	,, Om Prakash Johri	December 1, 1957.
18	,, Jitendra Kumar Kulsrestha.. ..	December 1, 1957.
19	,, Ram Narain Singh	December 24, 1957
20	,, Sri Chand	January 4, 1958.
21	,, Vikramaditya Nigam	January 4, 1958.
22	,, Yaswant Singh	January 4, 1958.
23	,, Ramanand	January 13, 1958.
24	,, Sukhdeo Prasad	February 17, 1958.
25	,, Jwala Prasad	March 7, 1958.
26	,, Azaj Haider	July 10, 1958.
27	,, Om Prakash Pathak	July 6, 1959.
28	,, Birendra Chakravarti	January 27, 1955.
29	,, Mahendra Kumar Mital	October 11, 1956.

नत्थी "छ"

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३११ पर)

विवरण-पत्र "क"

१ मई, सन् १९६१ से २३ अगस्त, १९६१ तक थाना इटौंजा जिला लखनऊ में दर्ज हुई डकैती, कत्ल, चोरी तथा अन्य अपराधों की रिपोर्टों के बारे में सूचना ।

अपराध	रिपोर्ट किये गये मामलों की संख्या	संख्या जिनमें जांच नहीं की गई	संख्या जिनमें जांच की गई	वर्तमान स्थिति				
				जांच जारी है	न्यायालय में विचाराधीन	सजा हुई	छूट गये	लापता रहे
१	२	३	४	५	६	७	८	९
डकैती ..	१	..	१	..	१	..	..	..
कत्ल ..	१	..	१	..	१	..	..	..
चोरियां	१८	..	१८	..	१	..	..	१७
अन्य अपराध	१७	..	१७	..	८	..	..	९

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठप ३११ पर)

विवरण पत्र "ख"

जिसके विरुद्ध शिकायत की गई	शिकायत करने वाले का नाम	शिकायत का सूक्ष्म विवरण	जांच का परिणाम
१	२	३	४
इंचार्ज थानेदार, श्री भगवान बख्श सिंह ।	श्री मोहन लाल वर्मा, सदस्य विधान सभा, हरदोई ।	(१) श्री भगवान बख्श सिंह दरोगा ने जब वे थाना शाहाबाद जिला हरदोई में तैनात थे तो उन्होंने एक डकैत के केस को चोरी का केस बना दिया था और अपराधियों से रुपये ले लिया था ।	इस मामले में उनकी चरित्र पंजिका में दुराचरण को प्रविष्ट कर दी गई ।
		(२) थाना इंटौंजा के एक चोरी के केस में अपराधियों से पया लेकर उन्हें छोड़ दिया था ।	आरोप सही नहीं पाया गया ।
		(३) एक डकैती के केस को धारा ४५९/४६० भारतीय दंड विधान के केस में तबदील कर दिया था ।	आरोप सिद्ध नहीं हुआ । केस न्यायालय के विचाराधीन है ।
		(४) रुपया लेकर कुछ गलत व्यक्तियों को धारा ४५७, भारतीय दंड विधान के केस में फंसा दिया था ।	आरोप सही नहीं पाया गया ।
सहायक थानेदार ।	श्री कालीदीन, निवासी ग्राम बीबीपुर ।	श्री शाह मूसा कासिम सहायक थानेदार ने वादी को तंग किया और उससे ५०० रुपये मांगे ।	आरोप सही पाया गया । अतः उनके तथा एक अन्य संबंधित सिपाही को मुअत्तल करके उनके विरुद्ध धारा १६१/३८४/५११ भारतीय दंड विधान में कार्यवाही की गई और उक्त केस में न्यायालय द्वारा फाइनल रिपोर्ट स्वीकृत होने पर अपराधियों के खिलाफ धारा ७, पुलिस एक्ट की कार्यवाही की जा रही है ।

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१२ पर)

जिला जालौन में बनाये गये पानी निकालने वाले नालों के नाम :

१—तोरी नाला
२—जखौली नाला
३—मवाई नाला
४—जखेला नाला
५—टीकर नाला
६—परेठा नाला
७—हरदोई नाला
८—टगेरपुर नाला
९—सुलखना नाला
१०—ऊसरगांव नाला
११—चाकी नाला
१२—सुल्तानपुर नाला
१३—माधोगढ़ नाला
१४—माधोगढ़ ब्रांच नाला
१५—दिकौली नाला
१६—सोप्टा नाला
१७—कैलोर नाला
१८—हरौली नाला
१९—मेंगनी नाला
२०—पुरनपुरा नाला
२१—नहिन नाला
२२—उभरी नाला
२३—कुठौंद नाला
२४—बमरही नाला
२५—खैराबेरिया नाला
२६—सीकरी नाला

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१४ पर)

३१—८—६१ ई० को करीब ९।। बजे रात्रि में बिरहाना रोड रर ट्रक नं०यू०पी०एम०/४७७० के न्यू पंजाब ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के गोदाम पर लादे जाने के वक्त एक गैस का सिलन्डर खुल जाने से क्लोरीन गैस आस-पास फैल गयी। कई लोगों को इस गैस के सूंघने की वजह से खांसी और उल्टी आने लगी और बहुत से लोग अस्पताल व प्राइवेट डाक्टरों के पास इलाज के लिये गये। यह ठीक नहीं कहा जा सकता कि कुछ लोग बेहोश भी हुए या नहीं परन्तु आस-पास गैस बुरी तरह फैल गयी थी और उस एरिया में आतंक छा गया था।

गैस सिलन्डर डी० सी० एम० कैमिकल वर्कर्स, डेलही का बनाया हुआ था और उनके एजेन्ट सी० डी० केवलर ऐन्ड कम्पनी के जरिये कलकत्ता भेजा जा रहा था। ऊपर लिखे गये ट्रक में लादते वक्त उसका मुंह खुल गया। इसमें ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के डाइरेक्टर मलकियतसिंह व गुरुदेव सिंह व लादने वाले क्लर्क नानूप्रसाद और ट्रक ड्राइवर निसार अहमद की गलती व लापरवाही पायी गयी और उन्हें धारा २८४/२९०/३३६ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और चालान किया गया।

गैस सिलन्डर खुलने के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक की कुंजियां लेकर भाग गया था जब गैस बहुत फैल गई और उसका फैलना किसी तरह नहीं रोका जा सका तब पुलिस ने ट्रक को स्टार्ट करके गंगा के पार जंगल में ले जाकर खड़ा कर दिया। ट्रक लेजाने वाले पुलिस कर्मचारियों को भी गैस से नुकसान पहुंचा।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१४ पर)

गत तीन वर्षों में पशुपालन तथा कृषि विभाग द्वारा संचालित केन्द्रों पर निम्नलिखित आय हुई :

केन्द्र का नाम	रु० नये पै०	रु० नये पै०	रु० नये पै०
१—बक्शी का तालाब ..	३५,६८४.४०	१९,६५२.५३	१७,०७५.६०
२—राजकीय गोसदन, मलगवां (इटावा)	३,३७९.५०	३,०४०.८४	१,१४८.०६
३—राजकीय गोसदन, गर्जिया-सौत (नैनीताल)	२,७३१.३४	७,५२१.३१	३,१२४.५६
४—राजकीय गोसदन, बिछिया (बहराइच)	८७५.८१	३,०४६.५०	२,४५१.५६
५—राजकीय गोसदन, रानीपुर (बांदा)	१०४.५०	१,७८७.००	१,१७७.९६
६—राजकीय गोसदन, बरवार (लखीमपुर खीरी)	..	२,९५०.८७	१,९९५.००
७—मृत पशु उपधेय योजना देहरादून और झांसी	११,५१९.०१	२८,०२१.८३	४१,५७६.७९

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१६ पर)

पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये गैर-सरकारी व्यक्तियों का विवरण :

१—फेलू, पुत्र गंगुआ चमार
२—जलमा, पुत्र चुनुआ चमार
३—अब्बास, पुत्र मंजूर खां
४—निजाम, पुत्र नसीमुद्दीन
५—मुहम्मद हसन, पुत्र जहूर खां ।

} निवासी ग्राम मदारपुर, थाना मौदहा, जिला हमीरपुर ।

६—अब्दुल जमील, पुत्र सिराज मोहम्मद, ग्राम फतेहपुर, थाना मौदहा, हमीरपुर ।

७—बृज मोहन, पुत्र परमानन्द, ग्राम तथा थाना मौदहा, हमीरपुर ।

८—श्रीराम, पुत्र हनुमन्त, ग्राम मकरांव, थाना मौदहा, हमीरपुर ।

९—रघुनाथ, पुत्र कालीदीन, ग्राम मकरांव, थाना मौदहा, हमीरपुर ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७१–७३ पीछे पृष्ठ ३१७ पर)

प्रश्न सं० ७१—१ जनवरी, १९६० से २५ जून, १९६१ तक जिला इटावा में हुई सशस्त्र राहजनी, फौजदारी, नकबजनी और कत्ल की घटनाओं, की थानेवार संख्या

थाना		सशस्त्र डकैती	सशस्त्र चोरी	सशस्त्र राहजनी	सशस्त्र फौजदारी	सशस्त्र नकबजनी	सशस्त्र कत्ल
१—कोतवाली	..	४	—	—	—	—	२
२—जसवन्तनगर	..	३	—	—	—	—	३
३—बढ़पुरा	..	—	—	—	—	—	—
४—सहसों	..	८	—	—	—	—	२
५—इकदिल	..	२	—	—	१	—	१
६—बकेवार	..	२	—	—	१	१	१
७—चौबिया	..	५	—	—	१	—	—
८—उसराहर	..	१	—	—	१	—	—
९—भरथना	..	५	—	—	२	—	१
१०—अजीतमल	..	९	—	—	—	—	१
११—औरैया	..	३	—	१	१	—	१
१२—डिवियापुर	..	१	—	—	—	—	—
१३—फफूंद	..	४	—	—	—	—	—
१४—बिधुना	..	—	—	—	—	—	१
१५—सहेल	..	२	—	—	—	—	—
१६—बेला	..	२	—	—	२	—	—
१७—ऐखाकटरा	..	—	—	—	—	—	१
१८—उछलदा	..	४	—	—	—	१	१
		५५	—	१	९	२	१५

प्रश्न सं० ७२—उपरोक्त घटनाओं में हुई जन व धन की हानि का विवरण

		जन हानि	धन हानि रु०	न० पै०
सशस्त्र डकैती	..	२	२,८८,१९२	४३
सशस्त्र चोरी	..	—	—	—
सशस्त्र राहजनी	..	—	२६०	००
सशस्त्र फौजदारी	..	—	२००	००
सशस्त्र नकबजनी	..	१	२६६	२५
सशस्त्र कत्ल	..	१७	५०१	००

प्रश्न सं० ७३—उक्त मामलों में गिरफ्तार किये गये लोगों की संख्या

डकैती	राजहनी	फौजदारी	नकबनजी	कत्ल	चोरी
३९२	४	१६३	१	५३	—

नोट—इन मामलों में कोई गिरफ्तार किया जाना शेष नहीं है ।

नत्थी 'ढ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८३–८४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१९ पर)

विवरण

क्र० सं०	वर्ष	जुर्म सं०	न्यायालय का नाम	की गई कार्यवाही का विवरण
१	१९५९	४५७ आई० पी० सी०	जुडिशियल आफिसर, भरथना	पैरा ५०० पुलिस रेगुलेशन्स के अन्तर्गत जांच की गयी। जांच से स्ट्रिक्चर्स समुचित (justified) नहीं पाये गये। रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है।
२	१९६०	४५७/३८० आई०पी०सी०	जुडिशियल आफिसर, भरथना	पैरा ५०० पुलिस रेगुलेशन्स के अन्तर्गत जांच की गयी तथा सब-इंस्पेक्टर श्री सगीर अहमद इन्वेस्टीगेटिंग आफिसर को दुराचरण की प्रविष्टि (misconduct entry) देने का प्रस्ताव शासन द्वारा स्वीकार किया गया।
३	१९६०	३०२ आई० पी० सी०	ऐडिशनल सेशन्स जज, इटावा	पैरा ५०० पुलिस रेगुलेशन्स के अन्तर्गत जांच की गयी। रिपोर्ट अभी शासन को प्राप्त नहीं हुयी है। प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।
४	१९६०	३९५ आई० पी० सी०	ऐडिशनल सेशन्स जज, इटावा	पैरा ५०० पुलिस रेगुलेशन्स के अन्तर्गत जांच की गयी तथा स्ट्रिक्चर प्रमाणित नहीं पाये गये किन्तु नक्शे में "लिडौरी" न दिखाने के संबंध में स० इ० भरतसिंह की लापरवाही पायी गयी। इस आधार पर उन्हें दुश्चरित्र की प्रविष्टि देने का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है जो विचाराधीन है।
५	१९६०	४५६ आई० पी० सी०	ऐडिशनल सेशन्स जज, इटावा	पैरा ५०० पुलिस रेगुलेशन्स के अन्तर्गत जांच की गयी तथा श्री वीरेन्द्र सिंह वर्मा स० इ० के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की गयी और उन्हें तीन मास के लिये २०० रु० से १९० रु० प्रतिमाह पर पंक्तिच्युत (reduce) कर दिया गया।

क्र० सं०	वर्ष	जुर्म सं०	न्यायालय का नाम	की गयी कार्यवाही का विवरण
६	१९६१	३९९/४०२ आई० पी० सी०	ऐडिशनल सेशन्स जज, इटावा	पैरा ५०० पुलिस रेगुलेशन्स के अन्तर्गत जांच की गयी। जांच से स्ट्रिक्चर प्रमाणित नहीं पाये गये। रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है।
७	१९६१	३०४ ए आई० पी० सी०	जुडिशियल आफिसर, भरथना	जांच के पश्चात् सब-इंस्पेक्टर आविदअली शाह को दुश्चरित्र की प्रविष्टि दी गयी। जांच के कागजात अभी शासन को प्राप्त नहीं हुए हैं।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ण'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२० पर)

नरसिंहनारायण पांडेय, प्रजा समाजवादी, ६४–द, मियांबाजार, गोरखपुर का दिनांक १९–७–६१ का पत्र जिलाधीश गोरखपुर को प्रेषित ।

इधर मैंने कई पत्र पुलिस कप्तान गोरखपुर को पुरन्दरपुर थाने के अन्तर्गत बढ़ती हुई चोरी, डकैती कत्ल आदि के सिलसिले में लिख चुका हूं। मैंने स्वयं मिलकर अन्य प्राप्त सूचनाओं को भी उन्हें इन जरायम को समाप्त करने हेतु सुझाया था। परन्तु अत्यन्त दुख है कि अभी तक परिणाम निराशाजनक ही रहा। इधर १६/१७–७–६१ के रात्रि में सोनहा गांव में बुनियाद अहिर के घर डकैती पड़ी और डाकुओं ने उसे गोली से मार डाला। इसके पहले भी एक कत्ल यहां पर २ साल के पहले हुआ था जिसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। परिणाम स्वरूप मुलिजमान को सजा नहीं हुई। इसी थाने के अन्तर्गत १०/११–७–६१ की रात्रि में भीषण डकैती गोपालपुर मौजे के टोला बहेरबा में हुई और जो रामधनी के परिवार को इस डकैती में सर्वस्व स्वाहा करना पड़ा। इतनी बड़ी डकैती का अनुमान नहीं किया जा सकता। इसके पहले भी पल्टू उर्फ पलटन, तेली, गांव महावीरपुर मौजा इलाहाबास को भी डाकुओं ने कत्ल किया परन्तु कोई कार्यवाही समुचित नहीं हुई। डकैती के कांड को चोरी पुलिस दर्ज करती है। यह आम बात इस थाने की है। १७–७–६१ की रात्रि में भगतपुरवा ग्राम, जो मौजा फुलमनहा का एक टोला है, में भी श्री लालबहादुर के घर में नकब डालकर चोरी हुई और काफी सामान तथा जेवरात आदि को चोर उठा ले गये। इस प्रकार से इधर तीन महीनों के अन्दर इस पुलिस क्षेत्र में करीब दर्जनों चोरी, डकैती तथा कत्ल के मामले हो चुके हैं तथा बहुत से मामलों में पुलिस ने नकबजनी के मामलों को भी दर्ज तक करने के लिये कोशिश नहीं किया। इस प्रकार इस क्षेत्र में अराजकता बढ़ती जा रही है और जन-जीवन असुरक्षित-सा हो गया है। पुलिस शांति स्थापित करने में अकर्मण्य सिद्ध हो रही है।

अतः आपसे सानुरोध निवेदन है कि इस सिलसिले में आप विशेष पुलिस का इन्तजाम इस क्षेत्र में करें और कुछ गुप्तचर विभाग के उच्चाधिकारियों को भी तैनात करने की कृपा करावें जिससे सही तरीकों से वस्तु स्थिति का पता लग सके और उचित कार्यवाही हो सके। मैं स्वयं इस इलाके में दौड़ाकर हर गांवों से सम्पर्क स्थापित करने की चेष्टा कर रहा हूं और आने पर अपने सुझाव प्रस्तुत करूंगा।

आपका

नरसिंहनारायण पांडेय,
प्र० सो० पार्टी,
बहादुरी बाजार,
जिला गोरखपुर।

प्रतिलिपि पुलिस कप्तान गोरखपुर
प्रमाणित

नत्थी 'त'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२३ पर)

क्रम संख्या	अपराध संख्या	धारा	ता० घटना	गांव का नाम	चोरियां जिनका पता लगा	चोरियां जो लापता रहीं	परिणाम
१	५	४५७	२८–१–६०	रामपुर मजरा सिमरिया	..	लापता	..
२	४४	"	३०–५–६०	बहसार	चालान	..	सजा
३	५८	४५४	२७–७–६०	सतारपुर मजरा बलनपुर	"	..	"
४	५९	४५७	८–८–६०	रंगियन पुरवा	"	..	"
५	७०	"	२१–८–६०	बांगर	"	..	रिहा
६	७१	"	"	उमरन	"	..	सजा
७	७४	"	२२–८–६०	ठठियागंज	"	लापता	..
८	९५	"	२१–११–६०	इनायतपुर	"	..	रिहा
९	१८	"	३०–४–६१	फुलबारी	..	लापता	..
१०	२७	"	२१–५–६१	किशियापुरवा	..	"	..
११	२९	"	३–६–६१	ग्राम बांके	..	"	..
१२	३१	"	८–६–६१	ग्राम गूरा	..	"	..
१३	३३	"	११–६–६१	रहमतपुर	..	"	..
१४	३४	"	१५–६–६१	खेरा	..	"	..
१५	३५	"	"	सांडा	चालान	..	रिहा
१६	३७	३८०	१८–६–६१	भादोरी	..	लापता	..
१७	३९	४५७	२०–६–६१	उदईपुर	..	"	..
१८	४२	"	३०–६–६१	बेहटा	..	"	..
१९	४८	"	१६–७–६१	खतार मजरा बलनपुर	..	"	..
२०	५०	"	१८–७–६१	उमई पुर	..	"	..
२१	५१	"	"	खामा	..	"	..
२२	५४	"	२७–७–६१	बनखन	चालान	..	सजा
२३	५६	"	२३–७–६१	बिहारीपुर	..	लापता	..

प्रधान सभा

नत्थी 'थ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२४ पर)

जिला उन्नाव के उन सब-इन्सपेक्टर्स के नाम जिनके विरुद्ध शिकायतें विचाराधीन हैं तथा शिकायतों का विवरण

सब इन्सपेक्टर का नाम	शिकायत का विवरण
१—श्री अहसान अली	सन् १९६० में जब वे थाना फतेहपुर ८४ के थानाध्यक्ष तैनात थे तो उन्होंने कुरबानी नामक व्यक्ति का १९ आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत झूठा चालान कर दिया। इन्होंने एक पार्टी के विरुद्ध धारा १०७/११७ की कार्यवाही की, किन्तु इसके पश्चात् जब उनके विरुद्ध शिकायत हुई तो उन्होंने दूसरी पार्टी का भी चालान पिछली तारीख में १०७/११७ के अन्तर्गत कर दिया।
२—श्री रामअभिलाख पांडेय	इन्होंने ग्राम नसीरपुर के शिवपाल सिंह के कहने पर अयोध्या प्रसाद, उनके पुत्र बाबू राम, गुलाब सिंह तथा कनकलता नामक लड़की को गिरफ्तार किया। गुलाब सिंह कनकलता को लेकर बाबू राम के पास आया था। एस० आई० ने गुलाबसिंह पर लड़की के अपहरण का आरोप लगाया तथा उपर्युक्त व्यक्तियों को थाने में ले जाकर बन्द कर दिया तथा उन्हें छोड़ने के लिए २०० रु० लिये। दूसरे दिन अयोध्या प्रसाद व बाबू राम छोड़ दिये गये तथा गुलाब सिंह व कनकलता जेल में भेज दिये गये। इस एस० आई० के विरुद्ध यह आरोप भी लगाया गया कि शिव पाल सिंह ने अयोध्या प्रसाद व बाबू राम को परेशान कराने के लिये एस०आई० को अपनी कार घूस में दे डाली।
३—श्री हरदयाल सिंह	इनके विरुद्ध यह शिकायत है कि इन्होंने कुछ व्यक्ति पकड़े जिनसे पोस्ता का छिलका बरामद हुआ, परन्तु यह व्यक्ति जमानत पर नहीं छोड़े गये, जबकि वे मौके पर ही जमानत देने के लिये तैयार थे। इन व्यक्तियों को थाने पर लाया गया तथा दूसरे दिन रुपया लेकर छोड़ गया।
४—श्री नवलकिशोर श्रीवास्तव	इनके विरुद्ध असिस्टेंट सेशन्स जज, उन्नाव ने "सरकार बनाम रहमत अन्तर्गत धारा ३९५ भा० दं० वि० थाना अजगैन," के मुकदमें में यह आलोचना की कि अपराधी की गिरफ्तारी जिस दशा में बतायी जाती है विश्वसनीय नहीं है।
५—श्री महाबीरसिंह	इनके विरुद्ध अतिरिक्त सेशन्स जज, उन्नाव ने इ० नं० ६७ "सरकार बनाम सत्यनरायण तथा अन्य, थाना बिहार" के मुकदमें में यह आलोचना की कि एस० आई० द्वारा की गयी जांच दोषपूर्ण थी तथा ईमानदारी से नहीं की गयी थी।

सब इन्सपेक्टर का नाम	शिकायत का विवरण
६—श्री राम देव सिंह	इनके विरुद्ध यह शिकायत थी कि इन्होंने दिवाली के अवसर पर ग्राम बेथर के कुछ व्यक्तियों को जुआ खेलते हुए पकड़ा। इनमें से कुछ व्यक्तियों को रिश्वत लेकर छोड़ दिया और ९ आदमियों का चालान कर दिया।
७—श्री देवीप्रसाद मिश्रा	दीवाली के अवसर पर ग्राम ओरहर के कुछ व्यक्तियों को जुआ खेलते हुये पकड़ा और उनके पास से जितना रुपया पैसा निकला वह ले लिया, परन्तु किसी का चालान नहीं किया।

उत्तर प्रदेश अभिलेखागार

नत्थी 'द'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२६ पर)

जुलाई तथा अगस्त, १९६१ (१० ता० तक) में थाना धानेपुर, जिला गोंडा के विरुद्ध गृह मन्त्री द्वारा प्राप्त शिकायतों का विवरण

शिकायत करने वाले का नाम पता	शिकायतों का विवरण	शिकायत के बारे में की गई कार्यवाही
(१) श्री साहबतखान, मंत्री, बरुवार नवयुवक संघ, काली भवानी, पटेलनगर, गोंडा।	(१) इस पत्र में निम्नलिखित शिकायतें दो थीं---थानेदार, धानेपुर ने दरबारी तथा रामलखन बरुवार को झूठमूठ पकड़कर १०९ जाप्ता फौजदारी में ८-६-६१ को चालान कर दिया।	न्यायालय द्वारा चालान सही पाया गया। एस० डी० एम० गोंडा ने दोनो व्यक्तियों को १ साल की सख्त कैद या ५०० रु० की दो जमानतें या ५,०० रु० जाती मुचिलका नेक चलनी के लिये दाखिल करने का दंड दिया। निर्णय के उपरान्त उप-पुलिस अधीक्षक ने जांच की और दरबारी व रामलखन से भी पूछ-ताछ की, किन्तु इन्होंने पुलिस के विरुद्ध अपने बयान में कोई बात नहीं कही।
	(२) दारोगा की उपर्युक्त कार्यवाही के विरोध में बरुवारों ने एक मीटिंग की। दारोगा इससे अप्रसन्न हुए और प्रार्थी को मिला कर २६ बरुवारों का चालान धारा ६० आबकारी ऐक्ट में कर दिया।	इस बारे में उप-अधीक्षक पुलिस की जांच से पता लगा कि थानेदार धानेपुर ने आबकारी ऐक्ट के अन्तर्गत चालान किसी वैमनस्य के कारण नहीं किया था। यह चालान नाजायज देशी शराब बरामद होने के फलस्वरूप किये गये थे। जिलास्तर पर आयोजित अपराध निरोधक दविश के प्रोग्राम के अन्तर्गत इस थाने द्वारा भी १७-६-६१ को दविशें दी गयीं। कुल जिलों में ६५ मुकदमें धारा ६० आबकारी के दर्ज हुये जिसमें से २१ मुकदमें थाना धानेपुर में दर्ज हुए।
श्री तिलई, ग्राम त्रिलोक नगर, थाना धानेपुर, जिला गोंडा।	(१) थाना धानेपुर ने उसके साथी रामलखन को पकड़ कर जाप्ता फौजदारी की धारा ११० में चालान कर दिया। प्रार्थी पर दबाव डाला कि वह अभियुक्त	मामला जांच के लिये डिप्टी एस० पी० को सौंपा गया। धारा ११० का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था। डिप्टी एस० पी० ने यह भी पाया कि

शिकायत करने वाले का नाम पता	शिकायतों का विवरण	शिकायत के बारे में की गयी कार्यवाही
	को जुर्म इकबाल करने के लिये राजी करें । (२) थाना धानेपुर ने ४०० रु० घूंस लिये ।	कान्सटेबुल ताहिर हुसेन जिसके द्वारा थानेदार धानेपुर ने, शिकायत के अनुसार घूस ली थी, के विरुद्ध धारा ३४७/३८८/३८४ भारतीय दंड विधान का एक इस्तगासा दर्ज था, अतः जांच न की जा सकी । धारा ११० के मामले में राम लगन को सजा हो गयी है ।

विधान भवन

नत्थी 'ध'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२९ पर)

जिला उन्नाव के बिछिया विकास खंड में स्थित रेंध झील से हुई आय का विवरण

वर्ष	आय
	रु०
१९५३–५४	१,५५०
१९५४–५५	३,५७०
१९५५–५६	२,०००
१९५६–५७	५,५००
१९५७–५८	७,०००
१९५८–५९	४,७००
१९५९–६०	३,८००
१९६०–६१	..
१९६१–६२	२,२५०
योग ..	३०,३७०

संसद सदस्य सचिवालय

नत्थी 'न'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२९ पर)

इटावा नुमाइश में लगने वाले पशु मेले व नुमाइश की दूकानों व अन्य साधनों से १९५८-५९ व १९६० में हुई आय और व्यय का विवरण

आय

क्रम-संख्या	आय की मद	१९५८ रु०—न० पै०	१९५९ रु०—न० पै०	१९६० रु०—न० पै०
१	पक्की दूकानें	२०,९७८.००	१९,३२७.००	३०,६५८.००
२	तह बाजारी	८३२७.२५	९४७१.५०	६२२४.७५
३	सिनेमा व सर्कस	१७७७.००	३०५४.००	१९५०.००
४	पशु रजिस्ट्रेशन	३७,९३०.७४	४७,४४७.५६	३६,७०३.८७
५	ब्याज	१८०३.१२	११००.००	५५०.००
६	संगीत	३८५२.७५	४५१०.५०	५८३०.५०
७	दंगल	१८१८.६६	७१६७.८५	७२०२.८०
८	घास	१२००.००	१०५०.००	१२९५.००
९	खोमचा	२०५०.००	११००.००	१४५०.००
१०	खाद	१००.००	१००.००	१००.००
११	ईंटों की सप्लाई का ठेका	—	१००.००	३७५.००
१२	रिक्शा तथा इक्का स्टैंड	७५०.००	४००.००	७९५.००
१३	फर्नीचर का किराया	१२८.३७	१५०.६२	—
१४	विविध	२१६७.२५	३२४१.५३	१६८७.६६
	योग	८२,८८३.१४	९८,२२०.५६	९४,८२२.५८

व्यय

क्रम-संख्या	व्यय की मद	१९५८ रु०—न० पै०	१९५९ रु०—न० पै०	१९६० रु०—न० पै०
१	कर्मचारियों का वेतन, महंगाई भत्ता तथा यात्रा भत्ता	५,६६९.४९	७,४०१.५२	७,४७६.२६
२	फर्नीचर की मरम्मत	७८४.५०	९०८.५९	१,३२५.०७
३	जफारी श्रम तथा सज्जा	४,३३६.१९	४,११५.८७	५,११६.१२
४	डेरे ..	६,६१९.९२	६,४२३.२०	९,७९६.१४
५	सामान्य सफाई तथा पुताई	७,००.००	७९४.३७	९५०.००
६	लेखन-सामग्री तथा डाक व्यय ..	२६५.६१	२९३.४१	३७३.०२
७	विद्युतीकरण ..	३,९००.००	७,२३९.०६	९,५७३.००
८	बाग ..	२,९२३.००	१,८८४.४४	२,६७५.१३
९	विज्ञापन तथा छपाई	१,२८८.३१	३,७५४.४१	४,२९८.६५

क्रम-संख्या	व्यय की मद	१९५८ रु०—न० पै०	१९५९ रु०—न० पै०	१९६० रु०—न० पै०
१०	लाउड स्पीकर ..	१,१५७.००	९८०.००	१,३००.००
११	विद्युत शक्ति ..	८,४८२.८८	१०,४४२.५०	१८,७६३.२६
१२	लेखा परीक्षण शुल्क	८००.०००	४००.००	४००.००
१३	छात्रों की वादविवाद प्रतियोगिता ..	१००.००	१००.००	१००.००
१४	अन्ताक्षरी ..	५०.००	५०.००	१००.००
१५	फैन्सी ड्रेस शो ..	२००.००	२५०.००	२००.००
१६	पशु चिकित्सा सम्बन्धी औषधियां ..	३००.००	३००.००	३००.००
१७	गर्ल्स गाइड ..	१००.००	१००.००	५०.००
१८	बाल मेला ..	५६०.४२	४००.००	..
१९	सफाई आदि ..	१,१००.००	१,०१३.२५	१,०६५.००
२०	सार्वजनिक निर्माण-कार्य	३,९६९.३७	४,९२८.२८	८,३४५.२५
२१	संगीत सम्मेलन ..	१०,८३०.००	१२,०००.००	२२,२९८.२५
२२	मैदान का किराया और नहर शुल्क ..	५२७.४७	१२३.५०	१९७.००
२३	कवि सम्मेलन ..	१,२००.००	१,६००.००	१,७५९.५४
२४	मुशायरा ..	९०९.५६	१,१३४.२६	१,२१५.३०
२५	शिशु प्रदर्शन ..	३००.००	३००.००	२५०.००
२६	पी० ई० सी० ..	..	२००.००	१२८.००
२७	स्कूल खेल कूद ..	२५०.००	२५०.००	२००.००
२८	आर्ट तथा क्राफ्ट ..	२५०.००	२००.००	१५०.००
२९	जीमखाना ..	२५०.००	..	..
३०	हस्तकला तथा कला ..	२५०.००	२५०.००	१५०.००
३१	स्वयं सेवक ..	..	२७०.००	२५०.००
३२	बैडमिन्टन तथा टैनिस	७००.००	..	..
३३	दंगल ..	५००.००	२३०६.७०	२,९९८.५२
३४	हाकी टूर्नामेंट ..	३,०७२.३८	३,२२१.००	२,०००.००
३५	पारितोषिक ..	९७३.५०	२,४४२.५०	२,११२.००
३६	बालकनजी बारी ..	१००.००	१००.००	१००.००
३७	आतिशबाजी ..	५००.००	४९०.००	५००.००
३८	वैरायटी शो ..	७५.००	१००.००	१००.००
३९	बाणिसी (रिफन्ड) ..	८३३.००	६११.२७	७५६.७६
४०	आकस्मिक व्यय ..	७,२६८.२५	१२,३२६.९६	११,४६२.१५
४१	विशिष्टजन (वी० आई० पी०)	७९९.५६	९५७.२६	..
४२	लोक सहायक सेना ..	२००.००	२००.००	..
४३	भूतपूर्व सेना कर्मचारी (एक्स-सर्विस मैन) ..	१५०.००	१५०.००	१५०.००
४४	लोक मंगल समिति ..	५००.००	..	..
४५	जिला ओलम्पिक ..	३००.००	..	..
४६	भूमि अर्जन ..	..	१९५.००	..

क्रम-संख्या	व्यय की मद		१९५८ रु०—न० पै०	१९५९ रु०—न० पै०	१९६० रु०—न० पै०
४७	दान	..	९,१३३.१३	९,२३७.००	..
४८	प्रदर्शन कक्ष	..	१००.००	१५०.००	१५०.००
४९	स्थायी निर्माण-कार्य	..	..	७,१६९.१४	१२,३६०.५८
५०	ऋण	..	..	२,०००.००	२,०००.००
५१	बालचर	..	१५०.००	..	४००.००
५२	कबड्डी	..	..	..	५०.००
५३	जनपद हिन्दी साहित्य सम्मेलन	..	१००.००	..	..
५४	विकास	..	५,५००.००	६,१५४.६७	..
	योग	..	८९,०२८.५४	१,१५,९१८.४७	१,३३,८४५.००

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'प'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३३ पर)

संख्या ५११ (१)/डी० ओ० आई० सी० (तेईस)—आई० सी०-१९-एफ०-६०

प्रेषक,

श्री के० किशोर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

लखनऊ, १८ फरवरी, १९६१ ।

विषय—गांव सभाओं के अभिकरण द्वारा सहायक नालियों (Subsidiary Drains) का बनाना

महोदय,

सिंचाई (ग) विभाग

शासनादेश संख्या २७५२ (१)/एफ० टी० (तेईस) आई० सी० २२२—एफ०—५९, दिनांक २३ दिसम्बर, १९५९ के पैरा ४ में उल्लिखित आदेशों का आंशिक आशोधन करके, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ५—६ मील लम्बी सहायक नालियों का श्रमदान द्वारा निर्माण करने के प्रश्न पर सरकार ने पुनः विचार किया है और अब उसने यह निश्चय किया है कि गांव सभाओं को अपनी आवश्यकतायें स्वयं निश्चित करनी चाहिये और एक संकल्प द्वारा सिंचाई विभाग से अपने लिये अपेक्षित नाली/नालियों का नकशा तैयार करने के लिये कहना चाहिये । इस संकल्प में गांव सभाओं को यह उल्लेख करना चाहिये कि वे नाली/नालियों के निर्माण के लिये आवश्यक श्रम की स्वयं व्यवस्था करेंगे । ऐसे संकल्प की प्रति प्राप्त होने पर सिंचाई विभाग को चाहिये कि वह नाली का उसके सम्पूर्ण प्राविधिक ब्योरों सहित नकशा तैयार करने और जिला नियोजन अधिकारी के अभिकरण से इन उल्लेखणों तथा नकशों (Drawings plans) को गांव सभा के पास प्रस्तुत करे । यह गांव सभा का कर्त्तव्य होगा कि वह स्वयं अपने श्रम से भूमि को अधिग्रहण, यदि आवश्यक हो, करने के उपरान्त निर्माण-कार्य का सम्पादन करे, किन्तु राजगीरी का सभी कार्य सिंचाई विभाग द्वारा किया जायगा । विकल्प में, गांव सभा विभागीय अनुमान के आधार पर निर्माण-कार्य की लागत की पूरी धनराशि सिंचाई विभाग के पास जमा कर सकती है और ऐसा किये जाने पर सिंचाई विभाग इस निर्माण-कार्य को निक्षेप "निर्माण-कार्य" (Deposit Work) के रूप में सम्पादित करेगी । किन्तु इस प्रकार के निर्माण-कार्यों पर प्रतिशत व्ययों (Centage Charges) की वसूली छोड़ दी जायगी ।

२—पर मुझे यह स्पष्ट कर देना है कि नालियों के निर्माण करने के सम्बन्ध में गांव सभाओं का उत्तरदायित्व केवल सहायक नालियों तक ही सीमित रहेगा, जो ५ मील से अधिक लम्बी न हों और लगभग ५ फीट चौड़ी तथा २ फीट गहरी हों । गांव सभाओं से यह अपेक्षा नहीं की जायगी कि वे ट्रंक नालियों के किसी भाग का निर्माण करें अथवा ऐसी नालियों का निर्माण करें जिनकी लम्बाई ५ मील से अधिक हो ।

३--ऐसे अवसर भी आ सकते हैं जब किसी नाली को दो या अधिक गांवों से होकर ले जाना पड़े और इनमें से केवल एक ही गांव के लोग उसके सम्पादन-कार्य में अभिरुचि रखते हों, और उसके लिये श्रमदान करने को तैयार हों। ऐसी दशाओं में नाली के निर्माण की आवश्यकता पर उस क्षेत्र के व्यापक हितों का ध्यान रख कर विचार किया जाना चाहिये। ऐसी अवस्थाओं में निस्संदेह खंड विकास अधिकारियों तथा ग्राम सेवकों से यह कहा जायगा कि वे अनिच्छुक गांव सभाओं को नाली के निर्माण में सहयोग देने के लिये प्रोत्साहित करने में मुख्यतया भाग लें, चाहे इस से उक्त गांव सभाओं को कोई लाभ न होता हो। किन्तु यदि मतैक्य प्राप्त कराने के सभी प्रयास निष्फल हो जायं तो अन्य गांव सभाओं के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाली भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है और तब उसे उस गांव सभा के अधिकार में सौंपा जा सकता है जिसे उक्त नाली का निर्माण करना है। ऐसी दशाओं में जिला अधिकारियों को यह देखना पड़ेगा कि काम शान्तिपूर्वक होने दिया जाता है।

४--यह ज्ञात हुआ है कि सिंचाई विभाग ने पहले ही बहुत-सी सहायक नालियों की आयोजनायें तैयार कर ली हैं। अतएव मुझे यह अनुरोध करना है कि ये आयोजनायें सम्बन्धित नियोजन अधिकारी के माध्यम से गांव सभाओं को भेजी जाय। तत्पश्चात् गांव सभायें इन आयोजनाओं में बतलाई गई नालियों के सम्बन्ध में अपनी आवश्यकताओं की जांच करेंगी और यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ये नालियां आवश्यक हैं तो वे इन नालियों के निर्माण का संकल्प करेंगी और उपर्युक्त पैरा १ में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायगी।

५--मुझे यह भी कहना है कि सिंचाई विभाग इस निर्माण-कार्य के प्राविधिक पहलू के लिये उत्तरदायी होगा। पंचायत राज विभाग इसके अधिशासी पहलू के लिये उत्तरदायी होगा और गांव सभा का मार्ग प्रदर्शन करेगा तथा उसे प्रेरणा देगा। यह स्पष्ट है कि गांव सभा से कार्य-संपादित करने के लिये पर्याप्त अनुनय-विनय करनी पड़ेगी और यह अधिशासी उत्तर-दायित्व का एक पहलू होगा जो पंचायत राज विभाग को निभाना पड़ेगा। गांव सभाओं को नियमित प्राविधिक मार्ग-प्रदर्शन की भी आवश्यकता होगी, जिसकी व्यवस्था सिंचाई विभाग द्वारा की जायगी। दोनों विभागों के अधिकारी आयोजनाओं तथा उनसे होने वाले लाभों का स्पष्टीकरण करने के लिये समुचित स्तर पर स्थानीय समिति से सम्बद्ध किये जायंगे। सिंचाई विभाग का प्रतिनिधित्व पहले ही से खंड समितियों में है और आवश्यकता केवल इस बात की है कि ओवरसियर/सुपरवाइजर स्तर पर गांव सभाओं से निकटतम सम्पर्क स्थापित हो।

६--मुझे यह भी कहना है कि कभी-कभी आपातिक स्थिति (emergent situation) पैदा हो सकती है, विशेष कर वर्षाऋतु में, जबकि जान और माल की सुरक्षा के निमित्त पानी के निकास के लिये कार्यवाही करने की आवश्यकता पड़ सकती है। जब कभी ऐसी आपातिक स्थिति पैदा हो, इन आदेशों में उल्लिखित कोई बार सरकार को ऐसे आपातिक निर्माण-कार्य विभागीय रूप से संपादित करवा लेने के अपने अन्तर्भूत अधिकार का प्रयोग करने से प्रतिवादित न करेगी और जैसे ही ऐसे निर्माण-कार्यों के निष्पादन की आवश्यकता प्रतीत हो, सरकार को इस के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

भवदीय,

के० किशोर,

संयुक्त सचिव।

वित्त विभाग

संख्या ५११ (२)/डी० ओ० आई० सी० (तेईस)—आई० सी०—१९—एफ—६० दिनांक तदैव

प्रतिलिपि, महालेखापाल, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सरकारी पृष्ठांकन संख्या २७५२ (२) एफ० टी० (तेईस)—आई० सी०—२२२—एफ०—५९, दिनांक २३ दिसम्बर, १९५९ के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से,
जी० के० नेने,
अनुसचिव ।

सिंचाई (ग) विभाग

संख्या ५११ (३)/डी० ओ० आई० सी० (तेईस)—आई० सी—१९ एफ—६० दिनांक तदैव

प्रतिलिपि, विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश को सरकारी पृष्ठांकन संख्या २७५२ (३)/एफ० टी० (तेईस)—आई० सी० २२२—एफ०—५९, दिनांक २३ दिसम्बर, १९५९ के अनुक्रम में सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही के हेतु प्रेषित ।

संख्या ५११ (४)/डी० ओ० आई० सी० (तेईस)—आई० सी०—१९—एफ—६० दिनांक तदैव

प्रतिलिपि, पंचायतराज विभाग को सरकारी पृष्ठांकन संख्या २७५२ (४) एफ० टी० (तेईस)—आई० सी०—२२२—एफ०—५९, दिनांक २३ दिसम्बर, १९५९ के अनुक्रम में इस प्रयुक्ति के साथ प्रेषित कि यदि एतत्पश्चात् गांव सभा की ओर से अपने क्षेत्राधिकार में किसी दोष के कारण जलानुवेधन (water logging) हो जाता है, तो उसका उत्तरदायित्व स्वयं गांव सभा पर ही होगा और सरकार गांव सभा के निमित्त कार्य करने के लिये बाध्य न होगी । यह बात समस्त गांव सभाओं के ध्यान में लायी जाय ।

संख्या ५११ (५)/डी० ओ० आई० सी० (तेईस)—आई० सी०—१९—एफ—६०—दिनांक तदैव

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सरकारी पृष्ठांकन संख्या २७५२ (४)/एफ० टी० (तेईस) आई० सी०—२२२—एफ०—५९, दिनांक २३ दिसम्बर, १९५९ के अनुक्रम में सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही के हेतु प्रेषित:

(क) नियोजन (क) विभाग,
(ख) सचिव, राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश,
(ग) वित्त (आय-व्ययक) विभाग,
(घ) वित्त (नियोजन तथा संराधन) विभाग,
(ङ) बजट अनुभाग, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश,
(च) उप-विकास आयुक्त (प्राविधिक), उत्तर प्रदेश,
(छ) वित्त (व्यय—१) विभाग तथा,
(ज) सिंचाई (ख) विभाग ।

संख्या ५११ (६)/ डी० ओ० आई० सी० (तेईस)---आई० सी०-१९ एफ०-६० ६०-दिनांक तदैव

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को शासनादेश संख्या २७५२ (१)/एफ० टी० (तेईस)---आई० सी०--२२२-एफ-५९, दिनांक २३ दिसम्बर, १९५९ की प्रतिलिपि के साथ सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित:

(१) समस्त डिवीजनों के आयुक्त, उत्तर प्रदेश, और

(२) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

संख्या ५११ (७)/डी० ओ० आई० सी० (तेईस)---आई० सी०---१९ एफ-६० -दिनांक तदैव

प्रतिलिपि, सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इन निर्णयों का पंचायत के समाचार मुख-पत्रों तथा समाचार-पत्रों के द्वारा अधिक से अधिक विख्यापन करें ।

आज्ञा से,
के० किशोर,
संयुक्त सचिव ।

श्री आर० पी० वर्मा, सहायक सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, सिंचाई (ग) विभाग द्वारा मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजे गये शासनादेश संख्या २७५२(१)/एफ० टी० (तेईस)---आई० सी० २२२ एफ---५९, दिनांक २३ दिसम्बर, १९५९ की प्रतिलिपि ।

विषय---सरकार द्वारा लिये गये ८ करोड़ रुपये के ऋण की अतिप्रार्थित (over-subscribed) धनराशि में से राज्य के पश्चिमी जिलों में जलोत्सारण योजनाओं का निष्पादन ।

शासनादेश संख्या २७५२/ एफ० टी० (तेईस)---आई० सी०-२२२-एफ-५९, दिनांक ६ अक्तूबर, १९६९ के अनुक्रम में, मुझे १५ नवम्बर, १९५९ को हुई बैठक में, जिसमें अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ आप भी उपस्थित थे, लिये गये निर्णयों पर सचिव, सिंचाई विभाग द्वारा अभिलिखित १७ नवम्बर, १९५९ की टिप्पणी की एक प्रतिलिपि आपको सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये संलग्न करने और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में जलोत्सारण की योजनाओं का जो आपके पत्र संख्या ६०१६/आई० आर० पी०, दिनांक १४ सितम्बर १९५९ से संलग्न विवरण-पत्र में दिखायी गयी हैं, निष्पादन करने और चालू वित्तीय वर्ष (१९५९-६०) में उन पर केवल २०,००,००० रुपये (बीस लाख रुपये) व्यय करने के सम्बन्ध में राज्यपाल की स्वीकृति की सूचना देने का निदेश हुआ है ।

२---उक्त योजनायें आवश्यक तथा अपरिहार्य हैं और चालू वित्तीय वर्ष के बजट में उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिये राज्यपाल चालू वर्ष में अनुपूरक विनियोग अधिनियम द्वारा विधान मण्डल की स्वीकृति मिलने तक, उपर्युक्त योजनाओं पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिये राज्य आकस्मिकता निधि से केवल २०,००,००० रुपये (बीस लाख रुपये) की अग्रिम धनराशि स्वीकृत करते हैं ।

३—यह जलोत्सारण योजनायें पश्चिमी जिलों की उन जलोत्सारण योजनाओं के अतिरिक्त होंगी जो पिछड़े हुये क्षेत्रों के विकास के लिये प्रदिष्ट धनराशि में से निष्पादित करने के लिये पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं और चालू वित्तीय वर्ष में २०,००,००० रुपये का व्यय सिंचाई विभाग के बजट में अनुदान संख्या ४६ के अधीन राज्य में पिछड़े हुये क्षेत्रों के विकास के अन्तर्गत जलोत्सारण योजनाओं के निष्पादन के लिये प्रदिष्ट की गई सम्पूर्ण धनराशि में प्रत्याशित बचतों से पूरा किया जायगा। इन योजनाओं के लिये आगामी वर्ष में अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था मुख्यतया पिछड़े हुये क्षेत्रों की योजनाओं के लिये नियत धनराशि के अन्तर्गत और अंशतः सामान्य आयोजना के अन्तर्गत आगामी वर्ष के लिये आयोजना की अधिकतम वार्षिक निर्धारित धनराशि के अन्तर्गत की जायगी।

४—मुझे यह भी कहना है कि जैसा उपर्युक्त पैरा १ में निर्दिष्ट १५ नवम्बर, १९५९ को हुई बैठक में निश्चय किया गया था, सिंचाई विभाग को उपर्युक्त पैरा १ में स्वीकृत धनराशि में से बड़ी नालियों, ट्रंक (trunk) तथा आरटीरियल (arterial) नालियों का निर्माण करना चाहिये और सहायक (subsidiary) नालियों को श्रमदान से पूरा करने के लिये छोड़ देना चाहिये, और सामान्य पथ-प्रदर्शन के रूप में ५ से ६ मील तक लम्बी नालियों को श्रमदान से निर्माण करने के लिये छोड़ा जा सकता है, और शेष नालियों का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा किया जा सकता है। उपर्युक्त प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिये, जैसा कि पूर्वोक्त बैठक में निश्चय किया गया था आप कृपया एक संयुक्त योजना तैयार करें और उसमें निम्नलिखित तीन वर्गों के अन्तर्गत जलोत्सारण व्यवस्था की सूची बनायें—

(क) ऐसी नालियां जिनका निर्माण एकमात्र सिंचाई विभाग द्वारा सरकारी व्यय पर ही किया जायगा। इसमें, यदि सम्भव हो तो, बड़ी नालियां तथा ट्रंक या आरटीरियल नालियां भी सम्मिलित की जा सकती हैं।

(ख) बड़ी नालियां जिनका निर्माण यदि सम्भव हो, श्रमदान के माध्यम से कम सरकारी व्यय पर किया जायगा, और

(ग) सहायक नालियां, जिनका निर्माण केवल श्रमदान से ही किया जा सकता है, किन्तु जहां आवश्यक हो, पुलों, साइफन्स (syphons), आदि के निर्माण का कार्य सिंचाई विभाग करेगा। इनका अनुरक्षण भी श्रमदान से किया जायगा।

ये योजनायें इस प्रकार तैयार की जानी चाहिये कि उनमें समस्त सहायक नालियों का जिन्हें किसी खास बड़ी नाली से सम्बद्ध करना आवश्यक होगा, उल्लेख हो। प्रत्येक शृंखला (link) की सहायक नालियों को जिलेवार दिखाना चाहिये। विकास आयुक्त ने बड़ी या ट्रंक तथा आरटीरियल नालियों से, जिनका निर्माण सिंचाई विभाग कर रहा हो, मिलने के लिये सहायक नालियों का निर्माण करने के निमित्त श्रमदान अभियान को समन्वित करने का प्रस्ताव किया है। ऐसे समय जबकि सिंचाई विभाग जलोत्सारण योजनाओंका निर्माण कर रहा है, यह अभियान भी पंचायत तथा नियोजन विभागों द्वारा साथ ही साथ चलाया जायगा। उपर्युक्त परिस्थितियों में मुझे आपसे यह अनुरोध करना है कि आप इस प्रकार की नालियों की सूचियां सरकार तथा विकास आयुक्त को भेजें जोकि जिला स्तर पर इस सम्बन्ध में आगे की कार्यवाही करेंगे। आप कृपया श्री बी० एम० माथुर, उप-विकास आयुक्त (प्राविधिक) के परामर्श से यह भी निर्णय करें कि सहायक नालियों के सर्वेक्षण आदि में सहायता देने के लिये सिंचाई विभाग किस प्रकार नियोजन विभाग के ओवरसियरों का अच्छी प्रकार मार्ग-प्रदर्शन कर सकता है, जिससे कि उक्त कार्य जनवरी, १९६० से प्रारम्भ होने वाली तथा पुनः जनवरी, १९६१ से प्रारम्भ होने वाली श्रमदान ऋतुओं की दोनों अवधियों में कुछ विशेष देख-रेख के अधीन भलीभांति पंक्तिबद्ध तथा सम्पन्न किया जा सके।

५—आपके पत्र संख्या ६०१६/ आई० आर० पी०, दिनांक १४ सितम्बर, १९५९ के साथ प्रस्तुत की गयी जलोत्सारण योजनाओं (Drainage Schemes) को उपर्युक्त पैरा ४ में

किये गये सर्वेक्षणों (observations) को ध्यान में रखते हुये, तदनुसार आशोधित कर दिया जाय, उनकी कटौती कर दी जाय और यहां दी गई स्वीकृति के आधार पर उक्त योजनाओं का जिन्हें प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है, उनके अन्तिम रूप में पूर्ण कार्यक्रम, ऐसी योजनाओं के संग्रहित ब्योरेवार अनुमान के साथ कृपया सरकार की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया जाय। यह ध्यान में रखा जाय कि सरकार द्वारा वहन किया जाने वाला ऐसी योजनाओं का समस्त व्यय ८०,०० ००० रुपये (अस्सी लाख रुपये केवल) से अधिक नहीं होना चाहिये। योजनाओं की संशोधित सूची की १० प्रतियां जिनमें यह दिखाया गया हो कि किस प्रकार व्यय को (कार्य के पूर्णतया समाप्त होने के चरण तक) ८० लाख रुपये के भीतर रखने का प्रस्ताव किया गया है, सरकार की प्रशासनिक स्वीकृति के लिये कृपया जनवरी, १९६० के अन्त तक प्रस्तुत कर दी जाय।

६—उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष के बजट में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये भारत सरकार की योजना के अधीन शीर्षक "६८-क—(२)—पूंजी—अनुत्पादक निर्माण-कार्य—विकास योजनायें—(ख) नई योजनायें—जलोत्सारण सुधार निर्माण-कार्य" के नामे लिखा जायगा।

वित्त विभाग

संख्या २७५२ (२)/एफ० टी० (तेईस)—आई० सी०—२२२-एफ-५९-(ई-१ २१६)

प्रतिलिपि महालेखापाल, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

जी० के० नेने,
अनुसचिव।

सिंचाई (ग) विभाग

संख्या २७५२ (३)/एफ० टी०-(तेईस)-आई० सी०—२२२-एफ०-५९,

प्रतिलिपि, सचिव की टिप्पणी, दिनांक १७ नवम्बर, १९५९ की प्रतिलिपि सहित, विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश को सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही के हेतु प्रेषित।

संख्या २७५२ (४)/एफ० टी (तेईस)—आई० सी०-२२२-एफ-५९

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:—

(क) सचिव, राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश,
(ख) सचिवालय का वित्त (आय-व्ययक) विभाग,
(ग) सचिवालय का वित्त (नियोजन तथा संराधन) विभाग,
(घ) सचिवालय का नियोजन (ख) विभाग,
(ङ) सचिवालय का पंचायतराज विभाग,
(च) बजट अनुभाग, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश,
(छ) श्री बी० एस० माथुर, उप-विकास आयुक्त (प्राविधिक), उत्तर प्रदेश,
(ज) सचिवालय का वित्त (व्यय-१) विभाग तथा
(झ) सचिवालय का सिंचाई (ख) विभाग।

आज्ञा से,

रघुबीर प्रसाद वर्मा,
सहायक सचिव।

नत्थी 'फ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३५ पर)

सूची

१—श्री आर० के० गोयल, पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर
२—,, मेहरबान सिंह, उपपुलिस अधीक्षक
३—,, मुहम्मद आशिक खां, उपपुलिस अधीक्षक (परिवाद)
४—,, भगवन्त सिंह, सर्किल इंस्पेक्टर
५—,, राम रक्षपाल सिंह, ,, ,,
६—,, गोपाल, सब-इंस्पेक्टर, सी० पी०
७—,, परख सिंह, ,, ,,
८—,, शंकर बक्श सिंह, ,, ,,
९—,, अब्दुल अबीब खां, ,, ,,
१०—,, महीपाल सिंह, ,, ,,
११—,, राम निवास त्यागी, ,, ,,
१२—,, बी० डी० पन्त, ,, ,,
१३—,, पी० एन० भटनागर, ,, ,,
१४—,, प्रह्लाद सिंह, ,, ,,
१५—,, राम अवध राय, हेड कांस्टेबुल ,,
१६—,, केदार नाथ, ,, ,,
१७—,, रनवीर सिंह, ,, ,,
१८—,, जगन्नारायन, ,, ,,
१९—,, रईसद्दुला, ,, ,,
२०—,, रामचन्द, ,, ,,
२१—,, मजीदुल्ला खां, ,, ,,
२२—,, सईदुलराजा, ,, ,,
२३—,, मोहम्मद हाशिम, ,, ए० पी०
२४—,, इफ्तखार अहमद, ,, ,,
२५—,, बाबू राम, ,, सी० पी०
२६—,, लोकनाथ सिंह, ,, ,,
२७—,, धर्नाराम सिंह, ,, ,,
२८—,, फतेहसिंह, ,, ,,
२९—,, श्रीराम, ,, ए० पी०
३०—,, कल्यान सिंह, ,, एल० आई० यू०
३१—,, रामअौतार, ,, सी० पी०
३२—,, प्रवीण सिंह, ,, ,,
३३—,, पुत्तू सिंह, ,, ,,
३४—,, राम कैलाश, ,, ,,
३५—,, चेता राम, ,, ,,
३६—,, नन्हें लाल, ,, ,,
३७—,, रामासरे, ,, ,,
३८—,, सुन्दर पाल सिंह, ,, ,,
३९—,, राम सरन मिश्रा, ,, ,,
४०—,, लियाकत अली, ,, ,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

४१—श्री राम भजन, कांस्टेबिल सी० पी०
४२—,, कैलाश नारायन, ,, ,,
४३—,, उमा शंकर, ,, ,,
४४—,, गिरजा शंकर, ,, ,,
४५—,, मोहन सिंह, ,, ए० पी०
४६—,, राम सरन लाल, ,, ,,
४७—,, मकबूल खां, ,, सी० पी०
४८—,, छविराज सिंह, ,, ,,
४९—,, ज्वाला सिंह, ड्राइवर ,,
५०—,, जमुना दीन, ,, ,,
५१—,, स्वरूप सिंह ,, ,,
५२—,, मोती राम, ,, ए० पी०
५३—,, हरी शंकर, ,, सी० पी०
५४—,, रमेश चन्द्र, ,, ,,
५५—,, भोलाराम, ,, ,,
५६—,, निहालुद्दीन सिद्दीकी, सहायक लिपिक

विधान सभा दुदेश

नत्थी 'ब'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३६ पर)

सूची १

उन ग्रामों के नाम जिनमें भूमि-संरक्षण कार्य हो रहा है।

क्रमांक	ग्रामों के नाम	विकास क्षेत्रों के नाम	तहसील के नाम
१	२	३	४
१	पिपरी गहरवार	कुठौंद	जालौन
२	मदैनपुर	"	"
३	हाजीपुर	"	"
४	खिलावा	"	"
५	गिगारा	"	"
६	सहर कनार	"	"
७	शंकरपुर	"	"
८	तरसोर	"	"
९	वस्तेपुर	"	"
१०	सिरसाकलां	"	"
११	बावली	"	"
१२	इटहा	"	"
१३	खैरा	"	"
१४	बारगांव	"	"
१५	हदरुत	"	"
१६	विजवापुर	"	"
१७	भवासी	"	"
१८	उमरी	"	"
१९	सिरसाकलां	"	"
२०	हाजीपुर	"	"
२१	मुरलीपुर	"	"
२२	सालेमपुर	"	"
२३	मसगांव	"	"
२४	राजपुर	कदौरा	कालपी
२५	करहना	"	"
२६	अमीना	"	"
२७	पारना	"	"
२८	काशीरामपुर	"	"
२९	थटौरा	"	"
३०	जैरामपुर	"	"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	ग्रामों के नाम				विकास क्षेत्रों के नाम	तहसील के नाम
१	२				३	४
३१	चामरी	..	..	..	कमौरा	कालपी
३२	पिपरायन	..	..	..	,,	,,
३३	चौंक	..	..	..	,,	,,
३४	सुराला	..	..	..	,,	,,
३५	माषी	.३	..	..	,,	,,
३६	जमराही	..	..	..	,,	,,
३७	छटैला	..	..	..	,,	,,
३८	रैला	..	..	..	,,	,,
३९	मारगचान	..	..	..	,,	,,
४०	कानाखैरा	..	..	..	,,	,,
४१	सोधी	..	..	..	,,	,,
४२	धमना	..	..	..	,,	,,
४३	अखबरपुर	..	..	..	,,	,,
४४	जोलपुर	..	..	..	,,	,,
४५	बैरामपुर	..	..	..	,,	,,
४६	लोहारगांव	..	..	..	,,	,,
४७	समसांर	..	..	..	,,	,,
४८	ज लालपुर	..	..	..	सफौर	उरई
४९	बम्होरी का पुरा	..	..	..	,,	,,
५०	बौहादपुर	..	..	..	,,	,,
५१	मिनौरा कालपी	..	..	..	,,	,,
५२	दौलतपुर कालपी	..	..	..	,,	,,
५३	मौहाना	..	..	..	,,	,,
५४	रहिया	..	..	..	,,	,,
५५	गनेशपुरा	..	..	..	नदीगांव	कौंच
५६	सिकन्दरपुर	..	..	..	,,	,,
५७	बनासी	..	..	..	,,	,,
५८	नदीगांव	..	..	..	,,	,,
५९	लालपुरा	..	..	..	,,	,,
६०	बहरा	..	..	..	रामपुरा	जालौन
६१	छूता	..	..	..	,,	,,
६२	मानपुरा	..	..	..	,,	,,
६३	उदत ुरा	..	..	..	,,	,,
६४	कस्बाई	..	..	..	,,	,,

उत्तर प्रदेश सरकार

नत्थी 'भ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३६ पर)

सूची २

योजना का संक्षिप्त विवरण

जालौन जिले में भूमि एवं जल संरक्षण का कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के सन् १९५७-५८ ई० में शुरू किया गया। इस योजना के अन्तर्गत कृषि क्षेत्रों में भूमि एवं जल संरक्षण का कार्य किया गया। भूमि कटाव की समस्या वाले विकास क्षेत्रों जैसे कदौरा डकौर और कुदौड़ा में इस कार्य करने के लिये कृषि विभाग की ओर से कर्मचारी नियुक्त किये गये। प्रत्येक ग्राम स्तरीय कर्मचारी प्रति वर्ष ३०० एकड़ के एक जलागम क्षेत्र में भूमि संरक्षण की पद्धतियों को संपादित करता है। इसी तरह तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष १९६१-६२ ई० में रामपुरा एवं नदीगांव विकास क्षेत्रों में कार्य को बढ़ाया गया। भूमि संरक्षण हेतु खेतों में पेड़ बनाना, कन्टूर पर बांध बनाना, सीमावर्तीय बांध बनाना, खेतों को समतल करना एवं उन्नतशील कृषि पद्धतियों को अपनाया जाता है जिससे ज्यादा से ज्यादा भूमि एवं जल का संचय हो सके जो कि अधिक अन्न उत्पादन के साथ ही साथ भूमि को कटाव से भी सुरक्षित रख सके।

विधान सभा सचिवालय उ० प्र०

नत्थी 'स'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३७ पर)

परिशिष्ट १

Injury report in respect of Sri Avadh Saran Singh, son of Jang Bahadur Singh, aged 23 years, resident of Dudhawan, police station Sareni, district Rae Bareeli, brought and identified by no. 129 Constable Dudh Nath of police station Sareni.

Examined on January 26, 1961 *at* 8-30 *p.m.*

Identification Mark—Black mole neck in front, right half.

1. Contused wound 6/10″ × 1/10″ × 1/10″ with a small hamectoma round about the wound on the left parectal eminence of sealp.

2. Contusion 1 1/5″ × 1/2″ obliquely on the right shoulder blade.
3. Abrasion 3/10″ × 2/10″—centre of back just on the mid line.
4. Contusion 1 1/4″ × 3/4″ obliquely on the upper part of left forearm, back aspect just below the elbow

5. Two abrasions 3/10″ × 1/10″ and 3/20″ × 1/10″ (1/5″ apart) on the right forearm, lower thirds back aspect.
6. Abrasion (1/10 in diametre) on the proximal phalanjeal joint of right middle finger, back aspect. Complains of pain left-shoulder black and buttock. No mark of injuries seen.

All the six injuries are simple. Injuries nos. (1) (2) (4) inflicted by some blunt weapon like *lathi* amd the rest appear to have been caused by friction against some rough object. The injuries seem to have been inflicted within a day hence the parchmentisation of the coagulum covering the abrasions and the colour changes in ecchymosis of the contusions having not yet commenced.

(Sd.) S. B. SINGH, P. M. S. II
January, 26 1961.

Left-thumb impression of Sri AVADH SARAN Singh,

(Sd.)

Seal
(Sd.)
Civil Surgeon.

अर्थ प्रकाशन

नत्थी 'य'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३८ पर)

परिशिष्ट २

नकल रिट नं० १२ रो० आम० दिनांक २५-१-६१ थाना सरेनी रवानगी एस० ओ० १४-२० पी: यम

बी० के० शुक्ला एस० ओ० बिनावर तफतीस मुकदमा इ० न० १२ धारा २९२/३९३/२९४ आई० पी० सी० व जांच दरखास्त शीतल प्रसाद, ब्र० स० टेरूई मय का० बासदेव नं० २४३ रवना हुआ चार्ज थाना ब जिम्मे अफसर मातहत हुआ।

(ह०) बी० के० शुक्ला

नकल रिट नं० १५ रो० आ० दिनांक २५-१-६१ थाना सरेनी सेहत स० ई० बरवानगी ब-वक्त १५-२

श्याम लाल सिंह स० ई० को इस समय से सेहत है। दिनावर तफतीश मुकदमा अ० स० ११ धारा ३७९ भारतीय दंड विधान रवाना हुआ। का० विजय सिंह हमराह किया गया। भार थाना सुपुर्द हे० मु० किया गया।

(ह०) अस्पष्ट
एस० ओ०

नकल रपट नं० २२ ओ० आम० दिनांक २५-१-६१ थाना सरेनी वापसी एस० आई० ब वक्त १९-५

श्याम लाल सिंह स० ई० रवानगी व हवाले रपट नं० १५ रो० आम० इमरोजा बाद तफतीश मुकदमा अ० स० ११ धारा ३७९ भारतीय दंड विधान वापस थाना आया का० विजय बहादुर सिंह हमराह वापस आया जांच दरखास्त गेरी लाल फूल चन्द्र प्यारे सा० मूसापुर व लाल बिहारी सिंह महरौली किया। भार थाना स्वंय लिया।

(ह०) अस्पष्ट

नकल रपट नं० २३ रो० आम० दिनांक २५-१-६१ थाना सरेनी वापसी एस० ओ० ब वक्त २२ पी: यम

बी० के० शक्ला एस० ओ० रफ्ता रपट नं० १२ तारीख इमरोजा से बाद तफतीश मुकदमा नं० १२ धारा २९२/२९३/२९४ आई० पी० सी० व जांच दरख्वास्त शीतल प्रसाद सा टेरूई से मय का० वासुदेव के वापस थाना आया चार्ज थाना बजिम्मे खुद लिया।

(ह०) बी० के शुक्ला
एस० ओ०

परिशिष्ट ३

नकल रपट नं० १८ तारीख २५-१-६१ समय १७-२ बजे रो० आम० थाना रेनी रायबरेली।

श्री शिव राज सिंह सा० दुधवन थाना हाजा व हमराही सुखदेव सिंह सा० दुधवन इलाका हाजा बहाजिरी थाना एक किता तहरीर लिखी मजमून श्रीमान् थाने इन्चार्ज महोदय थाना सरेनी महोदय हमारे गांव दुधवन में दिनांक २८-१-६१ व २९-१-६१ को पंचायत का चुनाव होगा जिसमें निम्नलिखित हमारे गांव व पूरे मोती में आकर पंचायत प्रचार चुनाव के सिलसिले में ओटरों को मैं विपक्षीगण उम्मीदवार श्री शिव दत्त सिंह की पक्ष में ओट देने के लिये धमकाते हैं और उस को भय दिखलाते हैं ऐसी परिस्थिति में शांति भंग होने की पूर्ण संभावना है।

शाम मंगल पूरे मोती के आये थे और वही उधम मचाये हुये थे, नन्दा सिंह निवासी भगवतपुर पिस्तौल भी मुझे दिखाते थे और धमकी देते थे कि २९-१-६१ तक देखेंगे। अस्तु निवेदन है कि पंचायत चुनाव के समाप्त होने तक समुचित शान्ति व्यवस्था बनाये रखने का विशेष प्रबन्ध करने की कृपा की जावे ताकि कोई झगड़ा आदि न हो सके निवेदक शिवराज सिंह सा० दुधवन २५-१-६१ व्यक्तियों की तालिका (१) नन्दा सिंह पुत्र गयाबख्श सिंह (२) अयोध्या सिंह पुत्र गया बख्श सिंह (३) मुन्नेसिंह पुत्र भारत सिंह, पन्चो पासी, विरऊ सिंह पुत्र दर्शन सिंह निवासी भगवतपुर क्योंकि मामला ऐलेक्शन का है बाद वापसी अफसरान जांच होगी दस्तखत किया।

लेखक रपट

हसमत उल्ला एच० सी० २५-१-६१

नोट नकल मुताबिक असल है। का० मो०

(ह०) रघुनाथ सिंह
२२-१-६१

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'र'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५३ पर)

रोशनुद्दौला कचहरी लखनऊ में दिनांक १४-८-६१ को कुछ अभियुक्त मुकदमों की पेशी के लिये हवालात से निकालकर ले जाये जा रहे थे। अपराधियों के पैरोकारान ने उनको खाना व बीड़ी देना चाहा, पर सन्तरी ने उनको रोक दिया। इससे अभियुक्त नाराज हो गये और पुलिसवालों को गाली देने लगे। बाद दिन में भी संबंधित कैदी पुलिसवालों को गाली देते रहे। एक ने तो एक पुलिस वाले पर थूक दिया जो मजिस्ट्रेट की नोटिस में लाया गया। ये कैदी यह भी कहते थे कि पुलिस वालों को फसां देंगे। इसके बाद लगभग शाम को ५.५० बजे जब अभियुक्तों के हथकड़ी लगाकर जेल के लिये हवालात से निकाला गया तो एक हवालात के अभियुक्तों ने तो हथकड़ी लगवा ली लेकिन दूसरी हवालात जिसमें तपेश्वरी तथा अन्य १० अभियुक्त थे एक-एक हाथ में हथकड़ी लगाकर बाहर निकले और निकलते ही तपेश्वरी ने कान्सटेबुल जग प्रसाद का डंडा छीन कर का० केसरी प्रसाद की पीठ पर मारा। अन्य १० कैदियों ने भी पुलिसवालों पर पास में पड़ी ईंटें चलाईं जिससे मौजूदा २ हेड कांस्टेबुल तथा ३ कान्सटेबिलों को चोट आई। इन्हीं अपराधियों की चलाई ईटों से कैदी तपेश्वरी, रामपती व नजीर के भी साधारण चोटें आईं। सूचना पाते ही फ्लाइंग स्क्वाड व पुलिस थाने से आ गई और स्थिति काबू में की।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ३२० एल० ए०—१९६२—८४५।